# तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम सं.4)

तम्बाक् उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने के वास्ते उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के छब्बीसवीं वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

# अध्याय-। प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,	1	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 है।
विस्तार और		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
प्रारम्भ ।		(3)	यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
			नियत करें:
		*	परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए और विभिन्न राज्यों या उनके
			विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेगी।

- अध्याय -।।। को छोडकर अधिनियम के प्रावधान दि. 01/01/1976 से लागू हुए देखें भारत के राजपत्र भाग-।। धारा 3(ii) में अधिनियम दि.27/12/1975.
- आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में धाराएँ 10, 11 और भारत भर में धाराएँ 12, 14 व 15 दि. 28/08/1976 से लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के भाग -।। धारा 3(ii) में अधिसूचना दि.28/08/1976.
- महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तिमलनाड् और उत्तर प्रदेश राज्यों में दि.31/05/1980 से धाराएँ 10 व 11 लाग् हुई देखें भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।। धारा 3(ii) दि. 31/05/1980.

संघ द्वारा	2		इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि तम्बाक्
नियंत्रण की			उद्योग को संघ अपने नियंत्रण के अधीन लेना चाहिए ।
समीचीनता की			
घोषणा			
परिभाषाएँ	3		इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
		(क)	"बोर्ड " से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;
		(ख)	" अध्यक्ष " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
1944 के 1		(ग)	" संसाधन " का वह, अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम,
			1944 में है तथा उसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ
			तदनुकूल किया जाऐगा;
		(ঘ)	" ट्यौहारी " से तम्बाकू का ट्यौहारी अभिप्रत है;
		(ਤ.)	"कार्यपालक निदेशक " से धारा 6 के अधीन नियुक्त कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत
			है;
		(च)	" निर्यात " और "आयात " से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा क्रमशः भारत से ले
			जाना या भारत में लाना अभिप्रेत है;
		(छ)	" सदस्य " से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;
		(ज)	"विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(耔)	"रजिस्ट्रीकृत " से "रजिस्ट्रीकृतउगाने वाला" अभिव्यक्ति के सिवाय, इस अधिनियम
			के अध्याय-।।। तथा उसके अधीन बताए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत
			है;
		(퍼)	"रजिस्ट्रीकृतउगाने वाला" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने वर्जीनिया तम्बाक्
			उगाने के लिए धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है।

# अध्याय -॥ तम्बाकू बोर्ड

बोर्ड की स्थापना	4	(1)	उस	तारीख से जिसे, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त		
और उसका गठन			नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा,			
			जो त	नम्बाक् बोर्ड कहलाएगा।		
		(2)	यह	बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक		
			निग	मित निकाय होगा जिसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की, सम्पत्ति के		
			अर्जन	न, धारण और व्ययन की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से		
			वह व	वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।		
		(3)	बोर्ड का मुख्य कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टूर में होगा और बोर्ड केन्द्रीय			
			सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्दर या बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय			
			या 3	भिकरण स्थापित कर सकेगा।		
		(4)	बोर्ड	में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-		
			(क)	एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;		
			(ख)	संसद के तीन सदस्य, जिसमें से दो लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे		
				और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;		
			(ग)	* केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आठ सदस्य, जो क्रमशः		
				निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करेंगे:-		

<sup>•</sup> सात शब्द आठ के रूप में संशोधित किया गया और उप धारा (द्वारा) लगायी गयी देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि. 30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

	(i)	कृषि से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
	(ii)	वाणिज्य से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
	(iii)	वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
	(iv)	औद्योगिक विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
	(v)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
	(vi)	आन्ध्र प्रदेश सरकार;
	(vii)	कर्नाटका सरकार;
	(viii)	गुजरात सरकार;
	(ঘ)	आन्ध्र प्रदेश *गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाक् उगाने वाले राज्यों की
		सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-
		बारी से नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य;
	(ਤ.)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले *दस से अनिधिक सदस्य, जो तम्बाक्
		उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके
		अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाक् उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में
		से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के
		विशेषज्ञ हैं।

<sup>•</sup> शब्द दस, आठ शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

		,
	+	"परन्तु प्रस्तुत खण्ड के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से
		नियुक्त सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी। "
	+(च)	भारत सरकार के कृषिविपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;
	+(छ.)	कार्यपालक निदेशक, पदेन;
(4-क)		यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य का कार्यालय अपने
		पदधारी के रूप में चुने जाने हेतु, अथवा संसद की किसी भी सभा के
		सदस्य होने के कारण अयोग्य नहीं बताएगा।
(5)		बोर्डि अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा, जो अध्यक्ष की
		ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए
		जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।
(6)		सदस्यों की पदावधि और सदस्यों के स्थानों में रिक्तियों को भरने की रीति
		तथा सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली
		प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।
(7)		कार्यपालक निदेशक और केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसी अधिकारी को (जो
		बोर्ड का सदस्य न हो) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त
		प्रतिनियुक्त किया जाता है, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हो, तथा उसकी
		कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकारी होगा किन्तु उसे मत देने का
		अधिकार नहीं होगा।

खण्ड (इ.) व खण्ड (च), (छ) और उपधारा (४-क) भी जोडी गयीं। शब्द "कार्यकारी निदेशक और कोई ऐसा अधिकारी " उप-धारा (7) में "कोई अधिकारी " द्वारा प्रतिस्थापित किये गये देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग।।, खण्ड-।, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

		(8)		बोर्ड ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने
				साथ किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जिनकी सहायता या
				सलाह वह इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने में लेना
				चाहे तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को उन प्रयोजनों से सुसंगत बोर्ड की
				चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा जिनके लिए वह सहयोजित किया
				गया है किन्तु उसे मत देने का अधिकारी नहीं होगा।
		(9)		बोर्ड या उसके द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य
				या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि-
			(क)	बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रृटि है; या
			(ख)	बोर्ड के या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति
				को नियुक्त करने में कोई त्रृटि ह्ई है; या
			(ग)	बोर्ड या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता हुई है जिसका,
				मामले के गुणागुणों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।
अध्यक्ष का वेतन	5			अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य
और भत्ते तथा				मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा, जैसी समय-समय
अन्य सेवा की				पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएं।
शर्ते				
बोर्ड के अधिकारी	6	(1)		केन्द्रीय सरकार एक कार्यपालक निदेशक नियुक्त करेगी जो अध्यक्ष के अधीन
तथा अन्य				एसीं शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें विहित
कर्मचारिवृन्द।				किया जाए या जिन्हें अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रत्यायोजित किया जाए।
		(2)		केन्द्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी जो अध्यक्ष के अधीन ऐसी
				शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें विहित किया
				जाए अथवा जिन्हें अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रत्यायोजित किया जाए।

		(3)	कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन,
			भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे
			जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।
		(4)	ऐसे नियन्त्रण, निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत
			तम्बाक् निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की
			नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिष्द का
			परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी
			और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए
			आवश्यक हों।
		(5)	अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, सचिव और बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा
			कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से सम्बन्ध न रखने वाले
			किसी काम का जिम्मा केन्द्रीय सरकार की इजाजत के बिना नहीं लेंगे।
बोर्ड की समितियाँ	7	(1)	बोर्ड ऐसी समितियाँ, नियुक्त कर सकेगा, जैसी इस अधिनियम के अधीन
			दक्षतापूर्वक उसके कर्तट्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक
			हों।
		(2)	बोर्ड को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में
			इतने व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं, सहयुक्त करने की शक्ति होगी
			जितने वह ठीक समझे तथा इस प्रकार सहयुक्त टयक्तियों को समिति की
			बैठकों में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार
			होगा, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।
बोर्ड के कृत्य	8	(1)	बोर्ड का कर्तव्य होग कि वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन तम्बाक्
			उद्योग के विकास का संवर्धन ऐसे उपायों से करें जिन्हे वह ठीक समझे।

	(2)		उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें
			निर्दिष्ट उपाय निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे-
	*( <del>क</del> )		संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू के लिए भारत में और विदेशों में मांग को ध्यान
			में रखते हुए ऐसे तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन की विनियमित करना;
		(i)	भारत और विदेशों में वर्जीनिया तम्बाक् की मॉग;
		(ii)	वर्जीनिया तम्बाकू को पैदा करने के लिए भूमि की अनुकूलता;
		(iii)	देश के विभिन्न क्षेत्रों, जहाँ वर्जीनिया तम्बाकू का उगाया जाता है, में भू
			विशिष्टताएँ एवं आग्रो-शीतोष्ण तत्वों में भेद तथा उन क्षेत्रों में उत्पादित
			वर्जीनिया तम्बाकू की गुण्वत्ता एवं मात्रा का प्रभाव;
		(iv)	वर्जीनिया तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों की विपणनीयता;
		(v)	फसलों के रोटेशन की आवश्कता, तथा
		(vi)	वर्जीनिया तम्बाकू के धारकों एवं उत्पादकों का स्वभाव चाहे स्वामित्व हो या
			अथवा पट्टे पर किया हो।
	(ख)		भारत और विदेशों, दोनों स्थानों में, वर्जीनिया तम्बाकू की मण्डी पर लगातार
			नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि उगाने वालों को उसके लिए
			उचित और लाभकारी कीमती मिलती है और इस वस्तु की कीमतों में
			व्यापक उतार-चढाव नहीं होता;

धारा (क) प्रतिस्थापित किया गया देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

(ग)	भारतीय वर्जीनिया तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के लिए भारत के बाहर
	विद्यमान मण्डियों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना तथा नई
	मण्डियों का विकास करना, और भारत के बाहर इस वस्तु की मांग के
	अनुरूप विपणन युक्ति का विकास करना, जिसमें सीमित ब्रांड नामों के
	अधीन सामूहिक विपणन भी है;
*(गग)	पंजीकृत उत्पादकों या संसाधनकर्ताओं द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के
	लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित नीलाम मंच को बोर्ड द्वारा
	स्थापना और संस्थापित अथवा के साथ पंजीकृत नीलाम मंचों पर बशर्तें कि
	केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर नीलामकार के रूप में बोर्ड
	का कार्य होगा।
**(घ)	निकाल दिया गया ।
(롱.)	उगाने वालों, विनिर्माताओं और व्यौहारियों तथा राष्ट्र के हितों का सम्यक
	ध्यान रखते हुए वर्जीनिया तम्बाकू के भारत में विपणन के संबंध में तथा
	वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात की अन्य बातों के बारे में विनियमन करना;
(च)	वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों, व्यौहारियों तथा निर्यातकर्ताओं (जिनके
	अन्तर्गत पैकर भी है।) तथा वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं और
	वर्जीनिया तम्बाकू तथा उसके उत्पादों से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के
	लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना;
(ন্ড)	उगाने वालों से उस देश में वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना, जिसमें ऐसा करना
	उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या समीचीन समझा जाता
	है और जैसे तथा जब ठीक समझा जाए उसका भारत में या भारत के बाहर
	व्ययन करना;
I I	

<sup>•</sup> रख दिया गया देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

<sup>\*\*.</sup> निकाल दिया गया देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन)अधिनियम 1978.

			<u> </u>
		(ज)	उगाने वालों के स्तर पर तम्बाकू के श्रेणीकरण, को सम्प्रवर्तित करना;
		(朝)	तम्बाक् उद्योग की उन्नति के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक
			अनुसंधान का कार्य प्रायोजित करना, उसमें सहायता करना, उसे समन्वित
			करना या उसे प्रोत्साहित करना;
		(퍼)	ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।
		(3)	उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और
			उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों को प्राथमिकता देने की शर्तें के अधीन
			रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपाय, वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न
			तम्बाक् के लिए भी, उपधारा (2) के खण्ड (ग) से लेकर (छ) तक में
			विनिर्दिष्ट सभी या किसी बात के बारे में भी उपबन्ध कर सकेंगे और इस
			प्रयोजन के लिए उन खण्डों में वर्जीनिया तम्बाकू के प्रति किसी निर्देश का
			यह अर्थ किया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न
			तम्बाक् के प्रति भी निर्देश हैं।
		(4)	इस धारा के अधीन बोर्ड अपने कृत्यों का पालन ऐसे नियमों के अनुसार
			और अधीन रहते हुए करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं और
			ऐसे नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे
			कि बोर्ड, संघ के अभिकरणों, संस्थाओं और प्राधिकरणों से, जो तम्बाक्
			उद्योग से सम्बन्धित हों (जिसके अन्तर्गत तम्बाकू का उगाना भी है),
			गहरा सम्पर्क रखते ह्ए कार्य करता है और एक ही काम को दुबारा करने
			से बनाता है।
बोर्ड का विघटन	9	(1)	केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट किए
			जाने वाले कारणों से निदेश दें सकेगी कि बोर्ड उस तारीख से और उतनी
			अवधि के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित किया
			जाएगा:

			परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित
			विघटन के खिलाफ अभ्यावेदन करने के लिए बोर्ड को उचित अवसर प्रदान
			करेगी और यदि बोर्ड द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है, तो उस पर
			विचार करेगी।
	(2)		जब बोर्ड उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन विघटित कर दिया जाता है
			तब:-
		(क)	सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई
			हैं, विघटन की तारीख से ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;
		(ख)	विघटन की अविध के दौरान बोर्ड की सभी शक्यों का प्रयोग और कर्तव्यों
			का पालन ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे या जिन्हें
			केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करें;
		(ग)	बोर्ड में निहित सब निधियां और अन्य सम्पत्ति विघटन की अवधि के
			दौरान केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी; और
		(घ)	विघटन की अवधि के समापन होते ही, बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों
			के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा।

अध्याय -।।। वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और व्ययन का विनियमन

वर्जीनिया तम्बाक्	10	(1)	कोई भी व्यक्ति वर्जीनिया तम्बाक् को इस अधिनियम के अधीन बनाए
के उगाने वालों			गए नियमों के अनुसार बोर्ड से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की
का रजिस्ट्रीकरण			शर्तों के अधीन और अनुसार ही उगाएगा, अन्यथा नहीं।
		(2)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने या इन्कार करने में बोर्ड भारत और विदेशों
			में वर्जीनिया तम्बाकू के लिए मांग, और जिस भूमि के सम्बन्ध में
			प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है, उसकी उपयुक्तता और ऐसी
			अन्य बातों का ध्यान रखेगा जो वर्जीनिया तम्बाक् उद्योग की
			आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए ।
		(3)	इस धारा के अन्सरण में दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उतनी अवधि
			के लिए विधिमान्य रहेगा जितनी विहित की जाए ।
		(4)	ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ (उस भूमि
			के, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है, 0.4 हैक्टेयर के लिए एक
			रूपए से अनधिक) उतनी फीस होगी जितनी विहित की जाए।
वाणिज्यिक	*10-	(1)	कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार
प्रयोजनों के लिए	क		बोर्ड से नर्सरी ग्रोयर के रूप में उसके द्वारा पंजीकरण लिये जाने तक
वर्जीनिया तम्बाक्			वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू बीजों को पैदा नहीं
बीजों के ग्रोयर			करेगा।
का रजिस्ट्रेशन			
			व्याख्या:- संदेहों के समाधान के लिए, यह एतद्वारा घोषित किया जाता
			है कि प्रस्तुत उप-धारा का कुछ भी अपने ही स्वयं उपयोग के लिए किसी
			भी वर्जीनिया तम्बाकू बीजों के एक पंजीकृत उत्पादक द्वारा उगाने में
			लागू नहीं होंगे।
		(2)	कोई भी पंजीकृत नर्सरी उत्पादक एक पंजीकृत उत्पादक को छोडकर और
			किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्जीनिया तम्बाकू बीजों को न तो बेचेगा
			और न बेचने देगा।

<sup>•</sup> लगाये देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

वर्जीनिया तम्बाक्	11		रजिस्ट्रीकृत संसाधक से भिन्न कोई भी व्यक्ति तब तक वर्जीनिया
के संसाधकों का			तम्बाक् का संसाधन नहीं करेगा या संसाधन का जिम्मा नहीं लेगा जब
रजिस्ट्रीकरण			तक वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड में
			संसाधक के रूप में अपने को रजिस्टर नहीं करा लेता है।
वर्जीनिया तम्बाकू	*11-		कोई भी व्यक्ति, अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के
के प्रोसेसरों तथा	क		अन्रूप बोर्ड के सथ ऐसी प्रोसेसर या निर्माणर्ता के रूप में अपने को
निर्माणकर्ताओं			पंजीकृत न कर लेने तक वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेस न करेगा अथवा उससे
आदि.,का			उत्पादों का निर्माण न करेगा।
रजिस्ट्रीकरण			
	*11-		कोई भी व्यक्ति -
	ख		
		(i)	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाक् संबंधी वर्गीकरण का
			कार्य नहीं लेगा; या
		(ii)	इस अधिनियम के अधीन बनायी नियमावली के अनुरूप बोर्ड से एक
			अन्ज्ञप्ति प्राप्त कर लेने तक एक बखार का निर्माण तथा प्रचलालन को
			नहीं लेगा ।
			व्याख्या : प्रस्त्त धारा के प्रयोजनों के लिए :-
		(iii)	" बखार " से तम्बाकू के पत्तों की फ्लू क्यूरिंग के लिए प्रयुक्त फ्लू पाईपों, फर्नेस
		` '	व टैयरों के होते हुए जिंकशीटों टैयरोंके साथ रहीं एक भवन या स्ट्रक्चर से
			अभिप्रेत है;
		(iv)	"वर्गीकरण कार्य " से पौधों की स्थिति, परिपक्वता, रंग, धड और कमियों के
			आधार पर निर्दिष्ट श्रेणियों के भीतर तथा यथा निर्धारित ऐसे विनिर्दिष्टों के
			अनुरूप तम्बाकू के पत्तों को अलग करने से अभिप्रेत है;

<sup>•</sup> लगाये देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग ।।, खण्ड-।, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

निर्माणकर्ताओं,	12		कोई भी व्यक्ति तब तक तम्बाकू या किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात
पैकरों, नीलाकर्ताओं			नहीं करेगा या तम्बाकू के पैकर, नीलामकर्ता या व्योहारी के रूप में कार्य
और व्योहारियों का			नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए
रजिस्ट्रीकरण			नियमों के अनुसार अपने आपको बोर्ड में रजिस्टर नहीं करा लेता ।
वर्जीनिया तमबाक् का	+13		कोई भी रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला या संसाधक वर्जीनिया तम्बाकू को इस
रजिस्ट्रीकृत नीलामी			अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत
मंचों पर विक्रय किया			नीलामी मंच पर ही विक्रय करेगा या कराएगा, न कि अन्यत्र।
जाना।			#(अथवा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित)
नीलाम मंचों आदि.,	*13-		कोई भी पंजीकृत डीलर अथवा पंजीकृत निर्यातक को कहीं भी वर्जीनिया
में खरीदनें के लिए	क		तम्बाकू को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा -
पंजीकृत डीलरों तथा			
निर्यातकों का			
कर्तव्य			
		(क)	इस अधिनियम के अधीन बनाये नियमावली के अनुरूप बोर्ड के साथ पंजीकृत
			नीलामी मंच अथवा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित; अथवा

#जोडा देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-।, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

+दि. 01 सितम्बर, 1984 से कर्नाटक राज्य में अधिनियम की धारा 13 लागू हुई देखें भारत के राजपत्र भाग-।।, खण्ड-3 (ii) दि. 31/08/1984 में अधिसूचना । दि. 05/02/1985 से आंध्र प्रदेश राज्य में अधिनियम की धारा 13 लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के

भाग-।।, खण्ड-3 (ii) दि. 12/02/1985 में अधिसूचना ।

• धारा 13-क लगाया गया भारत के राजपत्र के भाग-।।, धारा-। दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

		(ख)	किसी दूसरे पंजीकृत डीलर या पंजीकृत उत्पादक या क्यूरर:
			बशर्ते कि किसी राज्य के संबंध में जिसमें धारा 13 के प्रावधान लागू
			नहीं हैं, धारा (क) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें लागू नहीं होगी।
अनुचित व्यवहारों	*13-		प्रत्येक डीलर, जिन्होंने किसी भी राज्य में, जहाँ पर धारा 13 के
से दूर रहने नीलामी	ख		प्रावधान लागू नहीं हैं, में वर्जीनिया तम्बाकू को खरीदता है, को:-
मंचों से दूर स्थानों			
पर वर्जीनिया			
तम्बाकू के क्रेताओं			
के कर्तव्य			
		(क)	तम्बाक् को जिस मूल्य पर वह खरीदने के लिए सहमत हुआ वर्जीनया
			तम्बाकू की सम्पूर्ण मात्रा के लिए पूरी कीमत वह देगा और ऐसे मूल्य
			के अनुरूप यथा परिकलित कीमत से वजन में किसी छूट के लिए दावा
			करने से वह दूर रहेगा;
		(ख)	धारा (क) के प्रावधानों के अनुसार यथा परिकलित उसके द्वारा वैसे ही
			खरीद किये वर्जीनिया तम्बाक् के लिए पूरी कीमत का भ्गतान वह, बोर्ड
			द्वारा इसके लिए यथा विनिर्दिष्ट ऐसे न्यायोचित समय के अंदर किसी
			भी हालत में यथाशीघ्र करेगा; तथा
		(ग)	ऐसे राज्य में और सारे संगत विचारों, विशेषकर अन्चित व्यवहारों से
			वर्जीनिया तम्बाकू को बेचनेवाले व्यक्यिं की सुरक्षा की आवश्यकता के
			संबंध में, जो बोर्ड गलत समझे, ऐसे व्यवहारों से वह दूर रहेगा।

<sup>•</sup> धारा 13-ख लगाया गया देखें भारत के राजपत्र के भाग-।।, खण्ड-।, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

रजिस्ट्रीकरण से	14	धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और
सम्बद्ध आवेदन,		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, *(धारा 10-क के प्रयोजनों के लिए
रद्दकरण, फीसें और		नर्सरी उत्पादकों के पंजीकरण केलिए) धारा 11 के प्रयोजनों के लिए
अन्य मामले		संसाधकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा ।।-क के प्रयोजनों के लिए
		प्रोसेसर और निर्माताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए, धारा।।-ख के अधीन
		उन्नत श्रेणीकरण कर्ता के लिए या बखार निर्माण तथा प्रचालन के
		लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, धारा 12 के प्रयोजनों के लिए
		तम्बाकू के निर्यातकर्ताओं, पैकरों या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों के
		रजिस्ट्रीकरण के लिए और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए नीलामी
		मंचों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और व समय जिसके
		अन्दर और वह रीति जिसमें ऐसे आवेदन किए जाएंगे, ऐसे आवेदनों
		पर संदेय फीसें, उनमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ,
		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने और रद्द करने में या नीलामी मंचों का
		रजिस्ट्रीकरण करने में या, यथास्थिति, *(वर्जीनिया तम्बाक् के
		संसाधकों, प्रोसेसरों, निर्यातकर्ताओं, पैकरों या नीलामकर्ताओं या
		व्यौहारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण में, अनुसरण किए जाने वाले
		सिद्धान्त और प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकृत उगाने वालों तथा तम्बाक् के
		रजिस्ट्रीकृत संसाधकों, निर्यातकर्ताओं, पैकरों या नीलामकर्ताओं या
		व्यौहारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियाँ तथा बोर्ड द्वारा रखे जाने
		वाले रजिस्टर ऐसे होंगे जिसमें विहित किया जाएया जो भी उचित हो,
		धारा-11-ख के तहत लाईसेंस को प्रदान करने में, वर्जीनिया तम्बाक्
		या उसके उत्पादों के निर्माताओं, पैकरों या नीलामकर्ताओं,
		प्रक्रियाकर्ताओं, नर्सरी उत्पादकों एवं संसाधकों के रूप में पंजीकरण
		और यथाविनिर्धारित बोर्ड के पास पंजियाँ रखी जाएगी।)
		<u>'</u>

<sup>•</sup> भारत के राजपत्र के भाग-।।, खण्ड-।, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

शुल्क लगाने की	*14	(1)	इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर
शक्ति	-ক		वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता हे, यह बोर्ड के लिए सक्षम
			होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के
			लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत,
			ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए
			दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर
			शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्धारित;
		(2)	उप-धाराओं के अधीन लगाये शुल्क का बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया
			तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे
			तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।
निरीक्षण की शक्ति	15		बोर्ड अपने सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों, में से किसी को
			धारा 14 में निर्दिष्ट किसी आवेदन में या किसी विवरणी में उल्लिखित
			किन्हीं विशिष्टियों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए किसी भूमि
			या परिसर का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निरीक्षण करने के
			लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय- IV वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार	16			केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए
द्वारा अनुदान और				सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर
उधार।				उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस
				अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक
				समझे।
आय कर से छूट	∗16क			आय, लाभ या प्राप्तियों पर कर से संबंधित आय कर अधिनियम,
·				1961 या अस्थायी रूप से लागू अन्य कोई कानून में किसी बात को
				हेते हुए, बोर्ड को-
			(क)	आय कर या अन्य कोई कर की देयता से उत्तरदायी नहीं होना,
			(ख्)	कर देयता के लिए उत्तरदायी कभी नहीं समझा जाना,
				उस तारीख, जो धारा-4 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में, उक्त
				बोर्ड का गठन किया गया, से आगे बोर्ड द्वारा द्वारा व्युत्पन्न कोई
				आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में।
तम्बाक् निधि का	17	(1)		तम्बाक् निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित, की जाएगी और
गठन				उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी:-

<sup>•</sup> बोर्ड द्वारा संग्रहणीय सेवा प्रभार तम्बाकू के मूल्य का 2% देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-3(ii), दि.22/08/1984 में प्रकाशित अधिसूचना।

<sup>• \*</sup> आयकर भुगतान से तम्बाकू बोर्ड या अन्य गठित प्राधिकरण को आयकर से छूट देने के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधाराण भाग-।।, अध्याय- ।। की धारा-2 के क्र.सं.8 में 1988 का बिल सं.161 द्वारा 1975 की अधिनियम-4 में प्रकाशित नया धारा 16-क को जोड दिया गया।

		(क)	इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और
			संगृहीत की गई फीसें;
		(ख)	इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई
			धनराशि या दिए गए कोई उधार;
		(ग)	कोई अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के
			प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
		(घ)	धारा 8 में निर्दिष्ट उपयों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की
			गई राशियाँ, यदि कोई हों।
		(2)	निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:-
		(क)	धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
		(ख)	बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य
			पारिश्रमिकों की पूर्ति;
		(ग)	बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों कीपूर्ति;
		(घ)	किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।
बोर्ड की उधार लेने	18		ऐसे नियमों के अधीन रहते ह्ए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड की
की शक्तियाँ ।			इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तम्बाकू निधि
			की अथवा किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति
			होगी।
	*18		केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित ऐसी शर्ता की शर्त पर, जहाँ बोर्ड ऐसी
	-क		राय रखे कि कोई देय राशि या नुकसान, चाहे पैसे हो या संपत्ति, बोर्ड
			द्वारा व्यय किया अवापसीय हो, तो केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन सहित,
			कथित राशि या नुकसान को अंतिम रूप से बिलकुल बोर्ड मंजूर कर
			सकता है।
			बशर्तें कि केन्द्र सरकार का ऐसी कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा,
			जहाँ, किसी व्यक्तिगत मामले में ऐसी अवसूलनीय राशि या नुकसान
			ज्यादा न हो और कुल में किसी वर्ष में यथानिर्धारित ऐसी राशियाँ।

<sup>•</sup> धारा 18-क लगाया देखें भारत के राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1,दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1		
लेखा और लेखा	+19	(1)	बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखे का अनुरक्षण करेगा तथा
परीक्षा			लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा
			तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार
			द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया
			जाए।
		(2)	बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा
			ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी
			और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा
			नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।
		(3)	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के
			सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के
			सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो
			नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में
			होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य
			दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के
			कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
		(4)	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा
			नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे
			तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे
			जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी।

<sup>+</sup> प्रतिस्थापित देखें तम्बाकू बोर्ड (संसोधन) अधिनियम, 1985.

# अध्याय- V केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

	ı	1	
तम्बाक् और	20	(1)	केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, तम्बाकू बौर तम्बाकू
तम्बाक् उत्पादीं के			उत्पादों के या तो साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों में
आयात और निर्यात			आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने, निबंन्धित करने या अन्यथा
को प्रतिषिद्ध या			नियंत्रित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी।
नियंत्रित करने की			
शक्ति ।			
1962 का 52		(2)	उस सब तम्बाक् और तम्बाक् उत्पादों को, जिनकों उपधारा (1) के
			अधीन कोई आदेश लागू होता है, ऐसा माल समझा जाएगा जिसका
			आयात या निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के
			अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है और उस अधिनियम के सब उपबन्ध
			तदनुसार प्रभावी होंगे।
1962 का 52		(3)	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का
			उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे किसी अधिहरण या शास्ति पर, जिसका कि
			वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू किए गए सीमा-शुल्क अधिनियम,
			1962 के उपबन्धों के अधीन भागी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
			कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना
			से, अन्यथा दोनों से, दण्डनीय होगा।
वर्जीनिया तम्बाक्	*20-		धारा 8 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के प्रावधानों की परिवाद के बगैर
के क्रय को	क		और प्रस्त्त अधिनियम के किसी दूसरे प्रावधान में शामिल किसी बात
प्राधिकृत करने			के होते हुए भी, यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक
े केन्द्र सरकार की			अथवा शीघ्र, है, तो वही लिखित आदेश द्वारा अथवा आदेश में
शक्ति			यथाविनिर्दिष्ट ऐसी स्थितियों शर्तों एवं सीमाओं की शर्त पर, उत्पादकों
			से वर्जीनिया तम्बाकू को खरीदने और भारत में अथवा विदेशों में उसे
			बेचने केलिए किसी व्यक्ति को अथवा दूसरी अभिकरण को प्राधिकृत
			कर सकता है।

<sup>•</sup> लगाया गया देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1,दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

केन्द्रीय सरकार	21		बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर उसे केन्द्रीय
द्वारा निदेश ।			सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए दिए जाएं।
विवरणियाँ और	22	(1)	बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय और ऐसे प्ररूप और रीति में जिन्हें
रिपोर्टं			विहित किया जाए या जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करें, तम्बाक्
			उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान
			कार्यक्रम के बारे में ऐसी विवरणियां और विवरण तथा ऐसी विशिष्टियाँ
			देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उपेक्षा करें।
		(2)	उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक
			वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को ऐसे
			प्ररूप में और ऐसी तारीख से पूर्व जिन्हें विहित किया जाए, एक रिपोर्ट
			देगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों, नीति
			और कार्यक्रमों का सही तथा पूरा वृत्तान्त होगा।
		(3)	उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात्
			यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

# अध्याय- VI प्रकीर्ण

शास्तियां	23	जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने के लिए
		अपेक्षित होते हुए ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या इस प्रकार की
		विवरणी देगा जिसमें कोई ऐसी विशिष्टि है जो मिथ्या है और जिसका
		मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं
		है, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

			_	
बोर्ड की किसी	24		जो कोई	ं व्यक्ति :-
सदस्य, अधिकारी या		(क)		बोर्ड के किसी सदस्य को या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अथवा
अन्य कर्मचारी को				किसी अन्य व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त
उसके कर्तव्यों के				किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में
पालन में बाधित				बाधा डालेगा; या
करने के लिए और		(ख)		किसी लेखा बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण में है या जो उसकी
बहियों और अभिलेखों				अभिरक्षा में हैं, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसी बही या अभिलेखों को
को पेश करने में				पेश करने के लिए अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा, वह कारावास
असफल रहने के लिए				से, जिसको अवधि छह मास तक की हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार
शास्तियां ।				रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
अन्य शास्तियां ।	25			जो कोई इस अधिनिय या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के ऐसे
				उपबन्धों का *(या विनियमों), जो उनसे भिन्न हों जिनके उल्लंघन के लिए
				धारा 20 या धारा 23 या धारा 24 में दण्ड का उपबन्ध किया गया है, उल्लंघन
				करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह
				कारावास से, जिसकी अवधि *(दो साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो
				पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से), और जारी रहने वाले
				उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके
				दौरान ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे उल्लंघन जारी
				रहता है, पचास रूपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

<sup>•</sup> प्रतिस्थापित देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1,दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

कम्पनियों द्वारा	26	(1)		यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया
अपराध ।				गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस
				कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और
				उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के
				दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और
				दण्डित किए जाने के भागी होंगे;
				परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी
				नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी
				जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना
				निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।
		(2)		उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के
				अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह
				साबित होता है कि यह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक,
				सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया
				है, या उस अपराध का किया जाता उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना
				जा सकता है वहाँ ऐसे निदशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी
				उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध
				कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।
				<i>ट्याख्या</i> :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -
			(क)	"कम्पनी " से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत
				फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा
			(ख)	फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।
न्यायलय की	27			महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय
अधिकारिता ।				इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं
				करेगी।
केन्द्रीय सरकारी की	28			इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई
पूर्व अनुमति				अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित किया
				जाएगा।

		l I	
सद्भावपूर्वक की गई	29		इस अधिनियम या तदधीन अधीन बनाए गए नियमों के अधीन
कार्यवाही के लिए			सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए
संरक्षण ।			कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के
			अथवा बोर्ड के या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के अथवा बोर्ड या
			ऐसी समिति के किसी सदस्य के अथवा केन्द्रीय सरकार के या बोर्ड के
			किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के अथवा बोर्ड के किसी अभिकर्ता
			या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।
अधिनियम के	30	(1)	यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां
प्रवर्तन का			पैदा हो गई है जिनमें यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम
निलम्बन ।			द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों में से कुछ का अधिरोपित किया जाना
			समाप्त कर दिया जाए या यदि वह ऐसा करना लोकहित में आवश्यक
			या समीचीन समझती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
			द्वारा, विनिर्दिष्ट विस्तार तक, ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में
			विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी
			के प्रवर्तन को, निलम्बित कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी।
		(2)	जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रवर्तन उपधारा (1) के
			अधीन निलम्बन या शिथिल कर दिया गया है वहां ऐसे निलम्बन या
			शिथिल किए जाने को इस अधिनियम के प्रवृत्त रहने के दौरान किसी
			भी समय केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हटा सकेगी।
		(3)	इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी की जाने के
			पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो,
			तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में
			अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस
			सत्र के पूर्वीनत अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व
			दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो
			जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि
			उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना
			जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी ।
			किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से अधिसूचना के
			पूर्व प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

अन्य विधियों के	31			इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों
लागू किए जाने के				के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।
वर्जित न होना।				
केन्दीय सरकार की	32	(1)		केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के
नियम बनाने की				लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
शक्ति				
		(2)		विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले
				बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए
				उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
			(क)	बोर्ड के उपाध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य;
			(ख)	सदस्यों की पदावधि, और सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों में रिक्तियों को
				भरने की रीति और उनके कृत्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अनुसरण
				की जाने वाली प्रक्रिया;
			(ग)	कार्यपालक निदेशक और सचिव द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली
				शक्तियां और पालन किए जाने वालेकर्तव्य;
			(ঘ)	ये परिस्थितियां जिनमें और यह अधिकारी जिसके द्वारा कोई सदस्य
				हटाया जा सकेगा;
			(롱.)	प्रत्येक वर्ष बोर्ड की न्यूनतम बैठकें करना;
			(핍)	कामकाज के संचालन के लिए बोर्ड की बैठकों में अनुसरण की जाने
				वाली प्रक्रिया और सदस्यों की संख्या जिससे बैठक में गणपूर्ति होगी;

नाना
लक
,
वह
हिए
का
र से
,

<sup>•</sup> लगाया गया देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

<sup>+</sup>संशोधित देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

	(ਜ)	वे अतिरिक्त मामले जिनके सम्बन्ध में बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन
		में उपाय कर सकेगा;
	(থ)	धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति या
		व्यक्तियों को संदेय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते;
	(द)	इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को दी जाने वाली किन्हीं विवरणियों या
		रिपोर्टों का प्ररूप और रीति तथा उनमें अन्तर्विष्ट की जानेवाली
		विशिष्टियां ;
	(ध)	तम्बाक् या तम्बाक् उत्पादों के सम्बन्ध में किसी जानकारी या आंकडों
		का संग्रहण;
	(न)	कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा निहित
		या उपबन्धित किया जाना है या किया जाए ;
(3)		इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्
		यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सच में हो, तीस
		दिन की अविध के लिए रखा जाएगा। यह अविध एक सत्र में अथवा
		दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के
		या पूर्वीक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व
		दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो
		जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि
		उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं
		बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु
		नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की
		गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पडेगा।

		22	(4)		<del></del>
विनियम बनाने	का	33	(1)		बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपने
शक्ति ।					को समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम
					तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
			(2)		पूर्वगामी शक्ति की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे
					विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध
					कर सकेंगे, अर्थात्:-
				(क)	बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली
					प्रक्रिया तथा सदस्यों की संख्या जिससे बैठक में गणपूर्ति होगी;
				(ख)	यह अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों में से किसी
					का बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, कार्यपालक निदेशक, सचिव या अन्य
					अधिकारियों को प्रत्यायोजन;
				(ग)	धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सहयोजित या धारा 7 की उपधारा
					(2) के अधीन सहयुक्त व्यक्तियों को, संदेय यात्रा तथा अन्य भत्ते;
				(ঘ)	बोर्ड के अधिकारियों (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से
					भिन्न हो) और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा छुट्टी और
					सेवा की अन्य शर्तें;
				(ਤ.)	बोर्ड के लखाओं का बनाए रखना;
				(핍)	बोर्ड और उसकी विभिन्न समितियों के रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों
					को बनाए रखना;
				(छ)	बोर्ड की ओर से उसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा
					अभिकर्ताओं की नियुक्ति;
				(ज)	ये व्यक्ति जिनके द्वारा या वह रीति जिसमें बोर्ड की ओर से संदाय,
					जमा तथा विनिवेश किए जा सकेंगे।

	*( <b>झ</b> )	धारा 13-ख के खण्ड (ग) के प्रयोजन हेतु अनुचित प्रयोजनों के लिए और खण्ड
		(ख) के तहत समय जिसके भीतर वर्जीनिया तम्बाक् की पूरी कीमत का
		भुगतान किया जाएगा ।
(3)		बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक
		वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता और राजपत्र में
		प्रकाशित नहीं कर दिया जाता तथा किसी विनियम को अन्मोदित करने में
		केन्द्रीय सरकार उसमें कोई ऐसा परिवर्तन कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत
		होता है।
(4)		केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे विनियम को, जिसे उसने अनुमोदित किया है,
		राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रद्द कर सकेगी और तब वह विनियम प्रभावी नहीं
		रहेगा।
**		हर एक विनियम इस धारा के अधीन जो बना है, उसके बनते ही संसद के
(5)		प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वह सत्रों में हो, जो तीस दिन
		का सत्र या दो सत्र या उससे अधिक समय वाला सत्र हो सकता है। दोनों सदन
		सहमत हो सकते हैं किसी भी विनियम में संशोधन किया जाएँ या दोनों सदन
		सहमत हों कि विनियम नहीं बनना चाहिए, ऐसे संशोधन के बाद ही विनियम
		प्रभाव होगा या न होगा। जो भी हो कि ऐसा संशोधन /या निराकरण उस
		विनियम के तहत कोई पहले किये बिना पूर्वाग्रह मान्यता होगा।

<sup>\* &</sup>amp;\*\* लगाया गया देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-।।, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

### ::30::

# तम्बाक् बोर्ड नियम

सा.का.नि.1 (इ)- केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

#### अध्याय - I

#### प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-
  - (1) इन नियमों का नाम तम्बाक् बोर्ड नियम, 1976 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम " से तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 ( 1975 का 4 ) अभिप्रेत है;
  - (ख) "बोर्ड " से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;
  - (ग) "अध्यक्ष ", "संसाधन ", "व्योहारी ", "कार्यपालक निदेशक ", "निर्यात ", " सदस्य ", "रजिस्ट्रीकृत " और "रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला " पदों के वही अर्थ होंगे जो उनको क्रमश: अधिनियम में दिए गए हैं;
  - (घ) "समिति " से बोर्ड द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त समितियों में से कोई समिति अभिप्रेत है;
  - (इ.) "सचिव " से धारा 6 के अधीन नियुक्त, बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;
  - (च) "धारा "से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
  - (चक) "सरकार" से 'कंद्रीय सरकार' अभिप्रेत है ;
  - (छ) "प्ररूप "से इन नियमों से उपाबध्द प्ररूप अभिप्रेत है;
  - (ज) "उपाध्यक्ष " से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (झ) "वर्ष " से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।
- \*(त्र) "अनुमोदित किस्म "से तम्बाकू के बीजों की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जिसकी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण खेती के लिए सिफारिश की गई है और जिसे दिया गया है, और जिसको ऐसे अभिकरणों द्वारा प्रदाय किया गया है, जिन्हें बोर्ड, समय-समय पर अनुमोदित करें;
- \*(ट) "नर्सरी उगाने वाला " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के बीजोत्पन्न पौधे उगाने के लिए धारा 10क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है;
  - \*(ठ) "वाणिज्यिक श्रेणी देने वाला " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिफल के लिए दूसरों के लिए वर्जीनिया धुंआ संसाधित तम्बाकू का श्रेणीकरण अपने हाथ में लेता है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति नहीं है जो केवल अपने लिए श्रेणीकरण में लगा हुआ है;
- \*(**ड**) "प्रसंस्करणकर्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं में से किसी को अपने हाथ में लेता है, जो वर्जीनिया पत्ती वाली तम्बाकू उस क्षण से की जाती है जब से उसी कारखाने में परिदत्त किया जाता है और कट ब्लेंड के प्रक्रम तक उस पर की जाती है, उदाहरण के लिए लपेटने वाली सामग्री का हटाना, आद्रीकरण, ढीला करना, धूल निष्कर्षण, सिकाई, मिश्रण, स्करण, काटना, आदि;
- \*(ढ) "विनिर्माणकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाक् उत्पाद का विनिर्माण, जिसमें वर्जीनिया तम्बाक् पूर्ण रूप से या ऑशिक रूप से प्रयोग की जाती है, अपने हाथ में लेता है,
- \*(**ण)** "विनियमों " से बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है।

<sup>\*</sup>ធतम्बाक् बोर्ड (संशोधन) नियम 1988, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा खण्ड (ज) से (ण) तक अन्तःस्थापित किया गया।

#### अध्याय - II

#### बोर्ड और उसकी समितियाँ

#### 3. सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति :-

(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग), (घ) और (ड.) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों को नियुक्त करने के पूर्व, ऐसे परामर्श कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे।

\* परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (इ.) के अधीन तम्बाक् उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की नियुक्त करते समय सरकार केवल रजिस्ट्रीकृत उगाने वालों को सदस्यों के रूप में नियुक्त करेगी :

परन्तु यह और कि कम से कम दो ऐसे सदस्य छोटे या सीमान्त उगाने वालों में से होंगे।

टिप्पण: दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए छोटा उगाने वाला वह व्यक्ति है जिसको भूधृति आर्द्रभूमि के दो हैक्टेयर या शुष्क भूमि के 4 हैक्टयर से अधिक नहीं है और सीमान्त उगाने वाला वह व्यक्ति है जिसको भूधृति आर्द्रभूमि के 1 हैक्टेयर या शुष्क भूमि के दो हैक्टेयर से अधिक नहीं है।

(2) जब बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पदत्याग कर देता है या ऐसा समझा जाता है कि उसने पदत्याग कर दिया है या उसे पद से हटा दिया जाता है या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता हे, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना व्छारा, किसी व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कर सकेगी;

परन्तु जहां रिक्ति ऐसी है जो पदावरोही सदस्य द्वारा, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन उसकी संसद की सदस्यता के आधार पर धारित थी, वहां उस रिक्ति के नए पदाधारी की नियुक्ति, संसद के उस सदन द्वारा, जिसका कि वह पदावरोही व्यक्ति सदस्य था, नए निर्वाचन के आधार पर की जाएगी।

<sup>\*</sup> तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) नियम 1988, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा नियम 3 के उप नियम (1) में परंत्क जोड़ा गया।

# 4. सदस्यों की पदावधि:-

- (1) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख), (ग) और (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा, तथा खंड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा;
  - \* परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख), (ग) और (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य, दो कालाविधयों से अधिक के लिए पुन:नियुक्त होने योग्य होगा तथा खंड (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य एक कालाविध से अधिक के लिए पुन:नियुक्त होने के लिए न योग्य होगा।

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह-

- (i) संसद के उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिसके द्वारा वह निर्वाचित किया गया था ; अथवा
- (ii) उस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है, जिससे उसे नियुक्त  $\times$   $\text{$\acute{\mu}$}$ ÖÖ गया था।
- (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, पद धारण करने का हकदार हुआ होता, यदि रिक्ति न हुई होती।

## 5. पद त्याग :-

- (1) कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित, अपने द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।
- (2) किसी सदस्य का पद उसी तारीख से, जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है अथवा पदत्याग के प्रज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा।
- (3) किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्याग-पत्र स्वीकार करने पर उस तथ्य की रिपोर्ट बोर्ड की उसकी आगामी बैठक में देगा।

# 6. बोर्ड से हटाया जाना :-

केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,-

- (क) यदि वह विकृतचित है और िकिसी सक्षम न्यायालय व्छारा उसे ऐसा घोषित किया जा चुका है ; अथवा
- (ख) यदि वह अन्न्मोचित दिवालिया है ; अथवा
- (ग) यदि उसे नैतिक अधमता अन्तर्गस्त करने वाले किसी अपराध के लिए सिध्दद्रोष ठहराया गया है ; अथवा
- (घ) यदि वह, अध्यक्ष की इजाजत के बिना, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थि होने में असफल रहता तो ।
- \*(इ.) अध्यक्ष की इजाजत से बोर्ड की लगातार चार बैठकों में उपस्थित होने में असफल होने पर; परंतु नियम 7 के उप नियम (1) (क) के अधीन सूचितानुसार भारत से बाहर उनका/उनकी अनुपस्थिति के दौरान अनेक बैठकें संपन्न होने पर इस के लिए मान्य नहीं होगा।

# 7. भारत से अनुपस्थिति :-

- (1) बोर्ड के किसी सदस्य के भारत के बाहर जाने के पहले,-
  - (क) वह सचिव को भारत से अपने प्रस्थान की तारीख और भारत में अपने लोटने की प्रत्याशित तारीख प्रजापित करेगा ; और
  - (ख) यदि वह छह मास से दीर्घतर अविध के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा।
- (2) यदि कोई सदस्य उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना भारत छोड़ता है तो वह समझा जाएगा कि उसने भारत से प्रस्थान की तारीख से पदत्याग कर दिया है।

## 8. सदस्यता नामावली :-

सचिव सदस्यों के नामों और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

### 9. पते का परिवर्तन :-

सदस्य अपने पते में किसी परिवर्तन की सचिव को सूचना देगा और यदि वह पते के परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख में के पते को सभी प्रयोजनों के लिए उसका सही पता समझा जाएगा।

#### 10. उपाध्यक्ष :-

- (1) बोर्ड प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से, उपाध्यक्ष का, उसके निर्वाचन की तारीख से, अथवा यदि निर्वाचन किसी विद्यमान उपाध्यक्ष की पदाविध की समाप्ति के पहले किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको ऐसा उपाध्यक्ष पद रिक्त करे, प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अविध के लिए निर्वाचन करेगा।
- (2) यदि उपाध्यक्ष के पद में पदत्याग या उसके सदस्य न रहने के कारण या अन्यथा कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो बोर्ड अपनी आगामी बैठक में किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा जो उपनियम (1) के अधीन निर्वाचित उपाध्यक्ष की पदाविध के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा।

# \*10 क - बोर्ड द्वारा व्यक्तियों का सहयोजन :

- (1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, किसी अन्य निकाय की सिफारिशों के आधार पर या अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में तम्बाक् उद्योग की प्रोन्नित में हितबध्द व्यष्टियों या संगमों के अभ्यावेदनों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।
- (2) ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की पदाविध वह अविध होगी जिस तक बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है या वह अविध होगी जो बोर्ड विनिश्चित करे, इस में जो भी पूर्वतर है।

### 11. बोर्ड की समितियाँ:-

- (1) बोर्ड द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त समितियां या तो सलाहकार या कार्यपालक स्वरूप की हो सकेंगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन जो बोर्ड द्वारा अधिनियम और इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निश्चित किए जाएं, तथा ऐसे निदेशों का भी, यदि कोई हों, अनुपालन करेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिए जाएं।
- (2) समितियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण विनिश्चय बोर्ड के समक्ष उसकी आगामी बैठक में, उसकी सूचनार्थ और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे रखे जाएंगे।

# अध्याय - III

#### बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया

# 12. बोर्ड के अधिवेशन:-

बोर्ड की वर्ष में कम से कम दो सामान्य बैठकें ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होंगी जिन्हें अध्यक्ष ठीक समझे तथा किन्हीं दो सामान्य बैठकों के बीच का अन्तराल किसी भी दशा में आठ मास से दीर्घतर नहीं होगा।

# 13. बैठकें ब्लाने की शक्ति:-

- (1) अध्यक्ष किसी समय, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा और यदि कम से कम \*आठ सदस्यों द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष बैठक की अध्यपेक्षा प्रस्तुत की जाती है तो वह ऐसा कर सकेगा।
  - (2) अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक के अतिरिक्त बोर्ड के किसी अधिकारी से, बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा या उसके लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा, किन्त् ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (3) बोर्ड के किसी अधिवेशन के कम से कम पूरे 14 दिन पहले, आशयित बैठक के समय और स्थान की, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ी जाएगी या डाक से भेजी जाएगी;
  - परन्तु अत्यधिकता की दशा में, अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की विशेष बैठक किसी समय बुलाई जा सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को, विचार-विमर्श की विषय सामग्री की ओर उन कारणों की जिनसे वह उस मामले को अत्यधिक समझता है, पूर्व सूचना देगा।
- (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी समय बोर्ड की बैठक बुला सकेगी।

<sup>\*</sup> सात सदस्य शब्द के लिए आठ सदस्य शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में प्रतिस्थापित किया गया।

# 14. गणपूर्ति:-

- (1) बोर्ड के किसी बैठक में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बैठक में कम से कम \* आठ सदस्य उपस्थित न हों।
- (2) यदि किसी बैठक में उपस्थित् सदस्यों की संख्या किसी समय सदस्यों की उस संख्या से कम है जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट है, तो पीठासीन सदस्य, सदस्यों को स्थिगत बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना देने के पश्चात् बैठक को ऐसी तारीख के लिए स्थिगत कर देगा, जो ऐसी बैठक की तारीख अधिक से अधिक तीन दिन पश्चात् की हो, और तदुपरि ऐसी स्थिगत बैठक में पीठासीन सदस्य के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह आरम्भिक बैठक में किए जाने के लिए आश्यित कामकाज का, उपस्थित सदस्यों की संख्या का विचार किए बिना निपटारा करे।

#### 15. बैठकों का अध्यक्ष:-

अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो बैठक में उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने केलिए अपने में से किसी को निर्वाचित करेंगे।

# 16. कार्य-सूची:-

- (1) अध्यक्ष, ऐसी बैठक में किए जाने वाले कामकाज की सूची तैयार कराएगा और उसे बोर्ड की बैठक के कम से कम दस दिन पहले केन्द्रीय सरकार को और सदस्यों के बीच परिचालित कराएगा।
- (2) कार्य-सूची में सम्मिलित न किया गया कोई कामकाज बोर्ड की किसी बैठक में, अध्यक्ष की अन्जा के बिना नहीं किया जाएगा।

#### 17. मतदान:

- (1) बोर्ड की बैठक के समक्ष लाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
- (2) मत बराबर होने की दशा में, ऐसी बैठक में पीठासीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

<sup>\*</sup> छ: सदस्य शब्द के लिए आठ सदस्य शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में प्रतिस्थापित किया गया।

#### 18. परिचालन द्वारा कामकाज का किया जाना:-

- (1) कोई कामकाज जो बोर्ड द्वारा किया जाना है, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश करे, तो कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं है ) को निर्देशित किया जा सकेगा तथा इस प्रकार परिचालित कागज-पत्रों की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएंगी।
- (3) उपनियम (1) के अधीन परिचालित और उन सदस्यों के, जिन्होंने अपने विचार लेखबध्द कर दिये हैं, बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्थापना या संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आबध्दकर होगा मानो ऐसी प्रस्थापना या संकल्प का विनिश्चय बोर्ड की किसी बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा किया गया था; परन्तु यह बत जब कि बोर्ड के कम से कम \*आठ सदस्यों ने उस प्रस्थापना या संकल्प कर अपने विचार अभिलिखित कर दिये हों;

परन्तु यह और जब कोई प्रस्थापना या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्देशित किये जाएं तो कोई भी पांच सदस्य यह अपेक्षा कर सकगे कि उस प्रस्थापना या संकल्प को किसी बैठक में सदस्यों को निर्देशित किया जाए और तद्परि सदस्यों को ऐसे निर्देश बोर्ड की किसी बैठक में किये जाएंगे।

- (1) जहाँ कोई कामकाज उपनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्देशित किया जाता है वहाँ कम से कम पूरे दस दिन की अविध सदस्यों से उत्तरों की प्राप्ति के लिये दी जाएगी और ऐसी अविध की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसकी कामकाज की सूचना जारी की जाती है।
- (2) यदि इस नियम के अधीन कोई प्रस्थापना या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।
- (3) कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा प्रश्नों की बाबत किये गये सभी विनिश्चय अभिलेखार्थ बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाएंगे।

#### 19. कामकाज का अभिलेख:-

- (1)बोर्ड द्वारा किये गये कामकाज की मदों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।
- (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में किये गये कामकाज के अभिलेख पर, ऐसी बैठक में पीठासीन यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य दवारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- (3) जब कोई कामकाज कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार किये गये कामकाज के अभिलेख पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

# 20. पुनर्विलोकन:

- (1)केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से, जो लेखबध्द किये जाएंगे, बोर्ड के किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उस मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे।
- (2) उपनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को भेजी जाएगी।
- (3) उपनियम (2) के अधीन आदेश की प्रति की प्राप्ति पर, बोर्ड, उक्त आदेश के विरूध्द केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन कर सकेगा तथा केन्द्रीय सरकार ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, अपने द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश को या तो रद्द, उपान्तरित या पुष्ट कर सकेगी या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगी जो उसकी राय में न्यायसंगत या समीचीन हो।

#### अध्याय - IV

#### बोर्ड का वित्त, बजट और लेखा

#### 21. बजट प्राक्कलन:-

- (1) बोर्ड प्रति वर्ष, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेगा और उन्हें ऐसी तारीखों को या उनके पहले, जो सरकार द्वारा नियम की जाएं, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये प्रस्तुत करेगा। पुनरीक्षित बजट, मंजूर किये जाने पर, मूल बजट को अधिकांत करेगा और उस वर्ष का मंजूर किया गया बजट समझा जाएगा।
- (2) कोई भी व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट मंजूर नहीं कर दिया जाए और व्यय की बाबत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न हो गई हो।
- (3) बजट ऐसे निदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जो समय-समय पर जारी किये जाएं और वह ऐसे रूप में होगा, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। इसमें निम्नलिखित की बाबत कथन अन्तर्विष्ट होगा:
  - (i) प्राक्कलित अधिशेष;
  - (ii) धारा 17 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विभिन्न शीर्षों के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियां;
  - (iii) निम्नलिखित शीर्षों और उपशीर्षों या ऐसे अन्य शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे, वर्गीकृत प्राक्किलत व्यय;

#### शीर्ष:-

- (क) प्रशासन;
- (ख) तम्बाक् उत्पादन और संसाधन का विकास;
- (ग) अन्तर्देशीय विपणन स्विधाएं, जिनके अन्तर्गत श्रेणीकरण भी आता है;
- (घ) अनुसंधान;
- (इ.) कीमत अवलम्ब सक्रियाएं;
- (च) बाजार सर्वेक्षण;
- (छ) व्यापार प्रतिनिधिमंडल;
- (ज) प्रदर्शनियां और मेले;
- (झ) आंकड़े;
- (ण) संकर्म;
- **(ट)** प्रचार और विख्यापन;
- (ठ) अन्य।

#### उपशीर्ष :-

- (i) अधिकारियों का वेतन;
- (ii) स्थापन का वेतन;
- (iii) भत्ते, मानदेय और समरूप देय, तथा
- (iv) अन्य प्रभार, आकस्मिक व्यय और ऐसे ही खर्च।
- (4) व्यय के अनुप्रक प्राक्कलन, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये, ऐसे रूप में और ऐसी तारीखों को प्रस्तुत किये जाएंगे, जो उसके द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट की जाएं।

#### 22. बोर्ड के लेखा:-

- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्यय के लेखा रखेगा;
- (2) किसी विशिष्ट वर्ष में उपगत व्यय पृथक शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन दर्शित किया जाएगा।
- (3) अधशेष का, यदि कोई हो, उस रूप में पृथक उल्लेख किया जाएगा।
- (4) वर्ष का इतिशेष लेखाओं में सब से नीचे व्यय की और दिखाया जाएगा।
- (5) उपचय आधार पर वार्षिक कच्चा लेखा भी, आस्तियों और दायित्वों तथा आरक्षतियों और विनिधानों के ब्यौरे निकालने के लिये तैयार किया जाएगा।

#### 23. बोर्ड की निधियों का बैंकों में निक्षेप और ऐसी निधियों का विनिधान:-

- (1) बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उपखजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक \*(अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
- (2) चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में # या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समन्षंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधिया भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में, अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में ) आविधक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

\*(" स्पष्टीकरण: उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में "राष्ट्रीयकृत बैंक" जो बेंकिंग कंपेनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण ) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत है) "...

(3) बोर्ड द्वारा या उसकी और से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चैक द्वारा किया जाएगा।

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ॥ तम्बाक् बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में अन्तः स्थापित किया गया।

<sup>#</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.5.1988 द्वारा प्रकाशित ॥ तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में अन्तःस्थापित किया गया।

<sup>+</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ग्रं तम्बाक् बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में प्रतिस्थापित किया गया।

#### अध्याय - V

## बोर्ड, अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और सचिव की शक्तियाँ

#### 24. व्यय उपगत करने और हानियों का बहेखाते डालने की शक्तियाँ:-

- (1) अधिनियम, इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के सम्बन्ध में बनाए गये, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड उन मदों पर जिन के लिये बजट में सरकार द्वारा उपबन्ध किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी रकमों के भीतर इतना व्यय कर सकेगा जितना वह उचित समझे।
- (2) + बोर्ड, उसके द्वारा दस हजार रूपए तक की उपगत हानियों को, यदि वह हानि किसी एक मामले में चोरी, कपअ और उपेक्षा के कारण हुई हो, और बीस हजार रूपए तक ही हानि को जहाँ ऐसी हानि किसी एकल मामले में लोक धन, विभायीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टेम्प, भंडार या बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त धारित किसी अन्य संपत्ति से संबंधित हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी की गई साधारण शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, अपलिखित कर सकेगा। किसी वर्ष में हानियों के अपलिखित में कुल रकम एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी इस रकम से अधिक की हानियाँ केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अपलिखित की जाएँगी।
- (2-क) उप नियम (2) के अधीन हानियाँ बहेखाते डालते समय बोर्ड निम्नों को अपनाता है, क्रमश:-
  - (i) यह हानि केंद्रीय सरकार द्वारा बनायेगये नियमों में या बोर्ड द्वारा धारा 33 के अधीन बनाये गये विनियमों या बोर्ड द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं में कमी के रूप में प्रकट नहीं होती है;
  - (ii) उक्त (i) में संदर्भित नियमों, विनियमों या पक्रियाओं के साथ पालन करने में कोई प्रकट नहीं होगा;

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ॥ तम्बाक् बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में अन्तःस्थापित किया गया।

<sup>+</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.21.12.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1988 में संशोधित किया गया।

- (iii) यह हानि बोर्ड के कर्मचारी के गंभीर व्यपगमन या अनवधान या कार्य की लापरवाही के लिए आरोप्य नहीं किया जायेगा, यदि यह हानि बोर्ड के कर्मचारी के ऐसी व्यपगमन, अनवधान या कार्य में लापरवाही, यदि वह सही या पर्याप्त कारण दिखाने पर भी कर्मचारी से इस हानि राशि को रिलीज नहीं किया जायेगा;
- (iv) यदि अग्नि, बाढ, भूकंप, चक्रवात वर्षा या अन्य कोई प्राकृतिक आपित्तयों के कारण हानि हो तो, तथ्यों का सही रिपोर्ट सुनिश्चित होने तथा बोर्ड के संपूर्ण संतोष प्राप्त होने पर उक्त परिस्थितियों से यह हानि वर्जिनीय होगा।
- (3) व्ययों के शीर्षों के अधीन उपशीर्षों के बीच बोर्ड द्वारा पुनर्विनियोग किये जासकेंगे।
- (4) बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार पए से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

#### 25. उधार लेने की शक्तियाँ:-

बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने के लिये, तम्बाकू निधि या अपनी अन्य आस्तियों में से किसी की प्रतिभृति पर धन उधार ले सकेगा।

#### 26. संविदाएँ:

- (1) बोर्ड अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये कोई भी संविदाएं कर सकेगा; परन्तु-
  - \* (क) नियम 32 के उपबन्धों के अधीन वर्जीनिया तम्बाकू के लिये या उस के वास्तिवक क्रय या विक्रय के लिये संविदा से भिन्न प्रत्येक संविदा, जो तीन वर्ष से अधिक की अविध के लिये हो या जिस में बीस लाख रूपये से अधिक व्यय अन्तर्ग्रस्त हो; तथा
    - (ख) फर्मों और विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्श सेवाओं के लिये प्रत्येक करार या संविदा, के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।
- भारत के राजपत्र असाधारण, में दि.21.12.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (दूसरा संशोधन)
   नियम, 1988 में संशोधित किया गया।

- (2) संविदाएं बोर्ड के लिये तब तक आबध्दकर नहीं होंगी जब तक कि उन्हें सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी दवारा निष्पादित नहीं किया जाता है।
- (3) बोर्ड का न तो अध्यक्ष और न कोई अधिकारी और न उसका कोई सदस्य, बोर्ड द्वारा दिये गये किन्हीं हस्तान्तरण-पत्रों या की गई संविदाओं के अधीन वैयक्तिक रूप से दायित्वाधीन होगा और ऐसे हस्तान्तरण-पत्रों या संविदाओं के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी दायित्व का उन्मोचन बोर्ड के व्ययनाधीन धनों में से किया जाएगा।

### 27. साधारण वित्तीय संव्यवहार:

इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शिक्तयों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा उन में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

'28 अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-

- (1) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (2) अध्यक्ष को, केन्द्रीय सरकार के समक्ष इस संबंध में निर्णय लंबित रहने तक बोर्ड अथवा समिति द्वारा, जैसा मामला हो, लिए गए निर्णय के अनुसरण में बोर्ड अथवा उसकी किसी समित द्वारा की जा रही कार्रवाई को आस्थगित रखने का अधिकार होगा।
- (3) जहां किसी मामले का बोर्ड अथवा समिति द्वारा निपटान किया जाना है और उस मामले पर निर्णय के लिए बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की बैठक के आयोजन तक इंतजार नहीं किया जा सकता है अथवा उस मामले से संबंधित संकल्प का बोर्ड या समिति, जैसा मामला हो, के सदस्यों के बीच परिचालन तक, अध्यक्ष स्वयं निर्णय ले सकेंगे।
- (4) जहां अध्यक्ष उप-नियम (3) के तहत निर्णय लेते हैं वहाँ वह उसे बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की अगली बैठक में इस मामले का अनुसमर्थन कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

परंतु शर्त यह है कि जहाँ बोर्ड अथवा सिमिति, अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का संशोधन करती है अथवा उसे निरस्त करती है, तो यह संशोधन अथवा निरसन इस संशोधन अथवा निरसन से पूर्व की गई किसी कार्रवाई की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।''

मूल नियम में नियम 29 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "29 कार्यपालक निदेशक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

- (1) कार्यपालक निदेशक बोर्ड के प्रमुख कार्यपालक होंगे और वह इस अधिनियम के तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन बोर्ड के उचित कार्य संचलन तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) कार्यपालक निदेशक को निम्नलिखित शक्तियों प्राप्त होंगी, अर्थात्:-
  - (i) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना;
  - (ii) बोर्ड के सभी विभागों एवं कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना;
  - (iii) बोर्ड के कार्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे गए या इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित दस्तावेजों और रिकार्डों को मंगा सकेगा और व्यवसायों अथवा सॉर्टिंग, क्यूरिंग, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण अथवा नीलामी स्थानों सहित किसी भूमि अथवा परिसर का निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना;
  - (iv) बोर्ड के कार्यालय के कार्य संचालन हेतु अपेक्षित आकस्मिक व्यय, आपूर्तियों अथवा सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद की संस्वीकृति प्रदान करना; तथा
  - (v) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 में उल्लिखित उपाय करना।
- (3) कार्यपालक निदेशक वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन तथा आंतरिक विपणन का विनियमन करने, उपजकर्ताओं को उचित, एवं लाभकारी कीमत सुनिश्चित कराने, बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उपजकर्ताओं से वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करने, इस प्रकार क्रय की गई तंबाकू की बिक्री करने, उपजकर्ताओं के स्तर पर वर्जीनिया तंबाकू के ग्रेडिंग का संवर्धन करने, तथा तंबाकू उद्योग के संवर्धन हेतु प्रायोजन करने, सहायता प्रदान करने, समन्वयन करने या वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान करने हेतु बोर्ड की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यपालक निदेशक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यों का निष्पादन करने में बोर्ड यूनियन, एजेंसियों, संस्थानों और प्राधिकारियों, जैसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आदि, जैसे प्राधिकरणों, जिनका तंबाकू उद्योग के इन पहलुओं से संबंध है, के निकट समन्वय से कार्य करते है और कार्य के दोहरेकरण से बचा जाता है।
- (4) कार्यपालक निदेशक अपने प्रभार के अंतर्गत कार्यों तथा उप नियम (3) में परिगणित कार्यों के बारे में बोर्ड को ऐसी आविधक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिन्हें या सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित किया जाए।"

  मूल नियमें के नियम 30 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात :-

"30 सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) सचिव, बोर्ड अथवा उसकी समितियों द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (2) कार्यपालक निदेशक द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अध्यधीन सचिव-
  - (क) बोर्ड में प्रस्तुत किए गए सभी महत्वपूर्व दस्तावेजों एवं मामलों को यथाव्यवहार्य अति शीघ्र मंगवाएंगें ;
  - (ख) बोर्ड के निर्णयों का अनुपालन कराने के तरीकों के संबंध में निदेश जारी करेंगे ;
  - (ग) बोर्ड के व्यय एवं प्राप्तियों का एक खाता रखेंगे अथवा अनुरक्षित रखवाएंगे और इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विभिन्न रजिस्टर रखवाएंगें।
  - (घ) अधिनियम की धारा 10 से 13 के अंतर्गत बोर्ड में पंजीकरण हेतु उपजकर्ताओं, क्यूर्स, निर्यातकों, पैकर्स, नीलामीकर्ताओं, डीलरों, नीलामी मंचों के स्वामियों अथवा लीज प्रदाताओं से आवेदन प्राप्त करेंगे, बोर्ड की नीति, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उनकी जांच करेंगे और आवेदकों के आवेदनों पर आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे अथवा अन्यथा निर्णय की सूचना देंगे।

- (इ.) अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित उपबंधों तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्णयों के विरूद्ध लिखित या मौखिक अपील प्राप्त करेंगे और उन पर सम्चित कार्रवाई करेंगे।
- (च) बोर्ड के कार्यकरण संबंधी वार्षिक मसौदा रिपोर्ट अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वह रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में केंद्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पुरस्थापित करने के लिए केन्दीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्धारित तारीखों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
- (छ) कार्यपालक निदेशक के सभी प्रशासनिक मामलों में तथा कार्यपालक निदेशक द्वारा यथानिर्धारित अन्य सभी मामलों के निर्वहन में सहायता करेंगे।"

#### \*अध्याय - V क

#### बोर्ड के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते

#### 30क बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते:

- (1) सरकारी सेवक से भिन्न, बोर्ड या किसीसमिति का कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत सहयुक्त या सहयोजित सदस्य भी है; बोर्ड के या उसकीसभ्यक्तः गठित किसी सिमिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या सम्बध्द सिमिति द्वारा उसे सौंपे गए किसीर् कत्तव्य का निर्वहनकरने के प्रयोजनके लिए उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत सरकार द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुजेय उच्चतम दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) निकाल दिया गया।

\* अध्याय Vक भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.6.9.1980 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड के (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 में अंत:स्थापित किया गया।

<sup>\*\*</sup> भारत के राजपत्र, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.12.01.1985 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड के (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 के अनुसार निकाल दिया गया।)

- (3) किसी सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उसने यात्रा और विश्राम की बावत जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्त्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।
- (4) यात्रा भत्ता सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से अधिवेशन के स्थान तक या ऐसे स्थान तक जहाँ वह बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी कारबार को करने के लिए गया है और उस स्थान से वापस उसके निवास स्थान तक संदेय होगा:

परन्तु जब यात्रा उसके प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से आरंभ होती है या समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक सीमित होगा जो तब संदेय होती जब यात्रा प्रायिक निवास स्थान से आरंभ होती और वहांँ समाप्त होती या उस रकम तक सीमित होगा जो वास्तव में की गई यात्रा को बावत संदेय है, इनमें से जो भी कम है:

परन्तु यह और भी कि विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अध्यक्ष किसी स्थान के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न स्थान से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।

(5) अध्यक्ष, बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्तों के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।

#### 30 ख सवारी भत्ता:

बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड का कोई अन्य कारबार करने के लिए कोई सवारी भत्ता उन सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता लेते हैं।

परन्तु ऐसे सदस्य को जो ऐसे स्थान का निवासी है जहाँ बोर्ड या उसकी किसी समिति का अधिवेशन होता है या जहाँ बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संव्यवहार होता है, उसके द्वारा सवारी पर उपगत वास्तविक खर्च का संदाय किया जा सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए अधिक से अधिक दस रूपए होगा।

#### अध्याय - VI

### वर्जीनिया तम्बाक् की न्यूनतम निर्यात कीमतें तथा क्रय, विक्रय और निर्यात

## 31. न्यूनतम निर्यात कीमतें :

- (1) प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक बोर्ड केन्द्रय सरकार क विचारार्थ उन न्यूनतम कीमतों की सिफारिश करेगा जो उसकी दृष्टि में वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात के लिए तथा तम्बाकू की ऐसी अन्य किस्मों के लिए, जिनके निर्यात की सम्भावना हो, नियत की जानी चाहिए।
- (2) उक्त न्यूनतम निर्यात कीमतों की सिफारिश करने में बोर्ड, ऐसे अन्य विषयों के अतिरिक्त जो स्संगत समझे जाएं, निम्नलिखित विषयों पर विचारा करेगा, अर्थात् :-
  - (i) पूर्ववर्ती फसलों से उपलब्ध अधिशेष और नई फसल का परिमाण ;
  - (ii) आन्तरिक उपभोग के लिए और निर्यातों के लिए कुल निर्धारित मांग ;
  - (iii) गत 12 मास के दौरान क्वालिटी-वार, औसतपोत-पर्यन्त नि:शुल्क मात्रक मूल्य वसूली और गत तीन मास के दौरान कीमतों की प्रवृति ;
  - (iv) खेती की लागत में परिवर्तन ;
  - (v) न्यूनतम निर्यात कीमतों को इतना आकर्षक बनाने की आवश्यकता से संगत, जिससे कि सम्पूर्ण निर्यातयोग्य अधिशेष को ध्यान में रखा जा सके उगाने वालों को उचित और लाभप्रद प्रतिफल सुनिश्चित करने की वांछनीयता
- (3) बोर्ड की सिफारिशों के साथख् उन सिफारिशों पर पहुचने के लिए विचारगत की गई आधार-सामग्री का व्यौरेवार विश्लेषण होगा तथा वह रीति भी दर्शित की जाएगी जिस में उक्त सिफारिश की गई कीमतें निकाली गई हैं।
- (4) यदि और जब बोर्ड की राय में, ऐसी स्थित उत्पन्न होती है, जिस से वर्ष के अनुक्रम में उक्त न्यूनतम निर्यात कीमतों का पुनरीक्षण आवश्यक हो जाए, अथवा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी वांछा की जाए, तो बोर्ड, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सिफारिश के अतिरिक्त सरकार को उस के विचारार्थ विशेष सिफारिश भी देगा।

#### 32. वर्जीनिया तम्बाक् का क्रय :

- (1) बोर्ड भारत में वर्जीनिया तम्बाकू उगाने वालों से उस स्थिति में जब कि यथास्थिति बोर्ड या केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि उगाने वालों के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा कदम आवश्यक या समीचीन है, ऐसी तम्बाकू खरीद सकेगा, और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया यजाए तो उसे खरीदेगा।
- (2) बोर्ड द्वारा इस प्रकार खरीदी गई तम्बाकू का, भारत में या विदेश में उसके द्वारा, जैसे हो और जब समुचित समझा जाए और ऐसी रीति में, जो बोर्ड ठीक समझे या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए, व्ययन किया यजाएगा ।
- (3) बोर्ड अपने द्वारा खरीदी गई वर्जीनिया तम्बाक् का सनिर्यात करने में भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम का यथासम्भव अधिकतम उपयोग करेगा ।
- (4) बोर्ड उन तम्बाकू क्रय संक्रियाओं से, जो उस के द्वारा की जाएं, केन्द्रीय सरकार को पूर्णतया अवगत रखेगा तथा ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक निर्देशों या निर्बन्धनों आदि का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्रयों के बारे में जारी या अधिरोपित किया जाए, तथा निर्यातों सिहत उन विक्रयों का भी, जो बोर्ड द्वारा इस प्रकार क्रय किये गए स्टाकों में से किए जाने हैं, अन्वर्तन करेगा।
- (5) वे कीमतें, जिन पर बोर्ड द्वारा वर्जीनिया तम्बाक् खरीदी या बेची जाएगी, ऐसे मार्गदर्शक निदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट रूप से उस प्रयोजन के लिए बोर्ड को निदेशों द्वारा समय समय पर अधिरोपित करे, ऐसी होंगी, जो उस के द्वारा उपयुक्त समझी जाएं।

#### अध्याय - VII

# ग्रोयरों, संसाधकों, निर्यातकों, पैकरों तथा नीलामीकारों का रजिस्ट्रेशन तथा तम्बाक् डीलर

# \*33. वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण:

- (1) वर्जीनिया तम्बाक् उगाने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए, बोर्ड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए किसी वर्ष में किसी राज्य में वर्जीनिया तम्बाक् उगाने के लिए संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के पांच मास पूर्व, किन्तु निम्नलिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा:
  - (क) कर्नाटक, \*\* ओडिसा और \*\*तमिलनाडु के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाक् के उगाने वालों की दशा में 31 जनवरी,
  - (ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में वर्जीनिया, तम्बाकू के उगाने वालों की दशा में 31मार्च, और
  - (ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों की दशा में 31 मई।
- (2) बोर्ड, विपणन की दशा गत वर्ष का उत्पादन, आगामी वर्ष में वर्जीनिया, तम्बाकू का प्रत्याशित उत्पादन, और अन्य संबंधित बातों को ध्यान रखते हुए उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख, समय-समय पर, सभी राज्यों में या किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में बढ़ा सकेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अर्न्तविष्ट होंगी।

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.5.1988 को प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड के (संशोधन) नियम, 1988 द्वारा संशोधित नियम 33 से 40 तक तारीख 16.05.1988 को प्रवृत्त होगा।

<sup>\*\*</sup> ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि-VI) द्वारा तारीख 2.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भूमि के प्रत्येक 0.4 हेक्टेयर के लिए या उसके ऐसे भाग के लिए, जिसके संबन्ध में ऐसा आवेदन किया गया है, 1 रूपये की फीस होगी।
- (5) धारा 10 के अधीन मंजूर किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्ररूप 2 में होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।
- (6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण एक समय पर ऐसे प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित एक वर्ष की कालाविध के लिए होगा।
- (7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण केवल उस वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है।

# 33क. वर्जीनिया तम्बाक् के उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट बातों का ध्यान रखते हुए वर्जीनिया, तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन को विनियमित करने की दृष्टि से नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति निम्नलिखित रीति से सभी में या किसी में प्रकाशितं की जायेगी, अर्थात्, पुस्तक या पुस्तिका के रूप में या व्यापक रूप से प्रचालित समाचार पत्रों में अधिसूचना दवारा।
- (2) बोर्ड एक समिति का (जिसे इस नियम और नियम 33 ख में इसके पश्चात् समिति कहा गया है ) गठन करेगा जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कसौटी अधिकथित करने के लिए पांच सदस्य होंगे।
- (3) कसौटी अधिकथित करते ह्ए सजय समिति निम्नलिखित बातों का ध्यानरखेगी:
  - (क) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिकथित की गई उत्पादन नीति,
  - (ख) वर्जीनिया तम्बाक् उगाने में आवेदक का पूर्व अनुभव,
  - (ग) वह प्रसुविधायें जो आवेदक तम्बाकू की खेती और फलू संसाधन करने के लिए रखता है,

- (घ) स्धार की हुई सांस्कृतिक पध्दितियाँ, जो उगाने वाले के द्वारा अपनाई जा रही है,
- (इ.) क्या उगाने वाला नर्सरी उगाने वाला भी है?
- (च) अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों और रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों, बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों और अधिकथित अनुबन्धों का अनुपालन करने में उगाने वाले का आचरण,
- (छ) ऐसी अन्य संबन्धित बातें जो समिति आवश्यक समझे।
- (4) उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, सचिव या नियम 33 के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि ऐसी जांच करने- करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूरा करता है तो वह यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या रजस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर कर देगा।
- (5) उपनियम (4) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी ऐसी और जानकारी किसी आवेदक से मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव अथवा अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि ऐसी मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी अन्य विशिष्टियों सहित आवेदन को समिति के समक्ष विचार के लिए रखेगा।
- (6) यदि किसी कारण से सचिव या अन्य अधिकारी समझता है कि रजिस्ट्रीकरण या रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण किसी आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो वह मामूली समिति के समक्ष रखा जायेगा जो, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे या तो ऐसा रिजस्ट्रीकरण अथवा रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर कर सकेगी या मंजूर करने से इंकार कर सकेगी।

- (7) समिति का विनिश्चय आवेदक को ऐसे विनिश्चय को तारीख से 15 दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।
- (8) जहाँ समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण से इन्कार किया जाता है वह ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी विनिश्यच की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस उप-नियम (9) के अधीन किए गए व्ययदेशन पर यदि कोई हो, पारित किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के पश्चात् ययाशक्य शीघ्र किन्तु यथा स्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन पश्चात् नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् किया जायेगा।
- (9) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए सिमिति द्वारा नामंजूर किया गया है, एसे व्यक्ति को विनिश्चय की संसूचना के 30 दिन के भीतर सिमिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

# 33 ख रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त-

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वाले को मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-
  - (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गयाथा, अथवा
  - ख) संबंधित उगाने वाले ने अधिनियम के या इन नियमों अथवा किसी विनियम के अथवा बोर्ड के अनुबन्धों के किसी उपबन्धों का, जहाँ तक वह उसको लागू है अथवा किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण मंजूर किया गया था, उल्लंघन किया है।

- (2) इन नियमों के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण रद्द नहीं किय जायेगा जब तक कि संबंधित उगाने वाले को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया होगा।
- (3) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है, वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित विनिश्यच किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसूचित किये जाने की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के रद्दकरण से किसी अन्य कारवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकेगी, प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 33 ग नर्सरी उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण:

- (1) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय, किसी वर्ष में किसी राज्य में संक्रियाओं के प्रारम्भके तीन मास पूर्व किन्तु निम्नलिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा-
  - (क) कर्नाटक, \* ओडिसा और तमिलनाडू में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 जनवरी,
  - (ख) ग्जरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 मार्च, और
  - (ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 मई।

<sup>\*</sup> ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि VI) द्वारा तारीख 22.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (2) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, प्रभावी नहीं रह जाएगा। ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन वैसी ही रीति से किया जाएगा, जो उपनियम (1) के उपबंधित की गई है।
- (3) बोर्ड मौसम संबंधी दशाओं और अन्य सम्बध्द बातों को ध्यान में रखते हुए, नर्सरी उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या समय-समय पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के नवीकरण के निए सभी राज्यों में या किसी राज्य अथवा किन्ही राज्यों में आवेदन प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ा सकेगा।
- (4) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 3 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट होंगी।
- (5) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रत्येक 0.1 हैक्टेयर या उसके भाग के लिए 50 रूपए की फीस होगी।
- (6) नर्सरी उगाने वाले के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को प्ररूप 4 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जायेगा जो ऐसा शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

# 33 घ नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) बोर्ड एक सिमिति का [ जिसे इसके पश्चात् इस नियम में और नियम 33 च में सिमिति कहा गया है ] गठन करेगा, जिसमें वर्जीनिया तम्बाक् के नर्सरी उगाने वालों के रूप में रिजिस्ट्रीकरण या रिजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कसौटी अधिकथित करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) कसौटी को अधिकथित करते ह्ए समिति निम्नलिखित बातों का ध्यान रख रखेगी-
  - (क) आगामी वर्ष के दौरान वर्जीनिया तम्बाकू के बीजोत्पन्न पौधों के लिए प्रत्याशित मांगा,
  - (ख) बीजों की वह किस्म, जो उपयुक्त समझी जायेगी,
  - (ग) नर्सरी विकासित करने के लिए मिट्टी और स्थल की उपयुक्तता,
  - (घ) आश्वासित जल प्रदाय की उपलब्धता,
  - (इ.) तम्बाक् नर्सरी विकसित करने में आवेदक का पूर्ण अनुभव,
  - (च) अधिनियम के उपबन्धों इन नियमों और विनियमों, बोर्ड की शर्तों और अनुबन्धों का अन्पालन करने में आवेदक का आचरण, और
  - (छ) ऐसी अन्य आवश्यक शर्तें, जो वह ठीक समझे।
- (3) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 33 ग के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और वह ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि ऐसी जांच करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूर्ण करता है तो वह यथा स्थिति रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर करेगा।

- (4) उपनियम (3) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त नियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी किसी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक इस प्रकार मांगी गई ऐसी और जानकारी सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी आवेदन को अन्य विशिष्टियों सहित समिति के समक्ष विचार के लिए रखेगा।
- (5) यदि किसी कारण से सचिव या अन्य अधिकारी यह समझता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किसी आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो मामला समिति के समक्ष रखा जायेगा, जो ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसको वह ठीक समझे ऐसा रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण या तो मंजूर कर सकेगी अथवा उससे इन्कार कर सकेगी।
- (6) समिति का विनिश्चय आवेदक को विनिश्चिय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।
- (7) जहाँ रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण सिमित द्वारा मंजूर किया जाता है वहाँ ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी आवेदक को विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर विनिश्चय सिहत संसूचित किए जाएंगे और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, उपनियम (8) के अधीन किये गये व्यपदेशन पर यदि कोई हो पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय के तीस दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र किन्तु यथास्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति के अथवा बोर्ड के व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पश्चात् 15 दिन के पश्चात् नहीं आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
- (8) कोई व्यक्ति, जिसका नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसरदेने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

# 33 ड. नर्सरी उगाने वालों के द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्त्त की जाने वाली विवरणियां --

- (1) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला प्ररूप 5 और प्ररूप 6 में रजिस्टर रखेगा और यउन्हें ब्र्ड के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।
- (2) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला सचिव को या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 7 और प्ररूप 8 में विवरणियां उनमें विनिर्दिष्ट समय पर प्रस्त्त करेगा।

# 33 च नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दात-

- (1) नर्सरी उगाने वाले को मंजूर किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण समिति दवारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-
- (क) ऐसा रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण्ं गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या
- (ख) संबंधित नर्सरी उगाने वाले ने अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अथवा उसके अधीन बनाये गये इन नियमों या किसी विनियम का अथवा ऐसी किसी शर्त का, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण या एसका नवीकरण मंजूर किया गया था, उल्लंघन किया है।
- (2) इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है वहां समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित विनिश्चय किये जाने के पश्चारत यथाशक्य शीघ्र सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, उस व्यक्ति को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड की व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात व्यपदेयशन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या उसके नवीकरण से किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा जो इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किया जा सकता है।

## 34. वर्जीनिया तम्बाक् के संसाधकों का रजिस्ट्रीकरण-

- (1) प्लू संसाधन से भिन्न प्रक्रिया द्वारा वर्जीनियां तम्बाकू को संसाधन करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड के पास संसाधक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए ऐसे तम्बाकू के संसाधन का प्रारम्भ के तीन मास पूर्व सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए । यदि संसाधक धारा 10 के अधीन उगाने वाले के रूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी चाहता है संसाधक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसी समय पर किया जायेगा जब उगाने वाले के रूप में रिजस्ट्रीकरण या रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।
- (2) (क) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाना होगा और यदि वह इस प्रकार नवीकृत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण उस वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था ।
  - (ख) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन सचिव को या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को किया जायेगा, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन भी है, प्ररूप 9 में होगा ।
- (4) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 5 रूपए की फीस होगा:

परन्तु वर्जीनियां तम्बाक् के किसी ऐसे उगाने वाले से जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है और जिसका आशय वर्जीनियां तम्बाक् उगाने का है, यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे संसाधक के रूप में किसी पृथक फीस का संदाय करे।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां मंजूर किया गया हो, प्ररूप 10 में होगा।

# 34 क संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त-

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात इस नियम और नियम 34 ख में समिति कहा गया है ) गठन करेगा जिसमें नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और अपनी सिफारिश सहित आवेदन को उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो सिमिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (8) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करेगी और रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से यइंकार यकरते हुए उस पर ऐसा विनिश्चय करेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) जहां समिति उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण की मंजूरी को नामंजूर करती है अथवा उपनियम (4) अधीन रजिस्ट्रीकरण या यनवीकरण मंजूरी करने से इंकार करती है, वहां वह ऐसे विनिश्चय के लिए कारण अभिलिखित करेगी।
- (6) रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए इंकार करने वाला समिति का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों सिहत सचिव या उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा आवेदक को विनिश्चय की तारीख से द्रंह दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा।

- (7) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है वहां आवेदक द्वारा संदाय की गई फीस उपनियम (9) (ख) के अधीन किए गए व्यपदेशन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के पश्चात यथासव्यशीघ्र किन्तु यथ्ांस्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पश्चात पन्द्रह दिन के पश्चात नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की उसमें से कटौती करने के पश्चात, वापस कर दी जाएगी।
- (8) (क) वर्जीनियां तम्बाकू के संसाधक के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण करने में अथवा रजिस्ट्रीकरण या यरजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इंकार करने में निम्निलेखित बातों का ध्यान रखा जाएगा :-
  - (i) उपस्कर और अन्य प्रसुविधाएं जो आवेदक के पास हैं और वर्जीनियां तम्बाकू का संसाधन करने में आवेदक का अनुभव;
  - (ii) उत्पादन का विनियमन करते ह्ए बोर्ड की उत्पादन नीति;
  - (iii) तम्बाक् की कुल मात्रा, जिसे विशेष प्रदेश में संसाधित किए जाने की आशा की जाती है:
  - (iv) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, और
  - (v) ऐसी अन्य बातें जो समिति ठीक समझे।
  - (ख) संसाधक के रूम में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण से इंकार करने में, खंड (क) में वर्णित विषयों के अतिरिक्त इस बात की भी ध्यान रखा यजाएगा कि संसाधक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर बनाए रखे जा रहे हैं या नहीं और प्रस्तुत किए जा रहे हैं या नहीं और अधिनियम के उपबन्धों के नियमों, बोर्ड के विनियमों, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और अनुबन्धों का जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई जाएं, अनुपालन करने में उसका पिछला आचरण कैसा है।
- (9) कोई व्यक्ति, जिसके संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर कोई भी व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड सबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

# 34 ख संसाधक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :-

- (1) नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक संसाधक सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को निम्नलिखित विवरणियां प्रस्तुत करेगा,अर्थात:-
  - (क) संसाधन पूरा करने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 11 में विवरणी;
  - (ख) संसाधित तम्बाक् के व्ययन के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 12 में विवरणी।

#### 34 ग संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रहकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त :-

- (1) संसाधक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-
- (क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या
- (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम उपबन्धों में से किसी का या उसके अधीनप बनाए गए इन नियमों या विनियमों में से किसी का या अनुज्ञप्ति के अनुबन्धों और शर्तों में से किसी का या इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन किया है।
- (2) संसाधक के रूप में मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) जहां कोई रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है वहां समिति का विनिश्चय, उसके लिए कारणों सिहत, विनिश्चय किए जाने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र सिचव द्वारा संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना का तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण सिमिति द्वारा रद्द किया गया है, उस का विनिश्चय की सुसूचना से तीस दिन के भीतर सिमिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को, व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यपदेशन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर जिसके अर्न्तगत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, की जा सकती है।

# 34 घ वर्जीनियां तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण : --

- (1) वर्जीनियां तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, किया जाएगा, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए और यथास्थिति सचिव या अन्य अधिकारी तक, उस कलैंण्डर वर्ष के, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 1 नवम्बर से पहले पहुंचेगा।
- (2) (क) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, निष्प्रभाव हो जाएगा।
  - (ख) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन बोर्ड के मुख्यालय में उस वर्ष के, जिसके लिए नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 30 नवम्बर के पूर्व अवश्य पहुंचना चाहिए।
- (3) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 13 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(4) \* रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी :--

### सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	तम्बाक् का परिमाण	संदेय फीस
		44.
(i) प्रसंस्करणकर्ता	यदि पूववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत तम्बाक्	20,000/- रूपए
" <b>क</b> " वर्ग	का औसत परिमाण दस हजार मैट्रिक टन से	
	अधिक है	
" <b>ख</b> " वर्ग	5,000 हजार मैट्रिक टन से अधिक 10,000 मैट्रिक टन तक।	16,000/- रूपए
"ग"वर्ग	1,000 मैट्रिक टन से अधिक 5,000 मैट्रिक टन तक।	10,000/- रूपए
"घ"वर्ग	1,000 मैट्रिक टन या उससे कम।	4,000/- रूपए
(ii) विनिर्मातों	यदि पूववर्ती तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित	30,000/- रूपए
" <b>क</b> " वर्ग	उत्पादन का औसत मूल्य 30 करोड़ रूपए से अधिक है।	
" <b>ख</b> " वर्ग	1 करोड रूपए से अधिक और 30 करोड रूपए तक।	20,000/- रूपए
"ग"वर्ग	20 लाख रूपए से अधिक और 1 करोड रूपए से कम।	10,000/- रूपए
"घ"वर्ग	20 लाख रूपए या उससे कम।	2,000/- रूपए

(5) प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है या जिसका रजिस्ट्रीकरण उस रूप में नवीकृत किया गया हैं, प्ररूप 14 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जा सके जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.9.10.1998 को प्रकाशित तम्बाक् बोर्ड (संशोधन) नियम 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

# 34ड. वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) बोर्ड एक सिमिति का (जिसे इसके पश्चात इस नियम और नियम 34छ में सिमिति कहा गया है ) गठन करेगा जिसमें वर्जीनिया तम्बाक् के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रिजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति कर सचिव या नियम 34घ की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह ठीक, समझे और समिति की अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधयीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सचिव या अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मंगा सकेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि ऐसी जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रिजस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए उपनियम (7) के अनुसार आवदेनों पर विचार करेगी और रिजस्ट्रीकरण को मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा रिजस्ट्रीकरण को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करते हुए, उस पर ऐसा विनिश्चय करेगी जो ठीक समझा जाए।
- (5) जहाँ समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन उसका रिजस्ट्रीकरण या नवीकरण मंजूर करने से इंकार करती है, वहाँ वह अपने विनिश्चय के लिए कारणों को अधिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के कारणों सिहत समिति द्वारा विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (6) जहाँ रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस आवेदन सहित उपनियम (8) के अधीन रहते हुए, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, किन्तु यथास्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति या उस व्यपदेशन पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, आवेशक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

- (7) (क) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने अथवा रजिस्ट्रीकरण को रजिस्टर करने याउसका नवीकरण करने से इंकार करने में वर्जीनिया तम्बाक् का प्रसंस्करण या विनिर्माण करने से संबंधित विषयों में व्यक्ति के अन्भव और आचरण का ध्यान रखा जाएगा।
  - (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण करने से इंकार करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या आवेदक अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और रिजस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करता रहा है और क्या वह अधिनियम और अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों के अनुसरण में समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता रहा है और यह भी कि क्या संस्करणकर्ता या विनिर्माता उसके द्वारा रखे जाने के लिए अक्षित रिजस्टरों को रखता रहा है और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अभित विवरणियों को प्रस्तुत करता रहा है और क्या प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता रिजस्ट्रीकृत व्यवहारियों और दूसरों को जिनसे तम्बाकू का क्रय किया गया है, पत्ती क्रय बाउचर देता रहा है जिसमें परिमाण, श्रेणी किस्म और दर प्रति क्विंटल तथा बोर्ड द्वारा अनुबध्द या विनिश्यत रूप में तम्बाकू की कीमत के रूप में शोध्य कुल रकम दिशत की गई हो।
- (8) कोई व्यक्ति, जिसका प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण याउसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, बोर्ड को समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए, ऐसे व्यक्ति को विनिश्चय को संसूचना के तीस दिन के भीतर व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

# 34च वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता प्ररूप 15, में रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक विनिर्माता जो तम्बाकू त्पादों का निर्यातक भी है, प्ररूप 16 में रजिस्टर रखेगा । प्रसंस्करणकर्ताओं और विनिर्माताओं द्वारा रखी जाने वाले रजिस्टर किसी भी समय मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- (2) (क) प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्ररूपध्द17 में मासिक विवरणी उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा ।
  - (ख) प्रत्येक विनिर्माता, जो तम्बाक् उत्पाद का निर्यातक भी है, सचिव या खंड (क) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्ररूप 18 में मासिक विवरणी उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

# 34 छ. वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त सिध्दान्त:

- (1) वजीर्नियां तम्बाक् के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूम में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण समिति दवारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :
- (क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया था, या
- (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अािनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए इन नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है, या
- (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबन्ध विशेष रूप से धारा 8 क, इन नियमों और किसी विनियम के, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित या पुन: स्थापित निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अधिकथित या पुन: स्थापित मापों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकथित विनियमों, निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया है।

- (2) इस नियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर नहीं दिया गया हो ।
- (3) जहाँ रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है, वहाँ उसके लिए कारणों सिहत सिमिति का विनिश्चय सिचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को विनिश्चय के पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति की सुनवाई का यथा युक्ति अवसर देने के पश्चात, व्यपदेशन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वही ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरणा के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, की जा सकती है।

# 34 ज. वाणिज्यिक श्रेणीकर्ताओं का अनुपालन:

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यि श्रेणीकर्ता के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस कलेंण्डर वर्ष के, जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है, पूर्ववर्ती वर्ष के 1 नवंबर, से पूर्व वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञापन के लिए सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इन निमित अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह एसे नवीकृत नहीं कराई जाती है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर की गई है, प्रभावी नहीं रहेगी। अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन उस वर्ष के, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 30 नवंबर, से पूर्व किया जाएगा।

- (3) अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 19 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ 250/-रूपए की फीस होगी।
- (4) बोर्ड के पास अनुज्ञापित प्रत्येक व्यक्ति को प्ररूप 20 में अनुज्ञप्ति दी जाएगी जोएगी जो ऐसी शर्तों के, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए, अधीन रहते हुए जारी की जा सकेगी।

# 34 झ. वाणि ज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम और नियम 34 ट में समिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) वाणिन्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34झ के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और समिति को अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदन से ऐसी और जानकारी मंगा सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर इस प्रकार मांगी गई और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (7) के अनुसार वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों पर विचार करेगी और अनुज्ञप्ति मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से इन्कार करते हुए, जो ठीक समझा जाए, ऐसा विनिश्चय करेगी।

- (5) जहाँ कोई सिमिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकार करती है या उपनियम (4) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करती है, वहाँ वह अपने विनिश्चय के लिए कारणांक को अभिलिखित करेगी। सिमिति का विनिश्चय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगी। सिमिति का विनिश्चय सिचव द्वारा आवेदक को विनिश्यच की तारीख से 15 दिन के भीतर उसके लिए कारणों सिहत संसूचित किया जाएगा।
- (6) जहाँ अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को सिमिति द्वारा अस्वीकार किया जाता है, वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस आवेदन सिहत, उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या उस अभ्यावेदन पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च उसमें से काठने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (7) (क) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञिन्त मंजूर करने या उसका नवीकरण करने अथवा अनुज्ञिन्त मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में उपस्कर और अन्य प्रसुविधाओं का जो आवेदक के पास वाणिज्यिक श्रेणीकरण का कार्य हाथ में लेने के लिए हैं और वर्जीनिया तम्बाकू का श्रेणीकरण करने में व्यक्ति के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा।
  - (ख) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में, खंड (क) में वर्णित विषयों के अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों, अनुज्ञपित के निबन्धनों और शर्तों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करता रहा है और क्या वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता नियम 34 ज के अधीन यथास्थित रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को रखता रहा है और उसके वरा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों को प्रस्तुत करता रहा है।

(8) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के, लिए समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के निनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर एसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

# 34 ज. वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ:

- (1) प्रत्येक वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता प्ररूप 21 में रजिस्टर रखेगा, जो श्रेणीकरण के स्थान पर रखा जाएगा और सत्यापन के प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) प्रत्येक वाणिजियक श्रेणीकर्ता सचिव या बोर्ड के एैसे अन्य अधिकारी को, जो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, प्ररूप 22 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

# 34 ट वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की अनुज्ञिप्त समिति द्वारा रद्द की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:
  - (क) अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया थ, या
  - (ख) व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबन्ध, इन नियमों या विनियमों में से किसी का अथवा अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों अथवा अधिनियम या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए बोर्ड के निदेशों का उल्लंघन किया है।
- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर न दिया गया हो।

- (3) जहाँ कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई हे वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सिहत सचिव द्वारा विनिश्चय किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसकी अनुजिप्त सिमिति द्वारा रद्द की गई हे, सिमिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति की स्पष्ट करने का युकितयुक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, जिसके अर्न्तगत अभियोजन भी है, की जा सकती है।

#### 34 ठ कोठार के सन्निमणि के लिए अन्ज्ञप्ति:

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के धुआ संसाधन के लिए कोठार का सिन्निर्माण करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोठार के सिन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए, उस क्षेत्र में, जिसमें कोठार का सिन्निर्माण किया जाता है, संसाधन के प्रारम्भ से नौ मास पूर्व सिचव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आवेदन करेगा।
- (2) किसी कोठार के सन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप 23 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियाँ अन्तर्वष्ट होंगी। आवेदन के साथ 25 रूपए की फीस होगी।
- (3) जहाँ किसी व्यक्ति को वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधन के लिए कोठार का सन्निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है, वहाँ उसे प्ररूप 24 में अनुज्ञप्ति दी जायेगी। कोठार का सन्निर्माण ऐसे सन्निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पूराकिया जाएगा और उसके पूरे होने के तथ्य की रिपोर्ट सचिव या उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी को एक मास के भीतर की जाएगी:

परन्तु नियम 34ठ के अधीन कोठार के सन्निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए गठित समिति, आवेदक के अनुरोध पर सन्निर्माण के पूरा करने के लिए कालाविध को ऐसी अविध तक बढ़ा सकेगी जो समिति ठीक समझे। (4) यदि कोई व्यक्तित, जिसने बोर्ड से अनुज्ञप्ति लेकर कोठार का सन्निर्माण किया है किसी अन्य उपयोग के लिए संरचना का उपान्तरण करना चाहता है या उसे नष्ट करना चाहता है तो वह बोर्ड को पूर्व सूचना देकर एसा कर सकता है। सन्निर्माण के लिए मंजूर की गई अन्ज्ञप्ति ऐसी सूचना की तारीखं से रद्द हो जाएगी।

#### 34 ड कोठार के सिन्निमणि की अनुज्ञिप्त की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त :

- (1) बोर्ड सिमिति का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में सिमिति कहा गया है ) गठन करेगा जिसमें कोठार का सिन्नर्माण करने की अनुज्ञिष्त के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के 5 सदस्य होंगे ।
- (2) कोठार के संन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34 ठ के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और समिति को अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या अन्य अधिकारी, जिसे उक्त उपनियम में निर्दिष्ट किया गया है, आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं जाती है तो समिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (5) के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी और अनुज्ञप्ति को या तो मंजूर करते हुए या नामंजूर करते हुए ऐसा विनिश्चय करेगी जो ठीक समझा जाए ।

- (5) कोठार का सिन्निर्माण करने के लिए व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने में निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात् :
  - (I) राज्य या क्षेत्र में उपलब्ध कोठारों की कुल संख्या,
  - (II) वह स्थन जहां कोठार का सन्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, आन्तरिक रूप से और बाहय रूप से दोनों प्रकार से वर्जीनियां तम्बाकू के लिए मांग,
  - (III) उस विशिष्ट क्षेत्र या प्रदेश की वर्तमान और भविष्य में प्रत्याशित मांग,
  - (IV) जहां कोठार का सन्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, वहां कोठार चलाने में व्यक्ति का पिछला अन्भव,
  - (V) उपजीविका और उन कोठारों की संख्या जो पहले से ही उस व्यक्ति के कब्जे में हैं जो कोठार का सन्निर्माण करने का आशय रखता है।
- (6) जहां समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से इन्कार करती है, वहां वह अपने विनिश्चय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगी और वह विनिश्चय सचिव द्वारा आवेदक की विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों सहित संसूचित किया जाएगा।
- (7) जहां आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, वहां आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, आवेदन सहित उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हों, पारित आदेश के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस नि के पश्चात, किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात् पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च उसमें से काटने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति, जिसका नियम 34 ठ के अधीन कोठार का सन्निर्माण करने के लिए अनुज्ञिप्त के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, बोर्ड को उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड आवेदक को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

#### 34 ढ. कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति :

- (1) वर्जीनियां तम्बाकू के धुआं संसाधन के लिए कोठार चलाने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के लिए किसी क्षेत्र में कोठारा चलाने को प्रारम्भ करने के पांच मास पूर्व, किन्तु निम्न लिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा :-
  - (क) कर्नाटका, \*ओड़िसा और तमिलनाड् के राज्यों में 31 जनवरी,
  - (ख) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में 31 मई, और
  - (ग) ग्जरात और उत्तरप्रदेश राज्यों में 31 मार्च।

<sup>\*</sup> ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि VI) द्वारा तारीख 22.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (2) कोठार चलाने के लिए प्राप्त कही गई अनुज्ञप्ति को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यिद वह इस प्रकार नवीकृत नहीं कराई जाती है तो वह उस वर्ष की, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था, समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगी । ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन उसी रीति से किया जाएगा जैसे नया आवेदन किया जाता है ।
- (3) किसी कोठार के चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 25 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ प्रत्येक कोठार के लिए 10 रूपए की फीस होगी।
- (4) जहां किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है, वहां उसे प्ररूप 26 में अनुज्ञप्ति दी जाएगी ।

#### 34 ण कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात् इस नियम और नियम 34 त में समिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मंजूरी के लिए कर्साटी अधिकथित करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) कसौटी अधिकथित करते ह्ए समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :--
  - (क) बोर्ड द्वारा उस वर्ष के लिए, जिसके लिए कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाना है, नियम 33क के उपनियम (1) के अधीन बनाई गई उत्पादन नीति ;
  - (ख) तम्बाकू का संसाधन करने के लिए उपलब्ध कोठारों की संख्या ;
  - (ग) उन कोठारों की संख्या जिनके लिए किसी आवेदक द्वारा उन्हें चलाने के लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है;
  - (घ) वर्जीनियां तम्बाकू के धूंआ संसाधन में आवेदक का अनुभव ;
  - (इ.) उस कोठार की दशा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है ;

- (च) किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों तथा आवेदक को ही गई अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबन्धनों और शर्तों, बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों और अधिकथित अनुबन्धों का अनुपालन करने में अनुज्ञप्तिधारी का आचरण;
- (छ) ऐसे अन्य संबंधित तथ्य, जो समिति इस प्रयोजन के लिए स्संगत समझे ।
- (3) कोठारों के चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34 ड के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करेगा और वह ऐसी जांच कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे । यदि ऐसी जांच करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन उपनियम (1) के अधीन गठित समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूरा करता है तो वह यथास्थिति अन्ज्ञप्ति या अन्ज्ञप्ति के नवीकरण को मंजूरी दे देगा ।
- (4) उपनियम (3) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा । यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी अन्य विशिष्टियों सहित आवेदन को समिति के समक्ष विचारण के लिए रखेगा ।
- (5) यदि किसी कारण से सचिव या उपनियम (3) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी यह समझता है कि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो वह मामले को समिति को समक्ष रखेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को या तो मुजूर कर सकेगी या उससे इन्कार कर सकेगी।
- (6) समिति का विनिश्चय आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

- (7) जहां अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण को समिति द्वारा, नामंजूर किया जाता है, वहां ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी आवेदक को विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किए जाएंगा और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, पारित किए गए आदेश के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र ऐस प्रतिदाय करने का खर्च काटने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (8) कोई व्यक्ति जिसका कोठार चलाने की अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए आवेदन सिमिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, बोर्ड को विनिश्चय को संसूचना के तीस दिन के भीतर सिमिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए व्यादेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो यह ठीक समझे।

#### 34 त कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :

कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक व्यक्ति सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्ररूप 27 में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

#### 34 थ कोठार चलाने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:

- (1) कोठार चलाने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :--
  - (क) अन्ज्ञप्ति गलत जानकारी देकर प्राप्त की गई थी; या
  - (ख) अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों या किसी विनियम या अनुज्ञप्ति की शार्तों या बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों या अधिकथित अनुबन्धों का उल्लंघन किया है।

- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धिन व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) जहाँ कोई अनुज्ञिप्त रद्द की जाती हे, वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सिहत सिचव द्वारा, विनिश्चय किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति समिति द्वारा रद्द की जाती है, बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्यच के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 35. तम्बाकू के निर्यातकर्ता या पैकर या नीलामकर्ता या उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण-

- (1) तम्बाक् या तम्बाक् उत्पाद के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाक् के पैकर या नीलामकर्ता या उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक, आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वह सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के पास, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, उस कलैण्डर वर्ष के, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के एक नवम्बर के पहले पहुँच जाए।
- (2) (क) निर्यातकर्ता, पैकर नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यिद वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह किया गया है, प्रभावी नहीं रह जाएगा।
  - (ख) ऐसे नवीकरण के लिए आदेश बोर्ड के मुख्य कार्यालय में उस वर्ष के, जिसके लिए नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्तीें वर्ष के 30 नवम्बर के पहले पहँच जाना चाहिए।

- (3) तम्बाक् या तम्बाक् उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाक् के पैकर अथवा नीलामकर्ता अथवा उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक, आवेदन, जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवदेन भी है, प्ररूप 13V में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी।
- (4) \* उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए और उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्यके आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी, अर्थात्:- सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	संदेय फीस
क. निर्यातकर्ताओं	यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा
(I) विनिर्मित तम्बाक् के निर्यातकर्ता	अधिनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का औसत वार्षिक मूल्य पचास लाख रूपए से अधिक होता है तो 6000/-रूपए; यदि अधिनिर्मित तम्बाकू के निर्यात
	का ऐसा औसत वार्षिक मूल्य दस लाख रूपए से अधिक होता है और पचास लाख रूपए से अधिक
	नहीं है तो 4000/- रूपए और जहाँ अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का ऐसा औसत मूल्य दस
	लाख रूपए से अधिक नहीं होता है, वहाँ 1000/- रूपए।
(II) विनिर्मित तम्बाक् के निर्यातकर्ता	1000/- रूपए

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, 3प-खण्ड (i) में दि.9.10.1998 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

# ख. तम्बाकू के पैकर और उसके व्यौहारी यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आवेदक की औसत वार्षिक कुल बिक्री दस लाख रूपए से अधिक है तो 1000/- रूपए; यदि ऐसी औसत वार्ष्कि बिकी दस लाख रूपए से अधिक नहीं है तो 500/-रूपए।

स्पष्टीकरण: इस सारणी में "विनिर्मित तम्बाकू "और "विनिर्मित तम्बाकू "पदों का वही अर्थ है जो उनका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में है।

- (5) उपनियम (1) के अधीन निर्मातकर्ता, पैकर, नीलामकर्ताया व्योहारी के रूप में बोर्ड के पास रिजस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को प्ररूप 14 में रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो ऐसी शर्तों के अधीनरहते हुए, जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए, जारी किया जा सकेगा।
- 36. तम्बाक् के निर्यातकर्ता, पैकर, नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त:
  - (1) बोर्ड एक सिमिति का (जिसे इसके पश्चात् इस नियम और नियम 38 में सिमिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें नियम 35 के अधीन रिजस्ट्रीकरण्ं या रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदनों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
  - (2) नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या इस निमित्ति अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और आवेदनों को अपनी सिफारिशों सहित उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को भेजेगा।

- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीनरहते हुए समिति रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए उपनियम (7) के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी और यथास्थितिर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उसका नवीकरण करते हुए अथवा रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कारकरते हुए उन परऐसा विनिश्चय करेगी।
- (5) जहाँ समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण करने से इन्कार करती है, वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय सचिव द्वारा विनिश्चय को तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को संसूचित कियाजाएगा।
- (6) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस सावेदन सहित, उपनियम (8) के अधीन किए गए व्यपदेशन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात् पन्द्रह दिन के पश्चात नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की उसमें से कटौता करने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (7) (क) किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने अथवा रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यात से सबिधत मामलों में या तम्बाकू पैक करने अथवा नीलाम करने अथवा उसका कारबार करने में आवेदक के अनुभव का तथा अधिनियम, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की शतों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में व्यक्ति के आचरण का ध्यान रखा जाएगा और यह कि क्या संबंधित व्यक्ति उन अन्य व्यौहारियों को जिनसे तम्बाकू, का क्रय किया गया है, बोर्ड द्वारा अनुबन्धित या विनिश्चय क्रय वाउचर देता रहा है जिसमें क्रय की गई तम्बाकू याउसके उत्पाद का परिमाण श्रेणी, दर प्रति क्विंटल और कुल रकम दर्शित की गई है।

- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पैकर या नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में किसी व्यक्ति के रिजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण से इन्कार करने में इस बात का भीध्यानरखा जाएगा कि क्या नियम 37 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों और रखे जाने के लिए अपेक्षित रिजिस्टर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर प्रस्तुत किए गए या रखे गए हैं।
- (8) कोई व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए उस व्यक्ति को विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर बोर्ड को अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 37. तम्बाकू के निर्यातकर्ताओं, पैकरों, नीलामकर्ताओं और व्यौहारियों तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और रखे जाने वाले रजिस्टर
  - (1) (क) तम्बाक् का प्रत्येक निर्यातकर्ता और व्यौहारी प्ररूप 28 में रजिस्टर रखेगा ।
    - (ख) तम्बाकू का प्रत्येक पैकर और तम्बाकू का निर्यातकर्ता तथा व्यौहारी, जो तम्बाकू का पैकर भी है, प्ररूप 29 में रजिस्टर रखेगा ।

- (ग) तम्बाक् उत्पादों का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 30 में रजिस्टर रखेगा ।
- (घ) ऊपर वर्णित सभी रजिस्टर मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष प्रस्त्त किए जाएगे ।
- (2) (क) तम्बाकू का प्रत्येक निर्यातकर्ता, पेकर और व्यौहारी सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत से अन्य अधिकारी को प्ररूप 31 और 32 में मासिक विवरणियों उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।
  - (ख) तम्बाकू का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 39 में मासिक विवरणी उसी रीति से प्रस्तुत करेगा जो खड (क) में अधिकथित है।
  - (ग) तम्बाकू का प्रत्येक पैकर और निर्यातकर्ता तथा व्यौहारी, जो तम्बाकू का पैकर भी है, प्ररूप 33 में मासिक विवरणी उसी रीति से, जो खंड (क) में अधिकथित है,प्रस्तुत करेगा।
  - (घ) तम्बाक् उत्पादों का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 18 में मासिक विवरणी उसी रीति से, जो खंड (क) में कथित है, प्रस्तुत करेगा ।
- 38. निर्यातकर्ताओं, पैकरों, नीलामकर्ताओं और व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकारण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दान्त :-
  - (1) निर्यातकर्ता, पैकर नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में किसी व्यक्ति का रिजस्ट्रीकरण, रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण सिमिति द्वारा रद्द किया जा सक्रगा यिद उसका यह समाधान हो जाता है कि :-
    - (क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया था; या
    - (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों या किसी विनियम का उल्लंघन किया है;

- (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने विनियमों, निबन्धनों, अधिनियम के उपबन्धों और इन नियमों में से किसी के विशिष्टतः धारा 8 के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा अधिकथित या पुनःस्थापित मापों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तों और अनुबन्धों का और ऐसे विनियमों, निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों का, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित या पुनःस्थापित किए जाए, उल्लंघन किया है।
- (2) इस नियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है, वहां समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सिहत सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को विनिश्चय किए जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, बोर्ड को उस व्यक्ति को विनिश्चय का संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सूनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकता है।

#### 39. फीस के संदाय की रीति :-

नियम 33, 33ग्ग , 34, 34घ, 34छ, 34ठ, 34ढ और 35 के अधीन संदेय फीस बोर्ड को या तो मनीआर्डर द्वारा या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए क्रास चैक या ड्राफ्ट द्वारा या बोर्ड को नकद संदत्त की जाएगी।

#### 39क . कतिपय मामलों में प्रमपाणपत्र को दूसरी प्रति का जारी किया जाना :-

जहां सचिव या अध्यक्ष का दूसरी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नियम 33,33गग, 34, 34घ, 34ज, 34ठ, 34ठ, 34ठ और 35 के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति खो गई है, नष्ट हो गई है या विकृत हो गई है, जिसमें प्रमाण-पत्र के धारक का कोई दोष नहीं है, जो यथास्थिति सचिव या ऐस अन्य अधिकारी प्रमाणपत्र के धारक द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति का दूसरा प्रति जारी कर सकेगा।

#### 40. बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर-बोर्ड निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा, अर्थात्:

- (क) वर्जीनिया तम्बाक् उगाने वालों का रजिस्टर;
- (ख) वर्जीनिया तम्बाकू का नर्सरी उगाने वालों का रजिस्टर;
- (ग) वर्जीनिया तम्बाक् के संसाधनों का रजिस्टर;
- (घ) वर्जीनिया तम्बाक् के प्रसंस्करणकर्ताओं का रजिस्टर;
- (इ) वर्जीनिया तम्बाक् के विनिर्माणकर्ताओं का रजिस्टर;
- (च) वर्जीनिया तम्बाक् के वाणिज्यिक श्रेणीकर्ताओं का रजिस्टर;
- (छ) वर्जीनिया तम्बाक् के कोठार धारकों का रजिस्टर;
- (ज) वर्जीनिया तम्बाकू के कोठार प्रचालकों का रजिस्टर;
- (झ) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ताओं का रजिस्टर;
- (ञ) तम्बाकू के पैकरों का रजिस्टर;
- (ट) तम्बाक् के नीलामकर्ताओं का रजिस्टर;
- (ठ) तम्बाक् के व्यौहारियों का रजिस्टर।

#### अध्याय - VIII

#### भूमि या परिसर का निरीक्षण

#### 41. किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण :-

- (1) धारा 15 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण करने से पहले बोर्ड के कोई सदस्य, अधिकारी, या अन्य कोई कर्मचारी को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे फार्म में उस व्यक्ति को, जिन्होंने ऐसे भूमि या परिसर का मालिक है या हकदार है, को पर्याप्त नोटीस (जो किसी भी हालत में चौबीस घंटे से कम नहीं होना है।) देना होगा ।
- (2) धारा 15 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना होगा ।

#### अध्याय - IX

#### \*42. धारा 14 क के अधीन विक्रेता पर आरोप्य शुल्क :-

अधिनियम की धारा 14 क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

#### 43. विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :-

धारा 14 क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

#### 44. धारा 14क के अधीन खरीददार पर श्लक आरोप्य :-

अधिनियम की धारा 14 क के अधीन खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रियत तम्बाक् के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

#### 45. धारा 14क के अधीन खरीददार से श्ल्क वस्ली विधान :-

धारा 14 क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

<sup>\*</sup> भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, धारा (I) में दि.22.08.1984 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1984 दवारा नियम 42 से 45 तक प्रतिस्थापित किया गया है।

# तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984

सा.का.नि. 620(अ) - केन्द्रीय सरकार तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 (19 का 4) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1	संक्षिप्त	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः		
	(क)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) नियम 1984 है।		
	*(ख)	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।		
2	परिभाषाएँ :			
	इन नि	यमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :		
	(क)	" अधिनियम " से तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1945 (1975 का 4) अभिप्रेत है।		
	(ख)	" क्रेता" से ऐसा व्यवहारी निर्यातकर्ता पैकर जिसने इस अधिनियम की धारा 12		
		और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सुसंगत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र		
		प्राप्त कर लिया है, और जो बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्अ किसी		
		अधिारी द्वारा नीलामी मंच पर तम्बाकू का क्रय कने के लिए प्राधिकृत है,		
		अभिप्रेत है ।		
	(ग)	"उगाने वाला" से ऐसा व्यक्ति, जिसने #वर्जीनिया तम्बाक् उगाने के लिए		
		अधिनियम की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है,		
		अभिप्रेत है।		
	(ঘ)	"मंच" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (गग) के अधीन		
		तम्बाकू के विक्रय के लिए स्थापित नीलामी मंच अभिप्रेत है।		
	(ਭ.)	"तम्बाकू" से#वर्जीनिया तम्बाकू अभिप्रेत है।		
_	(च)	सभी अन्य पदों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में		
		दिए गए हैं।		

<sup>•</sup> भारत के राजपत्र असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड 3(i)में दि.22/08/1984 को प्रकाशित किया गया। # नियम 2 की धारा (ग) तथा (ड.) के "धुआं संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू" शब्दों को वर्जीनिया तम्बाकू के रूप में संशोधित किय गये हैं । तम्बाकू बोर्ड(नीलामी) संशोधन नियम, 1988, दि. 16/05/1988, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ।।, खण्ड3(i) में प्रकाशित ।

3 अगाने वालों द्वारा विनिर्दिष्ट मंचों पर तम्बाक् की परिदान किया जाना:- ज्यों ही किसी स्थान में किसी मंच की स्थापना हो जाती है त्यों ही बोर्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो आवश्यक समझी जाए, एक सूचना प्रकाशित करवाए जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाक् विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट मंच पर परिदाल करवे की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाक् का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4 उगाने वालों द्वारा प्रस्तु की जाने वाली विवरणियों :- रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले को कोई मंच आवंदित करने के प्रयोजन से और मंच पर नीलामियों के समुचित संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी विवरणियों जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।  5 क्रेताओं को ग्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाक् का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्रप्त न कर लिया हो।  5 उगाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:  (ii) वोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवंदित मात्रा से अधिक तम्बाक् को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (iii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाक् को अपनी स्वयं की तम्बाक् के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना। जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाक् की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रवंचित करने के लिए तम्बाक् की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			
उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो आवश्यक समझी जाए, एक सूचना प्रकाशित करवाए जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाकू विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट मंच पर परिदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाकू का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4	3		उगाने वालों द्वारा विनिर्दिष्ट मंचों पर तम्बाकू की परिदान किया जाना:- ज्यों ही
अन्य रीति से जो आवश्यक समझी जाए, एक सूचना प्रकाशित करवाए जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाकू विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट मंच पर परिदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाकू का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4			किसी स्थान में किसी मंच की स्थापना हो जाती है त्यों ही बोर्ड या इस निमित्त
किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाकू विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट मंच पर परिदाल करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाकू का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4			उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में और ऐसी
मंच पर परिदाल करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी तम्बाकू का परिदाल केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4			अन्य रीति से जो आवश्यक समझी जाए, एक सूचना प्रकाशित करवाए जिसमें
तम्बाक् का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।  4			किसी स्थानीय क्षेत्र के उगाने वाले से अपना तम्बाकू विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट
4   उगाने वालों द्वारा प्रस्तु की जाने वाली विवरणियाँ :- राजिस्ट्रीकृत उगाने वाले को कोई मंच आबंटित करने के प्रयोजन से और मंच पर नीलामियों के समुचित संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।   5   क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।   6   उगाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नितिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:   (i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।   (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।   (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			मंच पर परिदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे उगाने वाले अपनी
कोई मंच आंबंटित करने के प्रयोजन से और मंच पर नीलामियों के समुचित संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।  5			तम्बाकू का परिदान केवल ऐसे विनिर्दिष्ट मंचों पर करेंगे।
संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।  5 क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।  6	4		उगाने वालों द्वारा प्रस्तु की जाने वाली विवरणियाँ :- रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले को
विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।  5 क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।  6			कोई मंच आबंटित करने के प्रयोजन से और मंच पर नीलामियों के समुचित
अपेक्षा कर सकेगा।  5 क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।  6			संचालन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उगाने वाले से ऐसी
केताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।   6   उगाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्निलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:   (i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।   (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।   (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।   (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			विवरणियाँ जैसी उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की
नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।  3गाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:  (i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			अपेक्षा कर सकेगा।
किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।  3गाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्निलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:  (i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	5		क्रेताओं को प्राधिकृत किया जाना:- कोई क्रेता मंच पर तम्बाकू का क्रय तब तक
3गाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नलिखित कृत्यों में से किसी को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:   (i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।   (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।   (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।   (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			नहीं करेगा जब तक कि उसने बोर्ड से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत
(i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			किसी अधिकारी से लिखित रूप में प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो।
(i) बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।			<u> </u>
से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  (ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6		उगाने वालों द्वारा कदाचार:- कोई उगाने वाला निम्नलिखित कृत्यों में से किसी
(ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6		
(ii) उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(i)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा:
विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  (iii) ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(i)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगाः बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा
(iii) ऐसी तम्बाक् का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाक् की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाक् की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(i)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास
करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाक् की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाक् की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6		को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।
अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाक् की उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6		को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना। उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में
उस रीति से पैक किया गया है।  (iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।
(iv) ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास
के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण
अपेक्षित हैं।	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की
	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंदित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।
(v)   मंच पर कार्यवाहियों में बाधा पहुँचाना।	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड
<u> </u>	6	(ii)	को करने पर, कदाचार का दोषी होगा: बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित मात्रा से अधिक तम्बाकू को विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना।  उगाने वाले द्वारा न उगाई गई तम्बाकू को अपनी स्वयं की तम्बाकू के रूप में विक्रय के लिए परिदान करना या करने का प्रयास करना।  ऐसी तम्बाकू का विक्रय के लिए परिदान करना या परिदान करने का प्रयास करना जिसे नीडित किया गया है, अर्थात् तम्बाकू की प्रकृति या उसकी सम्पूर्ण अंतर्वस्तु की क्वालिटी के बारे में क्रेता को प्रबंप्रिवंचित करने के लिए तम्बाकू की उस रीति से पैक किया गया है।  ऐसी किसी विवरणी को प्रस्तुत न करना जिसका इन नियमों के अधीन या बोर्ड के द्वारा सबनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उगाने वाले से प्रस्तुत करना

7	उगाने	वाला द्वारा कदाचार करने के लिए शास्तियाँ और शास्तियाँ को अधिरोपित करने			
	की प्रवि	क्रेया :			
	अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उगाने वाले को				
	स्नवाई का अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से जिन्हे लेखाबद्ध किया जाएगा				
	उगाने	वाले को कदाचार का देषी पाए गए निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक या			
	दोनों व	नो अधिरोपित कर सकेगा।			
	(i)	उगाने वाले द्वारा परिदत्त की गई किसी तम्बाकू को विक्रय के लिए प्राप्त करने			
		या प्रस्तुत करने से इनकार करना ।			
	(ii)	उगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण को रद्ध करना ।			
		परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शास्ति केवल अध्यक्ष द्वारा			
		अधिरोपित की जाएगी।			
8	क्रेता द	्वारा कदाचार:			
	कोई	क्रेता निम्नलिखित कृत्य में से किसी को करने पर कदाचार का देाषी होगा:			
	(i)	बोर्ड द्वारा या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा जो मंच का भारसाधक हैं,			
		विनिर्दिष्ट समय पर उसके द्वारा क्रय किए गए तम्बाकू का परिदान लेने में			
		असफल रहना या उसे अस्वीकार करना।			
	(ii)	उसके द्वारा क्रय की गई तम्बाकू के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर और			
		रीति में भुगतान करने में असफल रहना या अस्वीकार करना।			
	(iii)	मंच की कार्यवाहियों में बाधा पहुँचाना।			
	(iv)	ऐसी विवरणियों का जिनका इन नियमों या बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं			
		विनियमों के अधीन उपबन्ध किया जाए क्रेता द्वारा प्रस्तुत करने में असफल			
		रहना या अस्वीकार करना।			
9	क्रेताओं	द्वारा कदाचार करने केलिए शास्तियाँ और शास्तियाँ अधिरोपित करने की			
	प्रक्रिया	:			
	अध्यक्ष	। या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी क्रेता को सुनवाई का			
	अवसर	देने के पश्चात् और उन कारणों से जिन्हें लेखाबद्ध किया जाएगा क्रेता को कदाचार			
	का दोष	भी पाए जाने पर निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक या दोनों को अधिरोपित			
	कर सर्व	केगा।			

### ::170::

	(i)	मंच पर उसे उपस्थित होने और क्रय करने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करना।
	(ii)	उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना।
		परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शास्ति केवल अध्यक्ष द्वारा
		अधिरोपित की जाएगी।
10	अपील:	
	(1)	नियम 7 या नियम 9 के अधीन किए गए किसी आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड को
		की जाएगी यदि आदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया है और यदि आदेश बोर्ड के
		किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गय है तो उसके विरूद्ध अपील अध्यक्ष को की
		जाएगी।
	(2)	अपील के साथ जो लिखित रूप में होगी उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके
		विरूद्ध अपील की गई है, और ऐसे आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर की
		जाएगी ।

# तम्बाक् बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984

सं.एफ/8/8/80-ई.पी (कृषि-VI)- तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 7 के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिनका उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, अर्थात्:-

#### अध्याय -।

#### प्रारंभिक

1		संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-		
	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 है।		
	(2)	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।		
2	परिभा	परिभाषाएँ :		
	इन नि	वियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :		
	(क)	" अधिनियम " से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है।		
	(ख)	"सहयुक्त सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन बोर्ड के		
		साथ सहयुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;		
	(ग)	"बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;		
	(ঘ)	"समिति" से अधिनियम की धारा 7के अधीन बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति		
		अभिप्रेत है;		

<sup>•</sup> भारत के राजपत्र में दि.31/12/1984 को एफ/8/8/80-ई.पी (कृषि-VI), में प्रकाशित किया गया ।

	(ਤ.)	"सहयोजित सदस्य" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी समिति के लिए
		बोर्ड द्वारा सहयोजित कोई सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, अभिप्रेत है;
	(च)	"सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
	(छ)	"नियमों" से तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 अभिप्रेत है;
	(ज)	"उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
	(झ)	"वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली वर्ष अभिप्रेत है;
	(া)	"अध्यक्ष", "कार्यपालक निदेशक", "सचिव " और "सदस्य " पदों के वही अर्थ
		होंगे जो अधिनियम में हैं।

## अध्याय -।।

# समितियाँ

3	समि	तियों व	ति नियुक्ति :	
	बोर्ड '	बोर्ड निम्नलिखित समितियों का गठन कर सकेगा, अर्थात्:		
	(1)	(1) कार्यपालक समिति :		
		कार्यप	गलक समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा:	
		(i)	अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;	
		(ii)	उपाध्यक्षः	
		(iii)	पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;	
		(iv)	कार्यपालक निदेशक (पदेन).	
	(2) उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :		दन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :	
	उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर			
	होगा:-			
		(i)	अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;	
		(ii)	उपाध्यक्षः	

		(iii)	पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;		
		(iv)	कार्यपालक निदेशक (पदेन).		
	(3) विपणन समिति :-				
		विपण	ान समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा:		
		(i)	अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;		
		(ii)	उपाध्यक्षः;		
		(iii)	पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;		
		(iv)	कार्यपालक निदेशक (पदेन).		
4	समि	तेयों वे	क कृत्य :-		
	(1)	कार्यप	<b>गलक समिति:-</b> ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित		
		किए	जाएं, कार्यपालक समिति ऐसे कृत्यों के अतिरिक्त जो इन विनियमों के		
		अधीन	अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से समनदेशित किए जाएं, ऐसी वित्तीय, स्थापन, लेखों		
		और	और अन्य कृत्यों से सम्बन्धित कृत्यों का, जो विपणन समिति या उत्पादन और		
		उत्पात	उत्पादन नियन्त्रण पर समिति को विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित नहीं किए गए हैं,		
		निर्वह	निर्वहन करेगी।		
	(2)	उत्पा	दन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :- ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते		
		हूए उ	नो बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए जाएं, उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण समिति		
		तम्बा	तम्बाकू के उत्पादन के विनियम और तम्बाकू की उपज संसाधन और श्रेणीकरण		
		पर उ	त्पादकों की परामर्श और विस्तार सहायता, से सम्बन्धित मामलों को बाबत		
		सभी	कृत्यों का निर्वहन करेगी।		

1	1			
	(3)	विपणन समिति:- ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए		
		जाएं, विपणन समिति ऐसे मामलों को बाबत जो आंतरिक और बाह्य विपणन और		
		प्रचार, न्यूनतम निर्यात मूल्य निलामियों की सिफारिशों, विपणन आदि के		
		विनियमन से सम्बद्ध क्रियाकलापों का संवर्द्धन करने के लिए किया जाए, बोर्ड के		
		सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी।		
5	समि	तेयों के अधिवेशनों का संचालन करने की प्रक्रिया के नियम:-		
	(1)	समिति में निर्वाचित सदस्य एक वर्ष को अवधि के लिए या ऐसे समय तक		
		जब तक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, कार्य करेंगे।		
	(2)	समिति का अध्यक्ष, किसी भी समय समिति का अधिवेशन बुला सकेगा और		
		यदि समिति के अधिवेशन के लिए कोई अध्यअध्यपेक्षा उस समिति के		
		सदस्यों के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित रूप		
		में उसे प्रस्तुत कर दी जाती है, तो वह तब भी ऐसा करेगा।		
	(3)	आशयित अधिवेशन का समय और स्थान उप-दर्शित करने वाली सचिव		
		द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समिति के ऐसे किसी अधिवेशन का तारीरख केकम		
		से कम दस दिन पूर्व समिति के सदस्यों कोभेजी जाएगी।		
		परन्तु अन्यवश्यकता की दशा में अध्यक्ष द्वारा समिति का विशेष		
		अधिवेशन किसी भी समय बुलाया जा सकेगा, जो भारत सरकार के		
		सम्बन्धित मंत्रालय की और समिति के सदस्यों को विचार-विमर्श को विषय		
		वस्तु और उसके कारणों को बाबत अग्रिम सूचना देगा। ऐसे विशेष अधिवेशन		
		में कोई भी साधारण कामकाज नहीं किया जाएगा।		
	(4)	अध्यक्ष किसी भी समिति में किसी विशेषज्ञ या किसी ऐसे व्यक्ति को		
		जिसकी सहायता या परामर्श वांछनीय समझा जाता है, समिति के कृत्यों के		
		निर्वहन में सहयोजित या सहयुक्त कर सकेगा।		
6	गणपू			
	(1)	समिति के अधिवेशन में किसी भी कारबार का संचालन तब तक नहीं किया		
		जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले बहुसंख्यक सदस्य		
		उपस्थित न हों।		
 1	l			

	(2)	यदि किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या उप विनियम (1) में
		निर्दिष्ट अपेक्षित गणपूर्ति से कम है, तो सभापतित्व करने वाला व्यक्ति ऐसे
		``
		अधिवेशन को समिति के सदस्यों को सूचित करेन के पश्चात् (जिसके
		अन्तर्गत वे सदस्य भी है, जो अनुनुपस्थित है) स्थगित अधिवेशन की
		तारीख, समय और स्थान की सूचना देने के पश्चात् अधिवेशन की ऐसी
		तारीख तक, जो अधिवेशन की तारीख से अधिक से अधिक सात दिन के
		बाद की न होगी, स्थगित कर सकेगा और तदुपरि ऐसे स्थगित अधिवेशन
		का सभापतित्व करने वाले सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह
		उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखे बिना प्रारम्भिक अधिवेशन की
		बाबत किए जाने वाले कामकाज का निपटान करे ।
7	आकस्मि	क रिक्तियों का भरा जाना :-
	(1)	*समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अपनी तुरंत बाद की
		अगली बैठक में भरा जाएगा।
	(2)	किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति पद तब तक
		धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसका स्थान उसने भरा है, पद
		धारण करने के लिए उस दशा में हकदार होता जब रिक्ति न हुई होती।
8	समिति व	के अधिवेशनों में सभापतित्व करना :-
		समिति का अध्यक्ष समिति के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन का जिसमें वह
		उपस्थित है, सभापतित्व करेगा और यदि व अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष
		सभापतित्व करेगा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो
		अधिवेशन में उपस्थित सदस्य उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए
		एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।
9	कार्य सूर्च	ी का तैयार किया जाना :-
		समिति का अध्यक्ष समिति के अधिवेशन से कम से कम पांच दिन पूर्व
		अधिवेशन में संचाालित किये जाने वाले कामकाज की एक सूची तैयार
		करेगा और उसे सदस्यों में परिचालित करेगा । कोई भी सदस्य कार्य सूची
		में सम्मिलित किये जाने के लिए किसी भी मद का सुझाव दे सकता है, यदि
		ऐसे समावेश का अनुरोध अधिवेशन के कम से कम सात दिन पहले लिखित
		रूप में अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाता है।
	1	

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (साधारण) संशोधन विनियम, 2000 भारत के राजपत्र, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

10	परिचालन ट	्वारा संचालित किया जाने वाला कामकाज :-
	(1)	ऐसा कोई कामकाज, जो समिति द्वारा संचालित किया जाना है, यदि
		अध्यक्ष ऐसा निर्रेशित करता है, तो कागज पत्रों के परिचालन द्वारा समिति
		के सदस्यों को (ऐसी सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं है) निर्देशित किया
		जा सकेगा।
	(2)	उपविनियम (1) के अधीन परिचालित और समिति के ऐसे सदस्यों के
		बहुमत द्वारा जिन्होंने अपने मत अभिलिखित किए हैं, अनुमोदित कोई
		प्रस्ताव या संकल्प उतना ही प्रभावशील और आबद्धकर होगा मानो ऐसा
		प्रस्ताव या संकल्प समिति के अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा
		विनिश्चित किया गया हो।
		परन्तु जब कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्देशित
		किया जाता है और सदस्यों का बहुमत यह अपेक्षा करता है कि ऐसे प्रस्ताव
		या संकल्प को समिति के अधिवेशन में सदस्यों का निर्देशित कर दिया जाए,
		तो ऐसा निर्देश समिति के अधिवेशन में सदस्यों को कर दिया जाएगा।
	(3)	जहां कोई कामकाज उप विनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्देशित किया
		जाता है, वहां कम से कम सात दिन की अवधि सदस्यों से उत्तर प्राप्त
		करने के लिए अनुज्ञात होगा और ऐसा अवधि का गणना ऐसा तारीख से की
		जाएगी जिसको ऐसा कामकाज परिचालित किया जाता है।
	(4)	यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता
		है तो परिचालन का परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया
		जाएगा ।
	(5)	कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किए गए सभी विनिश्चय अभिलेख के लिए
		समिति के अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।
	(6)	किसी प्रस्ताव या संकल्प की प्रतियों और कागज पत्रों के परिचालन का
		परिणाम समिति के सदस्यों को यथास्थिति, इसके परिचालन या संसूचना के
		समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजा जाएगा।
11	मतदान:-	
	(1)	समिति के अधिवेशन के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न पर उपस्थित और
		मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चय किया जएगा और मतों
		के बराबर होने की दशा में एसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष
		या सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

	(2)	अधिवेशन में सभी मत हाथ उठाकर लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे
		अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति यह विनिश्चय नहीं करता है
		कि मतदान मतपत्र द्वारा किया जाएगा।
12	काम	nज की अवधि :-
	(1)	समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले कामकाज की मदों का अभिलेख
		सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार
		और सदस्यों को भेजी जायेंगी।
	(2)	समिति के प्रत्येक अधिवेशन में संचालित किए जाने वाले कामकाज के
		अभिलेख पर ऐसे अधिवेशन में सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष या सदस्य
		द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	(3)	जब कोई कामकाज कागज पत्रों के परिचालन द्वारा संचालित किया जाता है
		तो इस प्रकार संचालित कामकाज के अभिलेख पर समिति द्वारा हस्ताक्षर
		किए जाएंगे।

अध्याय -।।। बोर्ड और उसके स्थापन

13	तम्बाकू	ोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें :-
	(1)	बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियो की बाबत वेतन और
		भत, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासनिक
		कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा को अन्य शर्तें जिसकेअंतर्गत
		अधिवर्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय
		करने का अग्रिम, मकान का संन्निर्माण और अन्य बातें है, यदि इस
		विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और
		विनियमों के अनुसार विनियमित ोगा जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य
		कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और
		कर्मचारियों को लागू होते हैं।
	(2)	किसी अधिकारी या कर्मचारी का बाबत अधिवर्षिता का आयु से परे सेवा की
		अविध बोर्ड द्वारा नहीं बढाई जाएगी और ऐसे मामलों में जहां ऐसी सेवा
		बढाई जाने की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादित परिस्थितियां विद्यमान
		हैं वहां ऐसा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।

14	वेतन और भत्ते :-
	अधिनियम की धारा 4 और 6 अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और अन्य
	अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य अभिदाय, यदि कोई हो, के
	मद्धे सभी व्ययों की पूर्ति बोर्ड की निधि से की जाएगी ।
*15	पदों का सृजन
	बोर्ड, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट
	बजट उपबंध सम्मिलित करके या समुचित शीर्ष के अधीन बजटद्वारा या
	विधिमान्य पुनर्विनियोग द्वारा सरकार को सूचना देते हुए ऐसे पदों का सृजन कर
	सकेगा जो बजट के समय जंच के अधीन होंगे तथा सरकार द्वारा समय समय
	पर पदों के सृजन के लिए जारी किए गए प्रतिबंधन आदेश के अनुपालन के भी
	अधीन होंगे, यदि उसकी राय में ऐसे पदों का सृजन करना इसके कृत्यों के
	दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
	परन्तु ऐसे किसी पद का सृजन, जिसका अधिकतम वेतनमान गैर-तकनीकी के
	मामले में 13,500/- रू. प्रतिमाह तथा तकनीकी मामले में 13,125/-रू. प्रतिमाह
	हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
	परन्तु यह और कि अत्यावश्यकता की दशा में ऐसे अस्थाई पद जिनका बोर्ड के
	हित में सृजन करना आवश्यक होगा और जिनका अधिकतम वेतनमान गैर-
	तकनीकी के मामले में 13,500/- रू. प्रतिमाहतथा तकनीकी मामले में 13,125/-
	रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन रहते हुए
	अध्यक्ष द्वारा मृजित किए जा सकेंगे।
16	नियुक्ति और स्थानान्तरण:-
	बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण अध्यक्ष द्वारा किए
	जाऐंगे जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, अपनी शक्ति बोर्ड
	के अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

## अध्याय -IV

17	बोर्ड के सह	योजित सदस्यों और सहयंक्त सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते:-
	(1)	किसी सरकारी सेवक से भिन्न बोर्ड का कोई सहयोजित सदस्य या किसी
		समिति का सहयुक्त सदस्य, बोर्ड के या उसकी सम्यक् रूप से गठित किसी
		समिति के अधिवषण में उपस्थिति हाने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड द्वारा
		या संबंधित समिति द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने
		के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत केन्द्रीय
		सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन तत्समय प्रवृत्त
		पहली श्रेणी के सरकारी सेवकों को लागू उच्चतर दरों पर यात्रा भत्ता और
		दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
	(2)	बोर्ड के किसी सहयोजित सदस्य या किसी समिति के सहयुक्त सदस्य की
		हैसियत में यथास्थिति बोर्ड के या समिति के अधिवेषण में उपस्थित होने के
		प्रयोजन के लिए या बोर्ड या यथास्थिति उसकी किसी समिति द्वारा उसे
		सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय या
		राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गइ किसी यात्रा की दशा में
		उसको अनुरोय यात्रा और दैनिक भत्ते उस सरकार के नियमों के अधीन
		जिसके अधीन वह तत्समय नियोजित है, उसको देय दरों पर, बोर्ड द्वारा
		संदेय होंगे।
	(3)	किसी भी सहयोजित सया सहयुक्त सदस्य को कोई भी यात्रा भत्ता या
		दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह यह प्रमाणित
		नहीं कर देता है कि उसने ऐसी किसी यात्रा और विराम की बाबत जिसके
		लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा और अन्य भत्ता
		प्राप्त नहीं किया है।
	(4)	यात्रा भत्ता सहयुक्त या सहयोजित सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से
		अधिवेषण के स्थान या उस स्थान तक जहां वह बोर्ड या उसकी किसी
		समिति को कामकाज करने के लिए गया है और उससे अपने निवास स्थान
		की वापसी तक संदेय होगा:

	1			, , , , , , , , , , , ,
				परन्तु जब यात्रा उसके निवास क प्रायिक स्थान से भिन्न किसी स्थान
				से प्रारंभ होती है या उसकी वापसी यात्रा उसके निवास के प्रायिक स्थान से
				भिन्न किसी स्थान पर समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक जो
				तब संदेय होती जब यात्रा उसके निवास के प्रायिक स्थान से प्रारम्भ होती
				या उसी पर समाप्त होती या उस रकम तक जो की गई वास्तविक यात्रा
				की बाबत संदेय होता है, इन दोनों में से जो भी कम हो, तक सीमित
				रहेगा।
				परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के
				पूर्वानुमोदन से अध्यक्ष, किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्य के निवास के
				प्रायिकी स्थान से भिन्न किन्हीं स्थानों से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।
		(5)		अध्यक्ष बोर्ड के सहयोजित सदस्य या समिति के सहयुक्त सदस्य के यात्रा
				और दैनिक भत्तों के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा ।
				on quality and a way of a second of the
*	<b>*18</b>		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :-
*	<sup>*</sup> 18		सहयो	
*	<sup>*</sup> 18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :-
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:-
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है या जहां बोर्ड या समिति के किसी अन्य काम काज का संलालन किया
*	*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :- बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:-  परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है या जहां बोर्ड या समिति के किसी अन्य काम काज का संलालन किया जाता है, तो ऐसे सदस्यों को बोर्ड/समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

I ii iii iii iv v vii viii ix xii xiiviix

" " " " oxi

u u

: ; ;;;; ::::

VI VII X XII XV IV ii

@@@@ ##### \$\$\$\$ 2%%%%%% &&&&& \*\*\*\*\*\*\* +++++ ====

# तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984

सं. 8/5/83-ई.पी (कृषि-VI)- तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निलिखित विनियम बनाता है, जिनका उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, अर्थात्:-

_		1			
	1	(i)	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाक् बोर्ड (नीलामी)		
			विनियम 1984 है।		
		*(ii )	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।		
	2	परिभा	परिभाषाएँ :		
		इन नि	ोयमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :		
		(क)	" अधिनियम " से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है।		
			**(1) "नीलामी"से तात्पर्य ऐसी बिक्री से है जिसमें फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू		
			की बिक्री मैनुअल प्रक्रिया अथवा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के जरिए सबसे उँची बोली		
			लगाने वाले को की जाती है;		
		(ख)	"प्ररूप" से विनियमों से उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;		
		(ग)	"नीलामी निदेशक" से इन विनियमों के अधीन नीलामी निदेशक के कर्तव्यों और		
			कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी		
			अभिप्रेत है;		
		(ঘ)	"नीलामी अधीक्षक" से इन विनियमों के अधीन नीलामी अधीक्षक के कर्तव्यों और		
			कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी		
			अभिप्रेत है;		
		(ਭ.)	"ज्येष्ठ वर्गीकरणकर्ता" से इन विनियमों के अधीन ज्येष्ठ वर्गीकरणकर्ताके		
			कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई		
			अधिकारी अभिप्रेत है;		
		(च)	"वर्गीकरणकर्ता" से इन विनियमों के अधीन वर्गीकरणकर्ताके कर्तव्यों और कृत्यों		
			का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;		
		(छ)	"प्रारंभकर्ता" से इन विनियमों के अधीन किसी प्रारंभकर्ता के कर्तव्यों और कृत्यों		
			का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;		

<sup>•</sup> भारत के राजपत्र असाधारण भाग-।।।, खण्ड-4 में दि.30/08/1984 को प्रकाशित किया गया था ।

<sup>\*\*</sup> भारत के राजपत्रभाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दि.08/01/2014 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियमों, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

प्तहायक
वोर्ड का
समय
भिन्न
र भी,
बाक् में
j
उसकी
न किया
में है।
गई हैं,
तक को
भीतर
उसके
प-3 में
ा प्रदेश

<sup>\*</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम ,1985 भारत के राजपत्रभाग-।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशित द्वारा जोड दिया गया था ।

5	आबंटन परिदान, कोटा और तारिख:		
	(1)	प्ररूप-3 में विवरणी की प्राप्ति के यथाशक्यशीघ्र किन्तु उसके मंच पर नीलाम का	
		पहला नीलामी विक्रय करने के सात दिन से पूर्व नीलामी अधीक्षक प्ररूप 4 में ऐसे	
		प्रत्येक उगाने वाले को एक प्राधिकरण कार्ड जारी करेगा जिसमें उस तम्बाकू की	
		कुल मात्रा जिसे उगाने वाला नीलामी विक्रय के मौसम के उदौरान परिदत्त करेगा	
		और वह मात्रा जो वह ऐसे मौसम के दौरान विभिन्न तारीखों को परिदत्त करेगा,	
		संसूचित की जाएगी ।	
	(2)	पूर्वीक्त वर्णित कुल मात्र अवधारित करने में नीलामी अधीक्षक निम्नलिखित बातों	
		को ध्यान में रखेगा:	
	(क)	कुल क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 10 के अधीन उगाने वाले को जारी किए गए	
		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आता है;	
	(ख)	कुल क्षेत्र जिसे प्ररूप-2 में विवरणी में उगाने वाले द्वारा तम्बाकू के साथ	
		उगाया गया दर्शित किया है;	
	(ग)	क्षेत्र में तम्बाक् की औसत उपज ;	
	(ঘ)	उगाने वाले द्वारा प्ररूप-3 में की विवरणी में उपदर्शित प्रक्कलित उपज ।	
		परन्तु परिदान के लिए प्राधिकृत कुल मात्रा किसी भी समय प्ररूप-3	
		में उगाने वाले द्वारा उपदर्शित उपज से अधिक नहीं होगी।	
6		कुल क्षेत्र उगाने वाला विनियम 5 के उपविनियम (1) के अधीन प्राधिकृत	
		मात्रा से अधिक तम्बाकू परिदत्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।	
		परन्तु जो प्राधिकृत है उसमें 10 प्रतिशत अधिक की मात्रा अधिक नहीं	
		मानी जाएगी।	
		परन्तु यह और कि यदि उगाने वाले ने विक्रय की पहली या दूसरी	
		तारीख को प्राधिकृत मात्रा से कम परिदत्त की है, तो वह नीलामी अधीक्षक	
		की लिखित अनुजा से पश्चातवर्ती तारीखों को उस कमी को परिदत्त कर	
		सकेगा।	
		1 100 100	

	ı			
7	तम्बाक् को पैक करने और परिदत्त करने का ढंग:			
	तम्बाब्	तम्बाक् निम्नलिखित रीति में मंच पर परिदत्त किया जाएगा;		
	(1) सभी तम्बाकू केवल एक ही श्रेणी की तम्बाकू वाली गंठों में पैक किया जाएगा।			
	+(2) कर्नाटका में नीलामी मंचों की दशा में किसी भी गांठ का वजन शुद्ध 80 किलो			
		से अधिक या 25 किलोग्राम से कम नहीं होगा और अपन्ध्र प्रदेश राज्य में		
		नीलामी मंचों की दशा में, किसी भी गांठ का वजन शुद्ध 100 किलोग्राम से		
		अधिक या 25 किलोग्राम से कम नहीं होगा।		
	(3) गांठों का आकार लम्बाई में 800 मि.मी., चौडाई में 800 मि.मी. होगा और			
		में 600 मि.मी. से अधिक नहीं होगा।		
		परन्तु अधिक से अधिक 50 मि.मी. के फेरार की अनुमति दी जाएगी।		
	(4)	गांठ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सामग्री के टुकडों में लपेटी जाएगी जिसमें से प्रत्येक		
		की कम से कम एक मीटर लम्बाकई और एक मीटर चौडाई होगी।		
	(5)	गोठ को ऐसी रीति में लपेटा जाएगा कि उसकी सिलाई को काटकर गांठ में पैक		
		की गई तम्बाकू तक सीधी पहुँच प्राप्त हो सके।		
	(6)	लपेटने वाली सामग्री की धार्गों से उचित रूप से सिलाई की जाएगी।		
	(7)	धागे सहित पैक करने वाली सामग्री का वजन एक किलोग्राम से अधिक नहीं		
		होगा।		
	(8)	गांठ पर स्पष्ट रूप से विनियम 3 के अधीन उगाने वाले को जारी की गई		
		पासबुक में विनिर्दिष्ट उगाने वाले का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और वह तारीख		
		जिसको गांठ परिदत्त की जाती है, स्पष्ट रूप से चिन्हित की जाएगी।		
	(9)	कोई भी उगाने वाला अपनी गांठ पर कोई अन्य चिन्ह न तो लगवायेगा और न		
		ही चिन्हित करेगा।		

<sup>+</sup>तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को अधिस्चित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

		परन्तु यह कि वह अपनी स्वयं की पहचान के प्रयोजनों के लिए अपने
		रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के पश्चात और उसी आधार पर दो वर्णनुक्रमिक अक्षर जोड
		सकता है।
	(10)	उगाने वाला किसी भी दिन विक्रय के लिए प्राधिकृत सभी गांठें एक परेषण में
		परिदत्त करेगा।
8	रसीद	और वजन:
	(1)	त्यों ही गाठें मंच पर परिदत्त की जाती हैं, ज्योंहि नीलामी अधीक्षक ऐसी गांठों
		को ऐसी रीति में लाट संख्या से चिन्हित करायेगा कि उगाने वाले की सभी गांठों
		को क्रमशः संख्यांक दिया जा सके।
	(2)	प्रत्येक गांठ का वजन किया जाएगा और (गांठ के कुल वजन में से पैकिंग
		सामग्री के वजन के लिए एक किलोग्राम की कटौती करने के पश्चात्) कुल वजन
		गांठ पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।
	(3)	उगाने वाले को परूप (5) में एक रसीद जारी की जाएगी और साथ ही प्ररूप 6 में
		एक गांठ टिकट गांठ के साथ मजबूती से लगा दी जाएगी।
	(4)	तत्पश्यात् गांठों को विक्रयाथ मंच पर क्रमवार लगाया जाएगा।
9	मंच प	र क्रमवार लगाना:
	गांठों व	को सर्वथा लाट संख्या के अनुसार मंच पर क्रमांकित किया जाएगा।
10	तम्बाब्	त् का वर्गीकरण:
	(1)	ज्यों ही गांठों की मंच पर क्रमांकित किया जाता है त्यों ही वर्गीकरणकर्ता गांठों
		को खोलेगा, गांठ में तम्बाकू को श्रेणी के सही निर्धारण के लिए उतने नमूने लेगा
		जितने वह आवश्यक समझे और तम्बाकू को समुचित श्रेणी समनुदेशित करेगा।
	(2)	इस प्रकार समनुदेशित श्रेणी गांठ टिकट में किसी समुचित स्थान पर स्याही से
		लिखी जायेगी।
	(3)	एक बार समनुदेशित श्रेणी में ज्येष्ट वर्गीकरणकर्ता द्वारा ही परिवर्तन किया
		जाएगा अन्यथा नहीं। यदि वह कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो पहले
		समनुदेशित श्रेणी को काट देगा और गांठ टिकट पर लाल स्याही से उस आशय
		की एक प्रविष्टि करेगा और उस पर अद्याक्षर करेगा।

	(4)	श्रेणी के समनुदेशन के पश्चात् गांठ बांध दी जाएगी और नमूना गांठ के ऊपर		
		गांठ का विक्रय कर दिए जाने तक संप्रदर्शित किया जायेगा।		
*11	क्रेताअं	क्रेताओं का वर्गीकरण:		
	बोर्ड 3	बोर्ड अपने विवेकानुसार नीचे सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट रूप में उनके द्वारा किए		
	गए तम्बाक् के क्रय के आधार पर क्रेताओं को क,ख या ग के रूप में वर्गीकृत कर			
	सकेगा:-			

## सारणी

स्तम्भ सं.1	स्तम्भ सं.2
"क " वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
	के दौरान दस लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन दस
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 3 लाख किलोग्राम से अन्यून।
	आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 30 लाख किलोग्राम से अन्यून
	या 1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन
	30 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 10 लाख किलोग्राम से अन्यून।

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशितानुसार संशोधित किया गया था।

"ख" वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
	के दौरान 5 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन 5
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 1.5 लाख किलोग्राम से अन्यून।
	आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 10 लाख किलोग्राम से अन्यून
	या 1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन
	10 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 3 लाख किलोग्राम से अन्यून।
"ग" वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
	के दौरान 1 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन 1
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 50,000 किलोग्राम से अन्यून।
	आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 1 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन 1
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 50,000 किलोग्राम से अन्यून।

_				
	पर	.न्तु उस	। व्यक्ति को जो ऊपर विपिनर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है, नीलामी निदेशक	
	के वि	के विवेकानुसार "ग" वर्ग के क्रेताके रूप में प्राधिकार दिया जा सकेगा।		
	12	12 क्रेता के प्राधिकार के लिए प्रक्रिया और प्राधिकार की शर्तै:		
		(1)	मंच पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत क्रेताओं की संख्या सामान्यत: 15 तक	
			सीमित रहेगी।	
		(2)	प्राधिकार देने में नीलामी निदेशक "ख" और "ग" वर्ग क्रेताओं की तुलना में	
			"क"वर्ग क्रेताओं को और"ग" वर्ग क्रेताओं की तुलना में वर्ग "ख" क्रेताओं को	
			अधिमान्यता देगा। क्रेताओं के प्रत्येक वर्ग में उन क्रेताओं को जिसने अधिक	
			तम्बाक् खरीदा है, उन क्रेताओं से अधिक अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने कम	
			खरीदा है यदि दो क्रेताओं ने एक ही मात्र में तम्बाक् खरीदा है, तो यह पुन:	
			लाट निकालकर विनिश्चित किया जाएगा।	
	13	क्रेताओं	ैं द्वारा आवेदनः	
		*(1)	मंच पर क्रेता के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला व्यक्ति कर्नाटका	
			राज्य में उस वर्ष में जिसके दौरान वह कार्य करना चाहता है, 30 जून, को या	
			उसके पूर्व तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य में 15 जनवरी को या उसके पूर्व, अथवा	
			किसी अन्य तारीख को जो बोर्ड नीलाम के सुचारू संचालन के लिए उचित	
			समझे, नीलाम निदेशक को प्रारूप 7 में आवेदन करेगा।	
		*(2)	आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण	
		(क)	प्रमाण पत्र की एक प्रति और रू.500/- की फीस दी जाएगी।	
		(ख)	फीस आवेदक को प्राधिकरण नामंजूर किए जाने की दशा में वापस लौटा दी	
			जाएगी।	
		(3)	प्रत्येक मंच के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा।	
		(3)	प्रत्यक मच के लिए पृथक आवदन किया जाएगा।	

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशितानुसार संशोधित किया गया था।

#### ::189::

(4)		आवेदन पर ऐसे व्यक्तियों के (जो चार से अधिक नहीं होंगे) नाम और उनके
		हस्ताक्षर होंगे जो मंच पर क्रेता की ओर से कार्य करेंगे।
(5)	(क)	ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर नीलामी निदेशक, यदि वह आवेदक को प्राधिकरण के
		लिए पात्र पाता है, तो प्राधिकरण दे सकेगा **(फार्म VIIIके अनुसार)
	(ख)	नीलामी निदेशक आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और लेखाबद्ध
		किए जाने वाले कारणों से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इन विनियमों के अधीन
		निनिरर्हित है या मंच पर जिसके कार्य करने से मंच का दक्ष कार्यकरण संभाव्य
		नहीं है, प्राधिकरण देने से इंकार कर सकेगा।
	(ग)	एक बार दिया गया प्राधिकरण उस कलैण्डर वष्र के अन्त तक जिसके दौरान वह
		दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा।
	(ঘ)	कोई व्यक्ति किसी मंच पर क्रेता के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि उसे-
	(i)	किसी समुचित न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है,
	(ii)	अपने कारबार के संबंध में किसी उगाने वाले का या बोर्ड का कोई ऋण है।
(6)		नीलामी निदेशक किसी ऐसे व्यक्ति को क्रेता के रूप में कार्य करने के लिए
		प्राधिकरण देने से दंकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:
	(i)	अधिनियम के अधीन जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण कुछ समय
		पहले रद्द कर दिया गया है और ऐसे रद्दकरण की तारीख से छह मास व्यतीत
		नहीं हुए है ;
	(ii)	ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या नियमों या विनियमों के
		अधीन किसी कदाचार का दोषी रहा है ;या

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1988 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.21/12/1988 को प्रकाशितानुसार जोड दिया गया था।

	(iii)	किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भागीदार है जिसको प्राधिकरण देन से इंकार कर
		दिया गया है, या
	(iv)	ऐसा व्यक्ति बोर्ड को सम्यक् समय पर अपने द्वारा उसको देय जुर्माना या अन्य
		देय राशि का संदाय करने में असफल रहा है, या
	(v)	ऐसा व्यक्ति सम्यक् समय पर नीलामी अधीचक को कोई विवरणी या रिपोर्ट
		प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिन को वह नियमों या विनियमों के अधीन
		प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हो।
14	क्रेताअं	ं का निलंबन:
	यदि	कोई प्राधिकृत क्रेता सम्बद्ध नीलामी अधीक्षक से अनुपस्थिति छुट्टी अभिप्राप्त
	किए	बिबना लगातार तीन दिन तक जिसके दौरान नीलामी की जाती है अनुपस्थिति
	रहता	है तो नीलामी अधीक्षक ऐसे क्रेता को 15 दिन से अनिधिक की अविधि के लिए मंच
	से नित	त्रंबित कर सकेगा।
	परन	न्तु नीलामी अधीक्षक ऐसे निलंबन को उस दशा में प्रतिसंहत कर सकेगा यदि
	उसका	यह समाधान हो जाता है कि क्रेता की अनुपस्थिति उसके नियंत्रण के परे कारणों
	से हुई	थी या यह कि मंच पर क्रेता की उपस्थिति मं पर प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के हित
	में आ	वश्यक है।
15	नीलाम	प्रक्रिया:
	(1)	ज्यों ही नीलामी अधीक्षक की राय में गांठों की पर्याप्त संख्या विक्रय के लिए
		सुलभ होगी त्यों ही तम्बाकू की नीलामी शुरू कर दी जाएगी ।
	(2)	प्रत्येक गांठ सर्वथा लाट संख्या के अनुसार विक्रय के लिए रखी जाएगी।
		परन्तु प्रारंभकर्ता विक्रय के क्रम में परिवर्तन कर सकेगा यदि वह ऐसा परिवर्तन
		विक्रय के सुगम संचालन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझता है।
16	विक्रय	का संचालन :
	(1)	प्रत्येक विक्रय में प्रारंभकर्ता, प्रारंभकर्ता का सहायक और उसका सहायक एक
		पंक्ति में एक साथ खडे हो जाएंगे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनको अलग
		नहीं किया जाएगा।
	(2)	प्रारंभकर्ता का सहायक क्रेताओं की मुख्य पंक्ति के सामने और उस गांठ के
		निकट जिसे विक्रीत किया जा रहा है, खडा होगा और उस स्थिति में तब तक
		खडा रहेगा जब तक कि गांठ के क्रेता का नाम उसके द्वारा घोषित नहीं कर
		दिया जाता है।

	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(3)	क्रेता, क्रेताओं की पंक्ति में स्वयं अपने स्थान पर खेडे हो जाएंगे।
	(4)	यदि क्रेता अपने स्थान की बाबत सहमत होने में असमर्थ हैं तो मामला नीलामी
		अधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
17	बोली	लगाने का ढंग :
	(1)	प्रत्येक गांठ के विक्रय के प्रारंभ पर प्रारंभकर्ता उस श्रेणी और मूल्य की घोषणा
		करेगा जिसकी वह इस पर बोली लगाता है।
	(2)	उसके ठीक पश्चात् प्रारंभकर्ता का सहायक मूल्य की बोली लगायेगा और उस
		मूल्य को या किसी क्रेता द्वारा बोली लगाए गए किसी उच्चतर मूल्य को तब
		तक बोलता रहेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि कोई
		और उच्चतर बोली नहीं लगाई जाएगी। वह तब सर्वोच्च बोली लगाने वाले का
		नाम घोषित करेगा।
	(3)	क्रेता शुरू के मूल्य को स्वीकार कर सकेगा और तत्पश्चात् बोली 10 पैसे प्रति
		किलो ग्राम से अन्यून की बोलियों द्वारा अग्रसर होगी जब तक कि गांठ
		सर्वोच्च बोली लगाने वाले का नहीं दे दी जाती है।
	(4)	ज्यों ही गांठ की बोली समाप्त हो जाती है, प्रारंभकर्ता का सहायक या उसके
		सहायकों में से एक गांठ टिकट के समुचित स्थान पर तम्बाक् का मूल्य और
		क्रेता के नाम लिखेगा और उस पर अपने आद्यक्षर करेगा। वह क्रेता के
		आद्याक्षर भी प्राप्त करेगा।
		इसके पश्चात् क्रेता विक्रय को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं करेगा कि उपदर्शित
		मूल्य सही नहीं है या यह कि उसने गांठ के लिए बोली नहीं लगाई थी ।
∗17क	(1)	बिक्री की शुरूआत के समय प्रत्येक बेल स्टार्टर, ग्रेड की घोषणा द्वारा उसके
		लिए नियत कीमत प्रारंभिक कीमत को इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल उपकरण में सक्रिय
		करेगा।
	(2)	ई-नीलामी प्रणाली पर लॉग-ऑन करने वाले सभी विक्रेता बोली प्रदाता द्वारा
		गाँठ की उच्चतम बोली लगाए जाने तक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल उपकरण में
		बटन दबाकर 1.00 रूपए प्रति कि.ग्रा. के गुणकों में स्वतः कीमत बढा सकते हैं
		1

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियम, 2014, भारत के राजपत्रभाग-,।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दि.08/01/2014 को प्रकाशितानुसार जोड दिया गया था।

18	विक्रय	के लिए रखे गए तंबाकू का वापस लिया जाना :
	(1)	जब कोई वर्गीकरण कर्ता यह पाता है कि कोई गांठ इतनी बुरी तरह उठायी-धरी
	\	गयी, क्षतिग्रस्त मिश्रित बासी या फफूंदी है कि वह पुनः संभाले गए बिना
		विक्रय के योग्य नहीं है, तो वह ज्येष्ठ वर्गीकरण कर्ता की सहमति से गांठ को
		विक्रय से वापस कर सकेगा। इस आश्य की एक सूचना गांठ पर सहजदृश्य
		रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और गांठ किसी प्रारंभकर्ता द्वारा विक्रय के लिए
		प्रस्तावित नहीं की जाएगी।
	(2)	गांठ ऐसे उगाने वाले द्वारा जो विक्रय के लिए गांठ पुन: प्रस्तावित करें, ऐसी
		तारीख को परिदत्त की जाएगी जो नीलामी अधीक्षक द्वारा तंबाकू पुन: संभालने
		के पश्चात् प्राधिकृत की जाए। ऐसी पुन: प्रस्तावित तम्बाकू की गणना उस
		तंबाकू में की जाएगी जिसे उगाने सवाला विनियम 5 के अधीन उस तारीख को
		परिदत्त करने के लिए प्राधिकृत हो।
19	फफ्रंदी	, बासी, मिश्रित, बुरी तरह उउठाई -धरी गई या क्षतिग्रस्त तंबाक्:
	(1)	यदि कोई गांठ इतनी फफ्ंदी, मिश्रित या बुरी तरह उठाई-धरी गई, क्षतिग्रस्त या
		बासी है कि वह संभालकर रखने पर भी ठीक नहीं हो सकती है, किंतु जिसका
		ज्येष्ट वर्गीकरणकर्ता की राय में संभवतः कोई मूल्य हो सकता हो, तो ऐसी गांठ
		को विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जा सकेगा यदि उस आशय की प्रविष्टि गांठ
		टिकट पर कर दी जाती है और उस आशय की सूचना गांठ के किसी सहजदृश्य
		स्थान पर सम्प्रदर्शित की जाती है और उस गांठ को विक्रय के लिए प्रस्तावित
		किए जाने के पूर्व प्रारंभकर्ता द्वाारा ऐसा घोषित किया जाता है।
	(2)	कोई भी क्रेता ऐसी गांठ के विक्रय को मात्र इस आधार पर निराकृत नहीं करेगा
		कि वह फफ्रंदी, मिश्रित, बुरी तरह उठाई-धरी गई, क्षतिग्रस्त या बासी है।
20	नीडित	तंबाकू:
	(1)	कोई भी उगाने वाला विक्रय के लिए ऐसी तंबाकू प्रस्तावित नहीं करेगा जो
		नीडित है।
	(2)	यदि कोई वर्गीकरणकर्ता यह पाता है कि गांठ नीडित है तो वह गांठ को विक्रय
		से वापस कर लेगा और मामले की रिपोर्ट नीलामी अधीक्षक को करेगा।
	(3)	यदि क्रेता विक्रय के 48 घंटे के भीतर नीलाम अधीक्षक का यह रिपोर्ट करता है
		कि उसके द्वारा क्रय की गई गांठ नीडित है तो नीलामी अधीक्षक तुरंत तंबाक्
		का निरीक्षण करवायेगा।

(4) यदि उप विनियम (2) में निर्दिष्ट किसी वर्गीकरणकर्ता द्वारा रिपो	
(1) विविध्य अभिवासिक (2) विविध्य अभिवासिक विविध्य विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विष	र्ट के आधार
पर या उपविनियम (3) में निदर्ष्टि निरीक्षण के परिणाम स्व	रूप नीलामी
अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि गांठ नीडित है तो वह	तंबाक् बोर्ड
(नीलाम) नियम, 1984 के नियम 7 के अधीन उगाने वाले द्व	ारा परिदत्त
तंबाकू को विक्रय के लिए प्राप्त करने या रखने से इंकार करने के	लिए शास्ति
अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत होगा।	
(5) यदि नीलामी अधीक्षक यह अनुभव करता है कि उगाने वाले का	रजिस्ट्रीकरण
रद्द किया जानाना चाहिए तो वह तदनुसार अण्यक्ष् को इसकी रिपोर्ट	ं करेगा और
अध्यक्ष तंबाकू बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 7 के अध	ोन कार्यवाही
कर सकेगा।	
(6) विक्रय के पश्चात् कोई गांठ जो नीडित पाई जाती है नीलामी अध	<u></u> धीक्षक द्वारा
विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाएगी और विक्रय आगमों का उप	योग गांठ के
क्रय मूल्य और परिवहन की लागत के मद्धे क्रेता को प्रतिदाय व	<sub>र</sub> ने के लिए
किया जाएगा। यदि ऐसे विक्रय द्वारा प्राप्त की गई रकम क्रेता	
करने केलिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी कमी नीलामी अधीक्षक द्वार	ा बोर्ड द्वारा
उगाने वाले को शोध्य और क्रेता को संदत्त रकम से प्न: वसूल की	
21 कोई बोली न लगाए जाने वाली गांठ:	
यदि कोई भी क्रेता किसी गांठ के लिए बोली नहीं लगाता है तो आरम्भव	र्ता श्रू का
मूल्य कम कर सकता है। यदि तब भी कोई बोली नहीं लगाई जा	रही है तो
आरम्भकर्ता गांठ को विक्रय से वापिस ले सकेगा। ऐसी गांठ, उगाने वाले	ने विकल्प
पर या तो उसे वापिस की जा सकेगी या किसी अन्य तारीख को नील	मी अधीक्षक
द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थंापित की जा सकेगी । यदि विक्रय के लि	ए इस प्रकार
प्रस्तावित किसी गांठ के लिए कोई बोली नहीं होती है तो बोर्ड या ऐसा उ	भधिकरण जो
बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, गांठ को ऐसे मूल्य पर क्रय करेगा जो	उसके द्वारा
समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।	
	ों होगा जिसे
परन्तु बोर्ड या अभिकरण के लिए ऐसा तम्बाक् क्रय करना आवश्यक नही	· • •
बोर्ड अपने द्वारा क्रय के लिए अनुपयुक्त समझता है।	
बोर्ड अपने द्वारा क्रय के लिए अनुपयुक्त समझता है।	
बोर्ड अपने द्वारा क्रय के लिए अनुपयुक्त समझता है। 22 उगाने वाले द्वारा अस्वीकार किया जाना :	पश्चात् 30

	(2)	वह उगाने वाला जिसने किसी गांठ के मूल्य को स्वीकार करने से इंकार कर
		दिया है, या तो उसे मंच से हटा सकेगा या प्न: इसे विक्रय के लिए प्रस्तावित
		करने के लिए नीलामी अधीक्षक से अनुरोध कर सकेगा।
	(3)	ऐसी गांठ केवल एक बार विक्रय के लिए पुन:प्रस्तावित की जाएगी और यदि
		ऐसे पुन: विक्रय के समय उगाने वाला ऐसी गांठ के मूल्य को स्वीकार करने से
		इंकार करता है तो वह मंच से गांठ हटा लेगा या विनियम 21 के अधीन क्रय
		के लिए इसे बोर्ड को प्रस्तावित करेगा।
23	क्रेताअं	ों द्वारा निराकरण:
	(1)	विनियम 19 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्रेता किसी दिन के विक्रय की
		समाप्ति के पश्चात् 30 मिनट के अन्दर वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता का यह
		अधिसूचित कर सकेगा कि उसके द्वारा क्रय की गई गांठ बुरी तरह उठाई-धरी
		गई, फफ्रूंदी, बासी या क्षतिग्रस्त है या किसी अन्य रूप में विक्रय के लिए
		अनुपयुक्त है।
	(2)	वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता तुरन्त मामले की जांच करेगा और यदि वह क्रेता के
		प्रतिविरोध को कायम रखता है तो गांठ का विक्रयकर्ता द्वारा निराकरण किया
		जा सकेगा।
	(3)	यदि वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता क्रेता के प्रतिविरोध को कायम नहीं रखता है तो
		विक्रय विद्यमान रहेगा।
	(4)	यदि क्रेता के प्रतिविरोध को कायम रखा गया है या अस्वीकार किया गया है तो
		वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता गांठ विटकट पर प्रतिविरोध को कायम रखने या उसे
		अस्वीकार करने के कारण गांठ-टिकट के मुख्य भाग पर उपदर्शित करेगा।
	(5)	ऐसी गांठ विनियम 18 या विनियम 19 के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति,
		उगाने वाले को लौटा दी जाऐगी या विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाऐगी।
24	क्रेताअं	ों द्वारा गांठों का हटाया जाना: -
	(1)	क्रेता अपने द्वारा क्रय की गई गांठों को, विक्रय के पश्चात् गांठों की समाप्ति
		के आधा घण्टे के अन्दर मंच पर विक्रय के स्थान से नीलामी अधीक्षक द्वारा
		उपदर्शित किसी स्थान पर हटाएगा।
	(2)	क्रेता विक्रय के पांच घण्टे के अन्दर मंच से अपना तम्बाकू हटाएगा।
	(3)	यदि कोई क्रेता उपविनियम (2) में विहित समय के अन्दर अपना तम्बाकू हटाने
		में असफल रहता है तो नीलामी अधीक्षक ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए
		जो तम्बाकू को हो, दायित्वाधीन नहीं होगा।

25	उगाने वाले द्वारा गांठों का हटाया जाना:		
	(1)	उगाने वाला ऐसे तम्बाकू को जो विक्रय की समाप्ति के पांच घण्टे के अन्दर	
		किसी कारणवंश उसे वापिस लौटाया जाता है, हटाएगा।	
	(2)	यदि उगाने वाला नियत समय के अन्दर तम्बाक् हटाने में असफल रहता है तो	
		नीलाम अधीक्षक तम्तम्बाकू को हटवा सकेगा और उगाने वाले की लागत पर	
		उसका भण्डारकरण करा सकेगा।	
	(3)	यदि उगाने वाला उस तारीख से जिसको वह हटाया जाना चाहिए या, 10 दिन	
		की अवधि के अन्दर तम्बाक् का दावा करने में असफल रहता है तो नीलामी	
		अधीक्षक, तम्बाकू का विक्रय करवा सकेगा और भण्डारकरण तथा आनुषंगिक	
		व्ययों की लागत की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त मूल्य का संदाय उगाने वाले	
		को करवा सकेगा।	
26	उगाने	वार्लो को संदाय:	
	*(1)	कर्नाटका राज्य में, नीलामी अधीक्षक उगाने वाले को विक्रय की समाप्ति के 10	
		दिन के भीतर उसके मंच पर विक्रय किए गए तम्बाकू के मूल्य का संदाय	
		करेगा और आन्ध्र प्रदेश राज्य में नीलामी अधीक्षक उस विक्रय की समाप्ति के,	
		जिसमें तम्बाकू का विक्रय हुआ है, 10 दिन के भीतर 50 प्रतिशत और 45 दिन	
		के भीतर शेष का संदाय करेगा तथा ऐसे संदाय में से अधिनियम की धारा 14	
		क के अधीन उगाने वाले से वसूल की जाने वाली फीस, तम्बाकू उप कर	
		अधिनियम, 1975 (1975 का 26) के उपबंधों के अधीन उगाने वाले द्वारा	
		संदत्त किए जाने के दायी उत्पाद-शुल्क और ऐसे अन्य प्रभार जो उगाने वाला,	
		नियमों या विनियमों के अधीन संदाय करने का दायी है, काट लिए जाएंगे।	
	(2)	संदाय उस बैंक के नाम दिए गए चैक द्वारा किए जाएंगे जिसमें उगाने वाले का	
		लेखा है और जो विनियम 3 के अधीन उसको जारी की गई पास-बुक में	
		उपदर्शित है।	
27	क्रेताअं	िद्वारासंदायः	
	(1)	क्रेता नीलाम अधीक्षक को ऐसे समय के अन्दर जिस की बोर्ड अपेक्षा करें, उसके	
		द्वारा क्रय की गई तम्बाकू के मूल्य का संदाय करेगा।	

<sup>•</sup> तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियम, 1985, भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4, में दि.15/02/1985 को संशोधन किया गया था।

	(2)	यदि कोई क्रेता उपिधिनियम (1) के निबन्धनों के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के	
		अन्दर अपना हिसाब तय करने में असफल रहता है तो नीलामी अधीक्षक	
		तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 9 के अधीन मंच पर उसके	
		उपस्थित होने और क्रय करने के लिए उसे अनुज्ञात करने से इन्कार किए जाने	
		शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।	
	(3)	यदि नीलामी अधीक्षक यह अनुभव करता है कि रजिस्ट्रीकरण के संग्रहण की	
		शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा जो	
		तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 9 के अधीन कार्रवाई करेगा।	
	(4)	ऐसा कोई क्रेता जो विनिर्दिष्ट समय के अन्दर संदाय करने में असफल रहता है,	
		बोर्ड द्वारा स्थापित किसी तल पर तब तक बोली लगाने के लिए अनुज्ञात नहीं	
		होगा तब तक वह अपना हिसाब तय नहीं करता है।	
	(5)	क्रेताओं से सम्यक् संदाय सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ऐसे क्रेतक्रेताओं से बोर्ड	
		के समाधानप्रद रूप में एक बैंक प्रत्याभूति या प्रत्ययपत्र या ऐसी धनराशि की	
		ऐसी अन्य प्रतिभूति जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर	
		सकेगा।	
28	मंच प	र उपस्थितिः	
	(1)	नीलामी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति किसी मंच	
		पर प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।	
	(2)	किसी क्रेता के अधिक से अधिक 2 प्रतिनिधि मंच पर प्रवेश करने के लिए या	
		एक ही समय पर बोली लगाने में भाग लेने के लिए अनुज्ञत होंगे।	
	(3)	ऐसा उगाने वाला जिसके तम्बाक् की नीलामी की जा रही है या उसके द्वारा	
		सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका प्रतिनिधि मंच पर उसकी गांठ की बोली समाप्त	
		होने के पश्चात् उसकी तम्बाकू द्वारा प्राप्त मूल्य की जांच करने के लिए मंच	
		प्रवेश कर सकेगा ।	
29	विवाद	_	
		यदि कोई विवाद, जिसका इन विनियमों में उपबन्ध नहीं किया गया है, किसी	
		के अनुक्रम में या उसके सहायक रूप में उत्पादन हो जाता है तो वह मामला	
	_	ी निदेशक को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।	
30	निरस		
		तम्बाक् बोर्ड (कर्नाटक राज्य पर लाग् होना) विनियम, 1979 इसके द्वारा	
		त किया जाता है और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के	
		ध, जहाँ तक हो वहाँ तक, इन विनियमों के निर्वचन को वैसे ही लागू होंगे जैसे	
	वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन को लागू होते हैं।		

:: 197::

#### प्ररूप 1

तम्बाकू बोर्ड द्वारा मुद्रित और प्रदाय किया जाएगा

क्रम सं
तं.बो.ग्रो.सं

## तम्बाक् बोर्ड

## तम्बाकू उगाने वाले की पास बुक (ता.उ.पा.बु.)

(तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984 का विनियम 3)

1	उगाने वाले का नाम और पता :	
2	पिता या पति का नाम :	
3	तम्बाकू बोर्ड उगाने वाले की रजिस्ट्रीकरण सं.	
	(तं.बो.उ.र.सं.) :	
4	नीलामी मंच सं. और स्थान :	
5	बैंक का नाम और पता जिससे फसल/ सावधिक उधार	
	लिए गए हैं :	
6	किसी अन्य बैंक का नाम जिसमें लेखा है :	

T91T-	
रपाण	

तारीख :

उगाने वाले के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

## 7. हैटेयर में क्षेत्र की विशिष्टियाँ ओर रजिस्ट्रीकरण:

वर्ष	ग्राम, तालुक और	सर्वेक्षण सं.	दी गई भूमि	की मात्रा	कुल योग जैसा प्ररूप	यह प्रमाणित किया जाता हे कि स्तंभ (1) से 6
	जिले का नाम		स्वामित्वाधीन	पट्टे पर	2 में हैं	में दी गई विशिष्टियाँ प्ररूप 1 और 2 के अनुसार
						सही हैं। तम्बाक् बोर्ड के अधिकारियों के हस्ताक्षर
						और तारीख
1	2	3	4	5	6	7

:: 199 ::

8. वह वास्तविक क्षेत्र जिस पर कृषि की गई है ओर फसल उगाई गई हैं:

क्रम सं.	फसल का वर्ष	क्षेत्र जिसमें (हेक्टेयर) तम्बाक् की खेती	उत्पादन (कि.ग्रा.)	क्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर	वास्तविक रूप में परिदत्त की गई
		होती है।			मात्रा
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

:: 200 ::

9. बैंकों से फसल उधार :

(बैंकों को द्वारा भरे जाने के लिए) (रूपयों में )

तारीख	बैंक का नाम	अग्रिम दी गई रकम	अग्रिम देने वाले बैंक के	संग्रहीत और प्रेषित रकम	देय बकाया रकम	प्रेषित करने वाले बैंक के
			अधिकारी के आद्याक्षर और			अधिकारी के आद्याक्षर और
			तारीख			तारीख

:: 201::

10. बैंकों के खाता आदि के लिए सावधिक उधार:

(बैंकों को द्वारा भरे जाने के लिए) (रूपयों में )

तारीख	बैंक का नाम	अग्रिम की रकम	देय किस्त की रकम			वर्तमान शेष रकम	
				अधिकारी आद्याक्षर और	प्रेषित किस्त		बैंक के अधिकारी के
				तारीख			आद्याक्षर और
							तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पण : संग्रहण बैंक को रकम उस बैंक को प्रेषित करनी चाहिए जिसने उधार दी है।

(तम्बाकू बोर्ड/ सम्बद्ध सरकारी विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

# 11. तम्बाकू बोर्ड/ सरकारी उधार / अग्रिम :

वर्ष	अभिकरण	प्रयोजन	यदि वस्तु	यदि मात्रा	यदि नकद	दिया गया	देय किस्त	सरकार /	संग्रहीत	वर्तमान	सरकार/
	का नाम	जिसके लिए	रूप में है	मूल्य	रकम में है	उधार की	की रकम	तम्बाक्	और प्रेषित	बकाया	तम्बाक्
		दिया गया	तो मात्रा	^	तो	कुल रकम		बोर्ड के	किस्त	रकम	बोर्ड के
		(विनिर्दिष्ट	मूल्य			(5+6)		अधिकारी			अधिकारियों
		करें)						के			की तारीख
								आद्याक्षर			सहित
								·			हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

:: 203::

## तम्बाक् बोर्ड

#### प्ररूप 2

## तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984 का विनियम 4)

(यह विवरणी रोपण पूरा हो जाने के 15 दिन के अन्दर प्रति वर्ष प्रस्तुत करनी होगी।)

3गान वाल का नाम आर पता: ग्राम:
--------------------------------

तं.बो.उ.रा.सं.	रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)	रोपा गया क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	रोपण की तारीख

स्पान.	<del></del>	
तारीख	:	उगाने वाले के हस्ताक्षर

:: 204 ::

## तम्बाक् बोर्ड

प्ररूप 3

( तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984 का विनियम 4)

(यह विवरणी एक जुलाई का या उसके पश्चात् किन्तु 15 जुलाई मैसूर, हसन, कोडागू, बंगलौर और कोलार के जिलों में तथा 30 जुलाई से पूर्व कर्नाटक के तम्बाकू उगाने वाले अन्य क्षेत्रों में\* (और आन्ध्र प्रदेश राज्य में 15 दिसम्बर, को किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात्) प्रस्तुत करनी होगी ।)

उगाने	ताले	का	ਗ਼ਸ਼	और	ਧੁਤਾ-	 ग्राम:	
201101	વાભ	471	जान	3113	чαі.	 श्राम.	

तं.बो.उ.रा.सं.	क्षेत्र रजिस्ट्रीकृत (हेक्टेयरों में)	रोपा गया क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	प्राक्कलित उत्पादन कि.ग्रा. में

स्थान:	
तारीख:	उगाने वाले के हस्ताक्षर

:: 205 ::

तम्बाक् बोर्ड प्ररूप 4

### प्राधिकरण पत्र

( तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984 का विनियम 5 )

1	उगाने वाले का नाम और पता :	
2	पिता या पति का नाम :	
3	ग्राम :	
4	नीलामी मंच संख्या और वह स्थान जिस पर परिदान किया	
	जाना चाहिए :	
5	तं.बो.उ.रा.सं. :	
6	मौसम के लिए प्राधिकृत कुल मात्रा :	

बिक्री सं.	तारीख परदान और समय	प्राधिकृत कोटा	बोर्ड के अधिकारी के	प्राधिकृत पुररीक्षित कोटा	बोर्ड के अधिकारी के
			आद्याक्षर		आद्याक्षर
I					
		किलोग्राम		किलोग्राम	
II					
		किलोग्राम		किलोग्राम	
III					
		किलोग्राम		किलोग्राम	
IV					
		किलोग्राम		किलोग्राम	
V					
		किलोग्राम		किलोग्राम	
VI					
		किलोग्राम		किलोग्राम	

7. टिप्पणी:

नीलामी अधीक्षक के हस्ताक्षर

:: 207 ::

तम्बाक् बोर्ड प्ररूप 5 रसीद

( तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984 का विनियम 9)

नीलामी मंच संख्या	स्थान			
रसीद सं	तारीख	समय	रसीद की	
उगाने वाले का नाम		पुत्र/ श्री		
ग्राम	तंबो.उ.रा.सं.			-
बैंक का नाम :				
पटन्न गांठों की मंख्या :				

:: 208 ::

लॉट सं.	वजन कि.ग्रा.	श्रेणी कि.ग्रा.	मूल्य कि.ग्रा.	कुल मूल्य	क्रेता का नाम /कोड सं.	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

उगाने वाले / विक्रेता के हस्ताक्षर

बोर्ड के अधिकारी के हस्ताक्षर

#### टिप्पण :

- 1. केवल स्तंभ सं.1 और 2 प्राप्ति करने वाले लिपिक द्वारा भरे जायेंगे।
- 2. स्तंभ सं. 3-7 लेखा अनुभाग द्वारा भरे जायेंगे ।

# तम्बाक् बोर्ड

प्ररूप 6

गांठ टिकट

((विनियम 10(2))

नीलामी मंच -----

तं.बो.उ.र.सं	लाट सं.	वजन किलोग्राम में	श्रेणी	तारीख
मूल्य प्रति कि.ग्रा.	क्रेता का नाम और क्र.सं.	क्रेता द्वारा अनुप्रमाणन	नीलामी कर्ता द्वारा अनुप्रमाणन	तम्बाक् बोर्ड की टिप्पणी

:: 209::

#### तम्बाक् बोर्ड

प्ररूप 7

(क्रेताओं के लिए आवेदन का प्ररूप) ((विनियम 13(1))

सेवा में,

#### नीलामी निदेशक

- 1. उस मंच का सं. और नाम जहाँ आवेदक कार्य करना चाहता है
- 2. वह वर्ग जिससे आवेदक सम्बद्ध होना चाहता है:
- 3. आवेदक का नाम :
- 4. वह पता जिस पर मुख्य कार्यालय स्थित है:
- 5. वह पता जिस पर पत्र-व्यवहार भेजा जा सकता है:
- 6. क्या आवेदक कोई कंपनी, फर्म या व्यष्टि है:
- 7. क्या आवेदक विनियम में विनिर्दिष्ट किसी रिरर्हता के अधीन है :
- 8. पूर्व 3 वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा किए गए क्रय :
- 9. आवेदक की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित नाम :
- 10. वह स्थान या वे स्थान जहाँ क्रेता द्वारा क्रय किए गए तम्बाक् का भण्डारकरण/ प्रसंस्करण किया जाएगा

मैंने / हमने विनियम पढ लिए हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ /हैं। मैं / हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

(आवेदक)

:: 210 ::

#### \*प्ररूप 8

तम्बाक् बोर्ड नीलामी प्लैटफार्म पर तम्बाक् के क्रेता के रूप में प्राधिकरण प्रमाणपत्र (विनियम 13(5)(क)) देखिए)

		(1910190	11 13(3)(47)) qiqx)	
Я	धिकरण प्रमाण पत्र सं	क्रेता	का कोड सं	
से		तक के केवल		मौसम की
तम्बाकू	की फसल के लिए विधिमान्य ।			
य	ह प्रमाणित किया जाता है कि तम्बाकू	बोर्ड रजिस्ट्रीकरण सं	वाले मेसर्स/श्र	ስ
को नील	ामी निदेशक ने तम्बाकू बोर्ड (नीलामी(	विनियम के विनियम 13(5) के अधी	न नीलामी प्लैटफार्म सं	में के तम्बाकू क्रेता
के रूप	में प्राधिकृत किया है। यह प्रमाणपत्र रि	नेम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते ह्ए	और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो	समय पर नीलामी निदेशक द्वारा अधिरोपित
	, जारी किया जाता है कि-	3	3	
	इस प्राधिकरण का धारक तम्बाक् बोर्ड इस प्राधिकरण का धारक तम्बाक् बोर्ड अनुबंधों, निबंधनों और शर्तों का पालव	और उसके अधिकारियों द्वारा समय-	5	! जा सकने वाले सभी विनियमों, निदेशों, आदेशों,
तारीख				निदेशक (नीलामी)

\* प्ररूप VIII तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) संशोधित विनियम 1988, भारत के राजपत्र, असाधाराण, भाग-।।।, खण्ड-4 में दि.21/12/1988 को जोडा गया था ।

रजिस्ट्री सं. डी. 33004/99

REGD. No. D.L-33004/99

# भारत का राजपत्र THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण EXTRAORDINARY भाग ।।। - खण्ड 4 PART III - Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 65]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/ फाल्गुन 13, 1934
No.65]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUANA 13, 1934

तम्बाक् बोर्ड, गुण्टूर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग ) अधिसूचना नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सं. 2/5/2011-ई.पी (कृषि-VI). - तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 सितम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र भाग ।।। खण्ड 4 में 8/4/98-ईपी. (कृषि-VI) एतद्द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2002 को निरस्त करते हुए, उनके अतिरिक्त, जिनका परिवर्धन अथवा विलोपन अपरोक्त से पूर्व किया जाना हो, तम्बाकू बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, बनाता है:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (क) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 कहा जाएगा।
  - (ख) उपरोक्त विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) **परिभाषाएँ --** इन विनियमों में, जब तक अन्यथा परिभाषित नहीं किया जाए, निम्नलिखित साधारण रूप में व्यवहृत किए जाएंगे।
  - (क) ``बोर्ड " तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के तहत गठित तम्बाकू बोर्ड
  - (ख) बोर्ड कर्मचारी—तम्बाक् अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत नियुक्त अध्यक्ष, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी निदेशक, धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त सचिव और बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त बोर्ड में कार्यरत अन्य सभी व्यक्ति ।
  - (ग) वेतन. केन्द्र सरकार के मूलभूत नियम और अनुपूरक नियमों में परिभाषित वेतन/ परिलब्धियां ।
  - (घ) पदों का वर्गीकरण --
    - (अ) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर.-वे सभी पद, जो अधिकतम रू.39,100 के पे.बैण्ड अथवा अधिक में आते हों।
    - (ब) **माध्यमिक प्रबंधन स्तर.**—वे सभी पद, जिनका पे बैण्ड अधिकतम रू. 34,800 हो किन्तु अधिकतम पे.बैण्ड 39,099 रू. से कम हो।

(इ.) <u>नियुक्ति प्राधिकारी</u> :- बोर्ड के कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति हेतु अधिकार प्राप्त नियक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

<u>अध्यक्ष</u> :- वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के वे अधिकारी जिनका पे.बैण्ड का अधिकतम रू. 39,100 प्रतिमाह से अधिक न हो, और बोर्ड के अनुमोदन एवं केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के साथ वे तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनका पे.बैण्ड को अधिकतम रू. 39,100 प्रतिमाह से अधिक हो एवं माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पद:

2

कार्यकारी निदेशक:- कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद अध्यक्ष की प्राधकारिक शक्तियों के अन्रूप।

- (घ) अन्सूची: इन विनियमों की अन्सूची।
- (छ) सेवा :- बोर्ड में की गई सेवा।
- (ज) सीधी भर्ती :- रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम मांगाकर अथवा विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांगा कर अथवा बोर्ड के उपयुक्त योग्य कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर की गई भर्ती। अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड की दृष्टि में यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती बोर्ड कर्मचारी भर्ती के लिए सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए माने जाएंगे और केन्द्र सरकार द्वारा पिछली सेवा के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत व्यहत किए जाएंगे।
- (झ) प्रतिनियुक्ति:- केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को उधार लेना।
- (ट) <u>सरकार</u>: केन्द्र सरकार
- (3) <u>अनुप्रयोग</u> :- ये विनियम अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सचिव और केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पद के अतिरिक्त विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी पदों के लिए अनुप्रयुक्त होंगे।
- (4) प्रारम्भिक विधान :- इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख को इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्धारित पदों को नियमित आधार पर ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत अनयुक्त माने जपाएंगे और उनके द्वारा की गई अब तक की लगातार सेवा उसी ग्रेड में विरष्ठता के उद्धेश्य के लिए गिनी जाएगी।
- (5) <u>अनहर्ताए :-</u> कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा, यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पित अथवा पत्नी पहले से जीवित हो

(ख) जो जीवित पति अथवा पत्नी के होते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर चुका हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो

यदि सरकार इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि उस व्यक्ति एवं अन्य पक्ष पर लागू होने वाले निजी कानून में ऐसा विवाह को अनुमति प्रदान की गई है और कि ऐसा करने के अन्य आधार है, तो ऐसे व्यक्ति का इस नियम के लागू हो से छूट प्रदान की जा सकती है।

3

- (6) बोर्ड के किसी भी ग्रेड के कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (7) यदि विभागीय समिति द्वारा प्रोन्नित के लिए किसी किनष्ठ, जिसने पदोन्निती के लिए निर्धारित पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के नाम पर विचार किया जा रहा है, वहां, उस ग्रेड में उससे विरष्ठ सभी अधिकारियों भले ही उन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की हो, के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उन्होंने ग्रेड में निर्धारित परिवीक्षा, यदि कोई हो, को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया हो और सतर्कता के दृष्टिकोण से किसी भी आरोप से मुक्त हों।
- (8) <u>परिवीक्षा की अवधि</u> : सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नित द्वारा किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में दी गई अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।
- (9) परिवीक्षा की अवधि का पूरा होना अथवा सेवा समाप्ति
  - (क) कार्य अथवा आचरण के पद के अनुरूप संतोषजनक न जाए पाने पर नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन कर्मी की परिवीक्षा की अविध बढा सकता है। उन पदों के अतिरिक्त जिन पर भर्ती केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श द्वारा की गई हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन कर्मी के कार्य अथवा आचरण को पद के अनुरूप संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अविध की बढी हुई अविध के पश्चात् भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी की सेवाएं समाप्त कर सकता है अथवा बोर्ड के कर्मचारी के पुन: उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है।
  - (ख) उन पदों के अतिरिक्त, जिन के लिए भर्ती हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व परामार्श किया गया हो अन्य सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति का आचरण एवं कार्य यदि परिवीक्षा अविध के दौरान अथवा परिवीक्षा अविध की बढी हुई अविध के दौरान पर के अनुरूप संतोषजनक पाया गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त अविध के समापन के पश्चात यथाशीघ्र घोषित करेगा कि उस व्यक्ति ने अपनी परिवाक्षी संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और उसे पद पर स्थायी करेगा।
- (10) <u>स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र</u> : सेवा में भर्ती के समय विरष्ठ प्रबंधन स्तर और माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सर्जन पद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा।
- (11) <u>पेंशन लाभ</u>: बोर्ड के कर्मचारी केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभों के अधिकारी होंगे।
- (12) <u>निश्चित वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, छूट आदि</u> : इन विनियमों का कोई भी भाग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, उनन्य पिछड वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत अनुमन्य आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को विपरीत रूप से प्रमाणित नहीं करेगा।

- (13) <u>विभागीय पदोन्नति समिति का गठन</u>: अध्यक्ष विभिन्न वर्गों के बोर्ड कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु अनुसूचियों अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा।
- (14) <u>अन्य सेवा शर्त</u>ें: उन विषयों पर, जिन पर इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं, बोर्ड किर्मियों की सेवा शर्तें उसी वर्ग के केन्द्र सरकार के किर्मियों के समान होंगी। अद्यपि, बोर्ड में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा अनुसूची में इंगित आयु होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासनिक संबंधी मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत लागू होंगे।
- (15) पदों का सृजन : बोर्ड का अध्यक्ष अथवा बोर्ड तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 6 की उपधारा 4 के साथ पठित तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) नियम, 1984 के विनियम 15 एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों के अनुसार पदों के सृजन हेतु सक्षम है।
- (16) <u>सामान्य</u> : बोर्ड के कर्मचारी सेवा शर्तों एवं अन्य शर्तों के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबंधों, उनके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों और बोर्डि अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लागू अन्य शर्तों के अधीन होंगे।
- (17) <u>शिथिल करने की शक्ति</u> : जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐस करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह, उसके लिए कारणों को लेख बद्ध कर के और केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन विनियमों के प्रावधानों/ किसी एक प्रावधान में छूट प्रदान कर सकता है।

## तम्बाक् बोर्ड, गुण्टूर तम्बाक् बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे.बैण्ड और ग्रेड	च्नाव पर
नेष् नग गाण	नपा नग राउना	951147(51	पेय सवेल	अथवा गैर
			नव सवत	
	0		4	चुनाव पर
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय प्रबंधक	8	वरिष्ठ स्तर प्रबंधन तकनीकी	पे.बैण्ड -3	चयन
			15,600-34,150	
			ग्रेड पेय 6600/-	
सेवा से जुड़े वर्षों का		सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के	
लाभ सी सी स			लिए अपेक्षित	
(पेंश्न), नियम 1972			शैक्षिक तथा	
के नियम 32 के			अन्य अर्हताएं	
अधीन स्वीकार्य है				
अथवा नहीं				
			सीधी भर्ती में	परिवीक्षा की
			लागू आयु एवं	अवधि यदि
			शैक्षिक अर्हताएं	कोई हो
			पदोन्नति में	
			लागू होगी अथवा	
			नहीं	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	40 वर्ष से	(क) कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि	आयु नहीं	दो वर्ष
,	अधिक नहीं ।	(ख) तम्बाकू उत्पादन, प्रसार, विणन	J	
		एवं बाजार शोध, तम्बाकू नीलामी		
		का क्रियांवन में 5 वर्ष का अनुभव,		
		जिसमें से 3 वर्ष का अन्भव		
		न्यूनतम पर्यवेक्षक के रूप में होना	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		चाहिए।	शैक्षिक अर्हता	
			नहीं	

भर्ती की पद्धति/	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति द्वारा	यदि विभागीय पदोन्नति	वे परिस्थितियां,
सीधी भर्ती या	भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे	समिति है तो उसकी संरचना	जिनमें भर्ती
प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति		करने के लिए
/स्थान्तरण द्वारा	स्थान्तरण किया जाएगा।		संघ लोक सेवा
विभिन्न पद्धतियाँ			आयोग से
द्वारा भरी जाने			परामर्श किया
वाली रिक्तियों की			जाना है
प्रतिशता			
11	12	13	14
पदोन्नीत द्वारा	1. प्रोन्नति: नीलामी अधीक्षक/	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष	लागू नहीं
जिसके न हो सकने	वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी, पद पर	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	
पर प्रतिनियूक्ति	5 वर्ष की सतत् सेवा के साथ	3. निदेशक स्तर के 2	
द्वारा दोनों के न हो	प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता का	अधिकारी वाहय जिनमें से 1	
सकने पर सीधी भर्ती	निर्धारण नीलामी अधीक्षक और	अधिकारी अनुसूचित	
द्वारा	वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी के रूप	जनजाति का हो - सदस्य	
	में कुल की गई सेवा के योग से		
	किया जाएगा।		
	2. प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य		
	सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य के		
	स्वायत्व निकाय, सार्वजनिक		
	क्षेत्र उपक्रम में सहश्य पद पर		
	कार्यरत ग्रेड पे. में न्यूनतम 5		
	वर्ष तक सेवारत रहे कर्मियों से,		
	जो कालम 8 में सीधी भर्ती के		
	अभ्यर्थी हेतु विनिर्धारित शैक्षिक		
	अर्हता एवं अनुभव रखता हो।		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधी		
	साधारणतः 3 वर्ष से अधिक		
	नहीं होगी)		

1	2	3	4	5
2. प्रबंधक (वित्त	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर	चयन पे.बैंड 3	चयन
एवं लेखा)		तकनीक	₹. 15,600-	लागू
			39,100	
			ग्रे.पे.6600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू
				नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति, जिसके न	प्रोन्नति: उप प्रबंधक (लेखा)/	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
हो सकने पर	सहायक प्रबंधक लेखा या			
प्रतिनियुक्ति द्वारा	उसके सदस्य पर में न्यूनतम	3. निदेशक स्तर के 2		
	5 वर्ष की सेवा/ प्रोन्नति हेतु	बाह्य अधिकारी जिनमें से		
	वरिष्ठता का निर्धारण उप	1 अधिकारी अनुसूचित		
	प्रबंधक (लेखा)/ सहायक	जाति/अनुसूचित जनजाति		
	प्रबंधक (लेखा) के रूप में की	का हो - सदस्य		
	गई कुल सेवा के योग के			
	आधार पर किया जाएगा।			
	प्रतिनियुक्ति:भारतीय लेखा			
	परीक्षा और लेखा विभाग के			
	सहश्व के लेखा परीक्षा			
	अधिकारियों/लेखा अधिकारियों			
	उपक्रम अथवा केन्द्र/ राज्य के			
	स्वायत्तशासी निकाय में			
	समकक्ष पद में कार्यस्त लेखा			
	परीक्षा अधिकारियों/ लेखा			
	अधिकारियों में से अथवा			
	15600-39,100 पे.बैंड में			
	5400 में 7 वर्ष की सतत्			
	सेवा करने वाले लेखा परीक्षा			
	अधिकारियों/ लेखा			
	अधिकारियों में से,			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	साधारणतः 3 वर्ष से अधिक			
	नहीं होगी)			

1	2	3	4	5
3. प्रबंधक	1	वरिष्ठ स्तर, गैर- तकनीक	पे.बैंड 3	लागू नहीं
(व्यापार)			15,600-	
			39,100 ग्रेड पे.	
			6600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	चालीस (40) वर्ष से अधिक	अनिवार्य (1) वाणिज्य अथवा कृषि	नहीं	दो वर्ष
	नहीं	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि		
		(2) तम्बाक् के घरेलू एवं		
		अनतर्राष्ट्रीय व्यापार में 5 वर्ष का		
		अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष		
		पर्यवेक्षक/ निरीक्षक स्तर पर कार्य		
		किया हो		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी	लागू नहीं	
द्वारा	·	निदेशक- सदस्य		
		3. निदेशक स्तर के 2 बाह्य		
		अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी		
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित		
		जनजाति का हो - सदस्य		
1	2	3	4	5
4. नीलामी	55	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, तकनीक	पे.बैंड 3	चयन
अधीक्षक/			15,600-39,500	
सीनियर ग्रेडिंग			ग्रेड पे.5,400	
अधिकारी				
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नति उन फील्ड	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसके न हो	अधिकारियों/तकनीक सहायक,	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सकने पर	जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	सतत् सेवा ग्रेड की हो, में से	4. अनुसूचित जाति/जनजाति का		
द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय अथवा राज्य	एक बाह्य अधिकारी - सदस्य		
	के स्वायत्त निकाय,			
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम			
			l	

	के उन अधिकारियों से (i) जो सहश्य पर नियमित रूप से धारित करते हैं अथवा (i i) न्यूनतम 8 वर्षों से 9300- 4800 पे बे. में 4200 ग्रेड पे. में कार्यरत हो (2) तम्बाकू के उत्पादन/ प्रसार/ विपणन और विपणन शोध और तम्बाकू नीलामी संचालित करने का अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यव: 3 वर्ष की होगी।)			
1	2	3	4	5
5.उप प्रबंधक (लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-तकनीक	ਧੇ.ਬੈਂਤ 3 15,600-39,100 ਗ਼ੇਤ ਧੇ. 5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नित : अधीक्षक/ लेखाकार अथवा समकक्ष पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8 वर्ष की सतत् एवं नियमित सेवा करने वाले कर्मियों से प्रतिनियुक्ति : भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के लेखा परीक्षा उपिकारियों से अथवा लेखा/ लेखा परीक्षा अधिकारी जो केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजिनक निकायों में सदृश्य ग्रेड पे. आहरित कर रहे हो, से (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।)	सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी -	लाग् नहीं	

1	2	3	4	5
6 सहायक प्रबंधक	33	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-	पे.बैंड 3	चयन
(लेखा)		तकनीक	15,600-39,100	
. ,			ग्रेड पे.5,400	
6	7	8	9	10
लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नीत :	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसके न हो	अधीक्षक/लेखाकार अथवा सदृश्य	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सकने पर	पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	वर्ष की सतत् एवं नियमित	4. अनुसूचित		
द्वारा	सेवा करने वाले अधिकारियों से	जाति/जनजाति का एक एक		
	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र / राज्य	बाह्य अधिकारी - सदस्य		
	सरकार, केन्द्र/राज्य सार्वजनिक			
	उपक्रम एवं स्वायत्त निकायें के			
	उन अधिकारियों से			
	1(क) जो सदृश्य पद नियमित			
	रूप से धारित करते हो			
	अथवा			
	(ख) 4200 ग्रेड पे. व पे.बैंड-2			
	में 8 वष्र की नियमित एक			
	सतत् सेवा की हो			
	2. प्रशासन स्थापना एवं लेखा			
	मामलों की जानकारी हो।			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)			
1	2	3	4	5
7. सांख्यिकी	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर	पे.बैंड 3	चयन
अधिकारी		तकनीक	15,600-39,100	
			ग्रेड पे.5,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः सांख्यिकी अथवा गणित	आयु नहीं योग्यता	दो वर्ष
		अथवा वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में पर स्नातक उपाधि।	नहीं	
		वांछनीय: आंकडा संग्रहण व		
		विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव		
		भारतीय सांख्यिकी संस्थान अथवा		
		भारतीय कृषि सांख्यिकी की शोध		

		संस्थान का डिप्लोमा धारित ।		
11	12	13	14	
जिसके न हो	पदोन्नति: वरिष्ठ अन्वेषक जो ग्रेड में नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा कर चुके हों	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य	लागू नहीं	
भर्ती द्वारा	3	4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य		
1	2	3	4	5
अध्यक्ष की निजी सचिव	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	ਧੇ.ਕੈਂਤ 2 9300-34,800 ਗ਼ੇਤ ਧੇ. 4600	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नतिः तीन वर्ष की नियमित सेवा करे हुए आशुलिपिक (ग्रेड-।) अधिकारियों में से		लाग् नहीं	
1	2	3	4	5
9.क्षेत्र अधिकारी/ तकनीक सहायक	88	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि वांछनीयः तम्बाक् रोपण व संस्तर जानकारी	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	सीधी भर्ती से चयनित कर्मियों हेतु 2 वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति एवं सीधी भर्ती 1:1 के अनुपात में		1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	

				_ 1
1	2	3	4	5
10.अधीक्षक/	33	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर		चयन
लेखाकार		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त	नहीं	दो वर्ष
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
11	12	13	14	
पदोन्नति व सीधी	पदोन्नति :	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
भर्ती पदोन्नति व	(क) 90% तीन वर्ष की	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सीधी भर्ती में	नियमित सेवा वाले सहायक,	3. सचिव - सदस्य		
नियुक्त का				
अनुपात 2 : 1		J ",		
होगा होगा	उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में			
	सम्मलित सेवा न्यूनत्म 10 वर्ष			
	की हो।			
	(ख) 10% तीन वर्ष की नियमित			
	सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड (ii),			
	जिनके उपलब्ध न होने पर ऐसे			
	आशलिपिक ग्रेड (iii) जिसकी			
	आशुलिपिक ग्रेड iii एवं			
	आशुलिपिक ग्रेड ॥ के रूप में			
	सम्मिलित सेवा न्यूनतम 10 वर्ष			
	की हो।			
1	2	3	4	5
11. वरिष्ठ	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 2	चयन
अन्वेषक			9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा		1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसने न हो				
सकने पर	सहायकों में से	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्तिः तीन वर्ष तक	5 "		
द्वारा	सदृश्य पद धारित करने वाले			
Ç., .,	अधिकारियों से	सदस्य		

1	2	3	4	5
12. वरिष्ठ	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर	पे.बैंड 2	लागू नहीं
अनुवादक		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:1 (क) किसी		
		मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से		
		स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त		
		की हो हिन्दी/ अंग्रेजी में		
		अथवा		
		तथा अंग्रेजी/ हिन्दी स्नातक		
		स्तर पर अनिवार्य/ ऐच्छिक		
		विषय के रूप में रहा हो		
		(ख) हिन्दी/अंग्रेजी से इतर		
		किसी विषय में स्नातकोत्तर		
		उपाधि प्राप्त की हो तथा		
		स्नातक स्तर पर		
		अंग्रेजी/हिन्दी में से कोई एक		
		विषय के रूप में एवं इसका		
		परीक्षा के माध्यम के रूप		
		में रहा हो		
		(ग) हिन्दी अंग्रेजी से इतर		
		अथवा किसी विषय में		
		स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त		
		की हो तथा स्नातक स्तर		
		पर हिन्दी/अंग्रेजी से कोई		
		एक विषय के रूप में और		
		इसका परीक्षा माध्यम के		
		रूप में रहा हो और		
		2. हिन्दी से अंग्रेजी व		
		अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में		
		कोई मान्यता प्राप्त प्रमाण		
		पत्र/डिप्लोमा		
		वांछनीय: अंग्रेजी से हिन्दी		
		व हिन्दी से अंग्रेजी में		
		अनुवाद करने की योग्यता ।		

11	12	13	14	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
,		2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
		3. सचिव - सदस्य		
		4. अनुसूचित		
		जाति/जनजाति का एक एक		
		बाह्य अधिकारी - सदस्य		
1	2	3	4	5
13.सांख्यिकी	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 2	लागू नहीं
सहायक			9300-34,800	•
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनवार्यः	नहीं	सीधी भर्ती
		(क) सांख्यिकी में स्नातक		वालों हेतु 2
		उपाधि अथवा गणित/		वर्ष
		अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में		
		पर्चे/विषय में रूप में		
		स्नातकोत्तर उपाधि।		
		(ख) सांख्यिकीय आंकडों के		
		विश्लेषण में 3 वर्ष का		
		अनुभव		
		वांछनीय: भारतीय		
		सांख्यिकीय संस्थान अथवा		
		भारतीय कृषि सांख्यिकी		
		शोध संस्थान से डिप्लोमा		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा,	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसके न हो	सेवा वाले ऐसे उच्च श्रेणी	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सकने पर	लिपिक, जो गणित अथवा	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	सांख्यिकी में स्नातक उपाधि	4.अनुसूचित जाति/जनजाति		
द्वारा जिसके न	रखते हो	का एक एक बाह्य अधिकारी		
हो सकने पर	5	- सदस्य		
सीधी भर्ती द्वारा	सरकार के ऐसे कर्मचारी जो सदृश्य			
	पद पर हो और 3 वर्ष का अनुभव			
	रखते हो प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	सामान्यत: 3 वर्ष की होगी।			

1	2	3	4	5
14. सहायक	13	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर	पे.बैंड 2	गैर चयन
		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	(1) विश्वविद्यालय से	आयु : नहीं शैक्षिक	दो वर्ष
		स्नातक उपाधि	योग्यताः नहीं	
		(2) प्रशासन, लेखा क्षेत्र में		
		3 वर्ष का अनुभव		
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित	1.कार्यकारी निदेशक	लागू नहीं	
जिसके न हो सकने	सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से	2.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
पर सीधी भर्ती		एक बाह्य अधिकारी सदस्य		
द्वारा				
1	2	3	4	5
15. आशुलिपिक	3	मध्य प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
(ग्रेड-।।)		तकनीकी	9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. मान्यता प्राप्त	आयु:नहीं शैक्षणिक	सीधी भर्ती
		विश्वविद्यालयसे स्नातक	योग्ताः नहीं	वालों के लिए
		उपाधि		2 वर्ष
		   2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से		
		अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति		
		मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक		
		में 120 शब्द प्रति मिनट की		
		गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।		
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा		1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
जिसके न हो सकने		2. सचिव-सदस्य		
पर सीधी भर्ती		८. तायप-सदस्य		
द्वारा	अंग्रेजी टिप्पण में 40 शब्द प्रति	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में	का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
	120 शब्द प्रति मिनट की गति से			
	उत्तीर्ण की हो।			
1 10	2	3	4	5
16. उच्च श्रेणी	43	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
लिपिक रोकडिया		तकनीक	5,200-20,200	

			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	ग्रंड प.2,400 9	10
लाग् नहीं 11	लागू नहीं 12	लाग् नहीं 13	लागू नहीं 14	लागू नहीं
प्रोन्नति द्वारा	ाट अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक	ाउ 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
त्राण्णारा प्यारा	जिन्होंने 8 वर्षतक नियमित सेवा	ा. पगपपगरा जिल्लामा-अध्यक्ष	(वार्ग् वहा	
	की हो। अवर श्रेणी लिपिक एवं	2. सचिव-सदस्य		
	हिन्दी टंकक की वरिष्ठता का	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	निर्धारण उनकी ग्रेड में प्रविष्टि की	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	तिथि से होगा।	नग रमा बाह्य आवमगरा-रादरय		
1	2	3	4	5
17. आशुलिपिक	4	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	लागू नहीं
(ग्रेड-।।।)		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	लाग् नहीं	दो वर्ष
		(1) 10+2 अथवा समकक्ष		
		(2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से		
		अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति		
		मिनट की गति एवं अंग्रेजी		
		आशुलिपि में 120 शब्द प्रति		
		मिनट की गति से परीक्षा		
		उत्तीर्ण की हो।		
		वांछनीय: मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लाग् नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु)	लाग् नहीं	
		1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष		
		2. सचिव-सदस्य		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
18. अवर श्रेणी	52	कनिष्ठ प्रबंधन स्त्तर गैर	 पे.बैंड 1	गैर चयन
लिपिक		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	आयु:नहीं	दो वर्ष
		1. 10+2 अथवा समकक्ष	शैक्षणिक योग्ता: नहीं	

		2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड टंकण परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और प्रोन्नित 3 एवं 1 के अनुपात में		<ol> <li>कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष</li> <li>सचिव-सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाहय अधिकारी-सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
19. क्षेत्र सहायक	158	किनष्ठ प्रबंधन स्तर	ਧੇ.ਕੈਂਡ1 5,200-20,200 ਗੇਡ ਧੇ.1,900	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः  1. 10+2 अथवा समकक्ष  2. तम्बाकू रोपण एवं ग्रेडिंग का ज्ञान वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	आयु:नहीं शैक्षणिक योग्ताः नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और प्रदोन्नति 3 एवं 1 के अनुपात में		<ol> <li>कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष</li> <li>सचिव-सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
20. चालक (साधरण	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	चयन
ग्रेड)		तकनीक	5,200-20,200	
,			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	आयु:नहीं	दो वर्ष
		1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा	3	
		समकक्ष		
		2. हल्के मोटर वाहन चलाने		
		का लाइसेंस होना चाहिए।		
		3. हल्के मोटर वाहन चलाने		
		का न्यूनतम दो वर्ष का		
		अनुभव हो।		
11	12	13	14	
प्रोन्नति एवं सीधी	नियमित बहु-उद्धेशीय कर्मियों में से	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
भर्ती में 1:1 के	, 5			
_	में दक्षता परीक्षण होगा। दक्षता	2. सचिव-सदस्य		
_	परीक्षण में स्टाफ कार चालन हेतु	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
कर्मी उपलब्ध न	"	का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
	प्रोन्नति कोटा पूरित किया जाएगा।	•		
कोटा के पर सीधी				
भर्ती द्वारा भरे जा				
सकते हैं।				
1	2	3	4	5
21. गेस्टेटनर	1	किनष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर		गैर चयन
प्रचालक		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ग्रेड में 7 वर्ष की	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
	नियमित सेवा वाले उन बहु-उद्धेशीय	2. सचिव-सदस्य		
	कर्मियों से, जिन्हे गेस्टेटनर मशीन	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	के प्रचालन में दक्षता प्राप्त हो।	का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
22. बहु-उद्धेशीय	140	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	लागू नहीं
कर्मी		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,800	

6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा	लागू नहीं	दो वर्ष
		समकक्ष	*	
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
		2. सचिव-सदस्य		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
23. वरिष्ठ क्षेत्र	45	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	गैर चयन
सहायक		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति उन सहायकों से जिन्होंने	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
	संबद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित	2. सचिव-सदस्य		
	सेवा की हो।	3.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
		एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
24. हिन्दी टंकक	2	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 2	लागू नहीं
		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:		
		12+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, हिन्दी टंकण की गति 25		
		शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य हैं।		
		तांछनीय:		
		1. तकनीक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी		
		टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की		
		गति से उत्तीर्ण किया हो। 2.		
		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से		
		स्नातक		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	उन नियमित बहु-उद्धेशीय कर्मियों	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
जिसके न हो सकने	_	2. सचिव-सदस्य		
पर सीधी भर्ती	निर्धारित योग्यताएँ रखते हों।	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
द्वारा		का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
	•			1

1	2	3	4	5
25. पद्धति विश्लेषक	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर तकनीक	पे.बैंड 3	चयन
			15,600-39,100	
			ग्रेड पे.5,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः	आयु: नहीं शैक्षाविक	दो वर्ष
		1.सॉंख्यिकी/गणित(सांख्यिकी)/ ऑंपरेशन रिसर्च/भौतिकी अथवा	योग्यता - हॉ	
		अर्थशास्त्र (सांख्यिकी		
		सहित)/वाणिज्य (सांख्यिकी		
		सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि		
		अथवा		
		इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान		
		में डिग्री		
		2. डाटा प्रासेसिंग का 3 वर्ष		
		का अनुभव जिसमें से कम से		
		कम 1 वर्ष का अनुभव		
		इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर पर		
		वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना		
		चाहिए।		
		वांछनीय:		
		1. इंजीनियरिंग में मास्टर		
		डिग्री या उल्लिखित किसी भी		
		विषय में डॉक्टोरल डिग्री।		
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
		2.कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/ सिस्टम		
		/ डिजाइन / विश्लेषण में		
		औपचारिक प्रशिक्षण।		
		3. एक या अधिक प्रोग्रामिंग		
		भाषाओं का ज्ञान भर्ती के		
		समय उल्लेख किया जाए।		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा,	प्रोग्रामर के पद पर 2 वर्ष की	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नहीं	
	नियमित सेवा वाले अभ्यर्थियों में	2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
पर सीधी भर्ती	से।	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
द्वारा		का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		

1	2	3	4	5
। 26. प्रोग्रामर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2	ागू नहीं
20. AIMIVI		्राञ्च त्रथपण रहार णर (ायाणापा	9,300-34,800	(11 of 161
			ग्रेड पे.4,800	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः	लागू नहीं	दो वर्ष
(बार्ग वरि।	तास प्य स जायक गहा	जानपाय. गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन	(याणू जहा	G1 44
		रिसर्य/वाणिज्य अथवा		
		अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर		
		उपाधि तथा कम्प्यूटर का ज्ञान		
		स्नातकोत्तर डिप्लोमा न्यूनतम		
		3 वर्ष का संबंधित अनुभव		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु)	लागू नहीं	
राजा गरा। प्यारा	Charles and	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष	Charles and	
		2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
		2. 10.10(1.10(1.10(1.10(1.10(1.10(1.10(1.		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
27. निदेशक	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर	पे.बैंड 3	लागू नहीं
(नीलामी)		प्रतिनियुक्ति पद	15,600-39,100	
			ग्रेड पे.7,600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
गैर-सी.एस स.पद के	नियुक्ति भारत सरकार के उप	भारत सरकार के नियमों के	लागू नहीं	
तहत प्रतिनियुक्ति।		तहत सी.एस.वी. द्वारा		
भारत सरकार के वे	`			
उप-सचिव/निदेशक	प्रतिनियुक्ति की अवधि ४/४ वर्ष			
स्तर के अधिकारी	है।			
जो सी.एस.एस.				
(केन्द्रीय स्टाफिंग				
स्कीम) के तहात				
भारत सरकार में उप				
सचिव /निदेशक				
स्तर पर नियुक्ति				
हेतु अर्ह हैं, इस पर				
गैर-सी.एस.एस. के				
नियुक्त किए जा				
सकते हैं।				

	I			
1	2	3	4	5
28. हिन्दी अधिकारी	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2	चयन
			9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	लागू नहीं	दो वर्ष
		1. हिन्दी में स्नातकोत्तर		(सीधी भर्ती
		उपाधि अथवा समकक्ष तथा		वालों हेतु)
		स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भी		
		एक विषय रहा हो अथवा		
		स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय		
		के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर		
		या समकक्ष अथवा किसी विषय		
		में स्नातकोत्तर या समकक्ष		
		(हिन्दी माध्यम से) तथा		
		स्नातक स्तर पर हिन्दी एक		
		विषय रहा हो अथवा		
		अंग्रेंजी माध्यम से किसी भी		
		विषय में स्नातकोत्तर या		
		समकक्ष तथा स्नातक स्तर पर		
		अंग्रेजी एवं विषय रहा हो		
		2. हिन्दी में शब्दावली		
		कार्य/अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी		
		से अंग्रेजी अनुवाद में 5 वर्ष		
		का अनुभव। अनुवाद वरीयत:		
		तकनीक या वैज्ञानिक साहित्य		
		में होना चाहिए। या		
		हिन्दी अध्यापन,		
		शोध/प्रत्रकारिता में 5 वर्ष। का		
		अनुभव		
		वांछनीय:		
		(1) संस्कृत और / अथवा		
		तेलुगू भाषा का ज्ञान।		
		(2) प्रशासनिक अनुभव (3)		
		प्रारूपण व टिप्पण अथवा		
		हिन्दी कक्षा/कार्यशाला आयोजन		
		का अनुभव		
11	12	13	14	
-	प्रोन्नति: तीन वर्ष की नियमित	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
जिसके न हो सकने	सेवा वाले वरिष्ठ अनुवादकों में से।	2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
पर सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य			
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		

द्वारा	सरकार/स्वायत्वशासी संस्थान के वे अधिकारी जो सहश्य पद धारित करते हो अथवा 4200 ग्रेड पे में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो तथा कालम 8 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु सभी अहताएं रखते हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	सामान्यत: 3 वर्ष अधिक नहीं होगी।			
1	2	3	4	5
29.संगणक प्रचालक	27	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर		चयन
(ग्रेड-बी)		तकनीक	5,200-20,200	
6	7	0	ग्रेड पे.2,800 9	10
लागू नहीं	/ तीस वर्ष से अधिक नहीं	8 अनिवार्य:	अायु नहीं योग्यताः हॉ	
11	12	मान्यता प्राप्त     विश्वविद्यालय से स्नातक     उपाधि     ट. टंकण का ज्ञान     उ. कम्प्यूटर पर 8000 कुंजी     प्रसरण / प्रति घंटा की गति     वांछनीय:     (1)     (2)     13	14	
	12 प्रोन्नतिः निर्धारित अर्हता धारित		लागू नहीं	
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		(स्यायांकरण हतु)  1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष  2. सचिव-सदस्य  3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य	K11.2 4161	
1	2	3	4	5
30. केयर टेकर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्तिः केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त	लागू नहीं	लाग् नहीं	

	शासी निकायों के अधिकारी जो			
	(क) नियमित आधार पर सदृश्य पर हो अथवा नियमित आधार पर पे.बैंड-1 में 5,200-20,200 के स्केल में 2400 ग्रेड पे में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हो।			
	(ख) जिन्हें केयर टेकिंग जैसे सफाई, अग्नि सुरक्षा, फर्नीचर तथा फर्निशिंग सहित कार्यालय भवन की देख भाल कार्यालय उपस्कर तथा उपकरणों का रखरखाव, बैंठकों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था, समूह "घ" तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के प्रबंधन का अनुभव हों।			
	वांछनीय:			
	सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ, अग्नि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
1	2	3	4	5
31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1)		कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी		गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	"
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नित: 1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड- II) प्रोन्नित द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।	<ol> <li>कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष</li> <li>सचिव-सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं	
	(2) (1) द्वारा निर्धारित संख्या में रिक्त पूर्ति न होने पर 13 वर्ष की नियमित सेवा वाले वे स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, प्रोन्नित किए जा सकते हैं।			

1	2	3	4	5
32. स्टाफ कार	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	गैर चयन
चालक (ग्रेड-।।)		तकनीकी	5,200-20,200	
( ,,			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	, ,
प्रोन्नति द्वारा	8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड में से जो बोर्ड दवारा आयोजित ट्रेड	2. सचिव-सदस्य	~	
	परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
33. विशेष ग्रेड		मध्य प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
चालक		तकनीकी	9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	, ,
प्रोन्नति द्वारा	6 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
`	स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-1) में से	2. सचिव-सदस्य		
	जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड	3. अन्सूचित जाति/जनजाति		
	परीक्षा उत्तीर्ण कर	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
		,		
_ ~	•			ार जनग
(93 1)		CHANIAN		
6	7	8		10
	•			
.,	.,	•	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
· ·				
	_			
J	, ,	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
-(-11 \)	(ii) की अनुपलब्धता की स्थिति में	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-।।) में से,			
	जिनकी आशुलिपिक ग्रेड-।। एवं			
	आशुलिपिक ग्रेड-(।।।) में कुल सेवा			
	10 वर्ष की हो प्रतिनियुक्ति:			
	केन्द्र/राज्य सरकार/सावर्जनिक			
	उपक्रमों के उन अधिकारियों में से			
34. आशुलिपिक (ग्रेड-1)  6 लागू नहीं 11  प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	7 लागू नहीं 12 प्रोन्नित (i) 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक (ग्रेड-।।) में से (ii) की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-।। में से, जिनकी आशुलिपिक ग्रेड-।। एवं आशुलिपिक ग्रेड-(।।) में कुल सेवा 10 वर्ष की हो प्रतिनियुक्तिः केन्द्र/राज्य सरकार/सावर्जनिक	<ol> <li>कार्यकारी निदेशक-सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति/जनजाति</li> </ol>	पे.बैंड 2 9,300-34,800 ग्रेड पे.4,200 9 लागू नहीं 14 लागू नहीं	गैर चयन 10 लागू नहीं

भारत का राजपत्र : असाधारण

जो पे.बैंड 2 में 9,300-34,800	
स्केल में 4,200 ग्रेड पे. के साथ	
5 वर्ष का अनुभव रखते हो अथवा	
सदृश्य पद पर 3 वर्ष का	
कार्यानुभव रखते हों1	
(प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी)	

असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (विज्ञापन ।।।/4/असा./153/12)

- नोट: (1) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्धाख प्रभाग लाहल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति की अंतिम तिथि आयु निर्धारण के लिए विचारणीय नहीं होगी।
  - (II) रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों हेतु आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तरीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा जाएगा।